ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7

Apparently, he could trust
Funny people, folk.
spat with his dan
team-mate, his drivi
gerous
British Virgin Islands. Over the last
Government focused on the 100,000
British prisoners released every year."

साप्ताहिक
समसामयिकी

मार्च 2018 अंक 01

विषय सूची

मार्च 2018
अंक-1

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-15

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का वर्तमान परिदृश्य
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम : परिवर्तन एवं सुधार
- भारत में राज्यों के लिए अलग राज्य-ध्वज की तर्कसंगतता
- डिजिटल युग में उपभोक्ता संरक्षण
- प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना
- रक्षा बजट और देश की सुरक्षा
- ई-शासन आमजन का सशक्त हथियार

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 16-20

सात महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें 21-26

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 27-35

सात महत्वपूर्ण तथ्य 36

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी) 37

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 38

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का वर्तमान परिदृश्य

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

चर्चा का कारण

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए एक पेशेवर टीम के निर्माण की घोषणा की है। इसके साथ ही इस योजना के तहत कवरेज को बढ़ाकर 50 फीसदी तक करने की भी घोषणा की।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में विभिन्न अंतराल के समाधान के लिए कृषि मंत्रालय ने दिशानिर्देशों में संशोधन किया है और मौजूदा पोर्टल को नई सुविधाओं के साथ नवीनीकृत किया है। चूंकि पोर्टल में परिवर्तन तथा एक नये पेशेवर टीम की मांग बहुत समय से हो रही थी जिसको ध्यान में रखकर भारत सरकार ने यह कदम उठाया है। कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि “इस योजना के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया हुई है तथा कवरेज में वृद्धि हुई है लेकिन इसके लिए और अधिक किया जाना है।”

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?

इस योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिए बीमा करवाया जाएगा जिसमें प्रीमियम दर बहुत कम रखी गई है। यह केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसे 13 फरवरी 2016 को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान किया था। यह योजना देश में अपनी तरह की पहली योजना है जिसका मकसद फसल के खराब होने पर किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराना है। यह योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का परिवर्तित रूप है।

इस योजना में लगने वाले बजट का खर्च राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाएगा। अनुमानित तौर पर इसका बजट 17600 करोड़ रुपये तय किया गया है। यह बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी के तहत होगा जो बीमा की भुगतान करेगी। केंद्रीय कृषि एंव किसान कल्याण मंत्रालय इस योजना के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने का काम कर रहा है और इसके तहत 3 सालों के अंदर सरकार की योजना 8800 करोड़ रुपये खर्च करने की है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा की आवश्यकता क्यों?

भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी बहुत बड़ी आबादी खेती पर निर्भर रहती है। इनका जीवन-यापन खेती पर ही निर्भर करता है, किंतु कई बार मौसम की मार जैसे सूखा, बाढ़ आदि की वजह से इनके फसल नष्ट हो जाते हैं और इन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार किसान कर्ज और नुकसान के बोझ तले आत्महत्या कर लेते हैं।

देश में कृषि की महत्ता को देखते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि “कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।” वर्षों बीत जाने के बाद भी स्थिति वैसी ही है। कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। इसका कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 16 प्रतिशत का योगदान है, लेकिन इस पर लोगों की निर्भरता तकरीबन 52 प्रतिशत है। मौजूदा समय में कृषि में तीव्र विकास न केवल आत्मनिर्भरता के लिए बल्कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए जरूरी है।

उल्लेखनीय है कि भारत के लघु एवं सीमांत किसान उत्पादन और उत्पादकता में किसी विदेशी किसान से कमतर नहीं है। समय पर उर्वरक, बीज, कीटनाशक तथा कम ब्याज दर पर कृषि ऋण, फसल बीमा आदि उपलब्ध होने पर भारतीय किसान भी राष्ट्र की खाद्य व पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सक्षम हैं। लेकिन मानसून पर निर्भरता के कारण बाढ़ और सूखा भारतीय किसानों की नियति बन गई है। मानसून की अनिश्चितता के चलते किसानों के लिए एक नई फसल बीमा योजना की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई। हालांकि शुरू में बीमा दावे के निपटान की प्रक्रिया में कुछ खामिया थीं जिन्हें बाद में लोगों से सुझाव मांगकर दूर किया गया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य

किसानों के कल्याण के लिए फसल बीमा योजना के कई उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं के तहत देखा जा सकता है।

1. फलस का उत्पादन कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसे मौसम, कीटाणु का रोकथाम, विभिन्न फसल संबंधी रोग आदि। इन सब के कुप्रभाव से फसल नष्ट होना शुरू हो जाती है और इससे किसानों को भारी क्षति होती है। इस योजना की सहायता से सरकार इन सभी

कुप्रभावों से होने वाली क्षति से किसानों को होने वाली आर्थिक हानियों में मदद करेगी। इस योजना का लाभ हांलाकि उन्हीं चयनित फसलों पर ही प्राप्त हो सकेगा जिसे सरकार ने योजना के अंतर्गत रखा है।

2. इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए नए-नए उपकरणों का प्रयोग अमल में लाया जाएगा। देश में कई कृषि क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आज भी पुराने उपकरणों के प्रयोग और पारंपरिक खेती की वजह से उत्पादन बहुत कम होता है। इस योजना की सहायता से उन स्थानों पर कृषि संबंधित नए-नए तरीकों को लाया जाएगा।
3. आमतौर पर यह देखा जाता है कि कृषि क्षेत्र प्रायः रोजगार के लिए नहीं चुना जाता है। इसकी एक बड़ी वजह इससे उत्पन्न होने वाले लाभ का परिणाम और इसकी अनिश्चितताएं हैं। इस योजना की सहायता से कृषि क्षेत्र में एक प्रवाह लाने की कोशिश की जाएगी ताकि किसानों को नियमित रूप से इतना लाभ प्राप्त हो सके कि वे अपना जीवन यापन आराम से कर सकें।
4. कृषि अनिश्चितताओं से भरा हुआ कार्य है। किसानों को आने वाले मौसम में उगाई जाने वाली फसल पर लाभ के प्रतिशत का कुछ भी अनुमान नहीं रहता है। कई बार बाजार में किसी निश्चित फसल की मांग कम होने की वजह से उन्हें फसल बेचने में भी परेशानी होती है और कभी-कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। इन अनिश्चितताओं की वजह से कई किसान खेती छोड़ देते हैं जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे निजात पाने के लिए ही सरकार ने फसल बीमा योजना की शुरूआत की है।
4. कृषि क्षेत्र में किसानों को ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विशेषताएं

- इस योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत, रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत की दर से बीमा किस्त देनी होगी।
- यह योजना किसान को खेती की नयी तकनीकों से जोड़ने में भी सक्षम है। इस योजना को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है ताकि किसानों के लिए सभी तरह के लेन-देन के कार्य जल्द से जल्द हो सके और किसानों को मुनाफा बिना किसी बिचौलिये के उनके बैंक खाते में प्राप्त हो सके।
- इस योजना के अंतर्गत प्राप्त लाभ पर किसानों को किसी भी तरह से सर्विस टैक्स नहीं देना होगा।
- इस योजना की सबसे खास बात यह है कि दूसरे के जमीन पर खेती करने वाले किसान भी इस योजना के तहत अपने फसल की बीमा करा सकते हैं। अतः सभी तरह के किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- जिन किसानों ने बैंकों से कर्ज नहीं लिया है वे भूमि रिकार्ड अधिकार, भूमि कब्जा प्रमाणपत्र आदि दस्तावेज प्रस्तुत करके योजना का लाभ ले सकते हैं।
- योजना के तहत संबंधित राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग द्वारा भूमि-धारण के अनुपात में बजट आवंटन करने का प्रावधान है।
- निम्नलिखित कारणों के अंतर्गत यदि फसल बर्बाद होती है तो लाभ प्राप्त किया जा सकता है जैसे- बिजली गिरने या प्राकृतिक रूप से लगी आग, आंधी, मूसलाधार बारिश, चक्रवात तथा तुफान, बाढ़, भू-स्खलन, सूखा, विभिन्न तरह के फसल संबंधित रोग, कीड़े लगने आदि।
- एक बार फलस नष्ट होने की पुष्टिकरण हो जाने के साथ ही क्लेम की गयी राशि का 25% हिस्सा किसान के खाते में डिपॉजिट कर दिया जाता है।
- पुरानी बीमा योजना के अंतर्गत जो किसान पार्शियल प्रीमियम भरते थे, उन्हें उनके द्वारा क्लेम किए गए पूरे राशि का एक हिस्सा दिया जाता था। लेकिन इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनके द्वारा क्लेम की गई पूरी राशि दी जाएगी।

सरकारी पहल

- यह योजना साल 2016-17 वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू की गई थी। शुरू होने के साथ ही तत्कालिक समय में खेती किये जा रहे जमीन के 30% जमीन को इसके अंतर्गत लाने की कोशिश की गई। इसके लिए 5500 करोड़ रुपये का बजट बनाया गया। इसी तरह साल 2017-18 के लिए इस सीमा को बढ़ाकर 40% कर दिया गया जो कि 2018-19 के दौरान यह 10% और बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की गई है। सरकार की योजना है कि प्राकृतिक आपदा से मकान एवं संपत्ति को नुकसान होने पर भी किसानों को बीमा का लाभ मिले। मौजूदा समय में किसानों को ज्यादातर फसलों के लिए 1.5% से 2% तक बीमा किस्त देना पड़ रहा है। जबकि बीमा कंपनियों की लागत लगभग 11% है जिसे केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन कर रहा हैं।

केंद्र ने राज्यों को अपने नियमों में संशोधन का आदेश दिया है जिससे किसान इस योजना से आसानी से जुड़ सकें। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ ही पूरे देश में होने वाले किसान आंदोलन को देखते हुए कृषि कर्ज योजना के लिए आवंटित 15000 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 20339 करोड़ रुपये कर दिया जिसे कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। अब किसानों को 9 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलने वाला कर्ज सिर्फ 4% ब्याज दर पर मिलेगा। इसके लिए कर्ज की अधिकतम सीमा तीन लाख रुपये रखी गई है। कर्ज की 9% ब्याज दर में से 5% ब्याज का भुगतान सरकार करेगी।

किसानों के लिए सरकार ऐसी तकनीकी पर विशेष ध्यान दे रही है जिससे कि इस योजना में फर्जीवाड़ा होने की संभावना कम से कम हो। इसके अलावा किसानों को लाभ देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी, निजी एंव क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड को ब्याज अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। सरकार, बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, नाबार्ड और रिजर्व बैंक मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे। ब्याज अनुदान एक साल के लिए दिया जाएगा। समय पर कर्ज लौटाने वाले किसानों को ब्याज दर में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देने का प्रावधान भी सरकार ने किया है। सरकार का प्रयास है कि इस योजना से अधिक से अधिक किसानों को लाभ प्राप्त हो।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की चुनौती

- इस योजना की सबसे बड़ी चुनौती है, इसका बजट। चूंकि इसके लिए अत्यधिक मात्रा में धनराशि चाहिए इसलिए सरकार के लिए चाहे वह केंद्र हो या राज्य उसे जुटा पाना आसान नहीं है।
- यह एक केंद्र की महात्वाकांक्षी योजना है लेकिन इसमें राज्यों की भी सहभागिता है।

अत: राज्यों के साथ सामंजस्य कायम करना भी एक चुनौती है। क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर केंद्र सरकार से अलग राजनीतिक पार्टी की सरकार है।

- भारत में किसी भी योजना की असफलता के लिए भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कारण है। इस योजना में भी होने वाले भ्रष्टाचार के प्रति आगाह रहना होगा नहीं तो योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ सकती है।
- किसानों की जागरूकता भी एक चुनौती है। किसान योजना की बारिकियों के बारे में नहीं जान पाते जिसका फायदा बिचौलिये उठा लेते हैं।
- किसानों का होने वाली फसलों के नुकसान की जांच करना भी एक चुनौती है। हांलाकि सरकार ने तकनीकी के द्वारा नुकसान की जांच की व्यवस्था बना रही है जिससे कि सही-सही नुकसान का पता चल सके। इसमें किसानों की भी इमानदारी पूर्वक सहयोग की आवश्यकता है।

आगे की राह

- सरकार को इस योजना पर होने वाले खर्च को लेकर ठोस व्यवस्था करनी होगी जिससे कि पैसे की कमी इस योजन के राहों में बाधा न डाले।
- केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करना होगा।
- भ्रष्टाचार पर रोक लगाना होगा जिससे कि योजना को सफल बनाया जा सके।
- किसानों को योजनाओं के प्रति जागरूक करना होगा जिससे कि किसानों को समुचित लाभ प्राप्त हो सके।
- किसानों को तकनीकी आधारित शिक्षा के साथ-साथ व्यापक स्तर पर तकनीकी उपलब्ध कराना होगा।

निष्कर्ष

भारत सरकार की इच्छा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाये और भारतीय किसानों के लिए कृषि एक लाभ का सौदा साबित हो। भारत के अन्नदाता को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े इसके लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी इन्हीं कोशिशों में से एक है। यह अब तक उपलब्ध योजनाओं में किसानों के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी योजना है जिसके बदौलत किसानों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। जब देश के किसान खुशहाल रहेंगे तो देश भी विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ेगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय।

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय; जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएँ, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु पालन संबंधी अर्थव्यवस्था।

■

2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम : परिवर्तन एवं सुधार

चर्चा का कारण

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 07 फरवरी 2018 को वर्गीकरण के मानकों को बदलने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई।

इसे 'संयत्र एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश' से बदलकर 'वार्षिक कारोबार' में बदलने का प्रस्ताव है। इस कदम से व्यापार करने में आसानी होगी और वर्गीकृत वृद्धि के नियम बनेंगे जिससे जीएसटी के दायरे में नयी कर प्रणाली वजूद में आएगी।

वर्तमान समय में, एमएसएमईडी माइक्रो, स्माल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अधिनियम (धारा-7) में निर्माण इकाईयों के संबंध में संयंत्र और मशीनरी में निवेश तथा सेवा उपकरणों के लिए उपकरण में निवेश के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों का वर्गीकरण करता है। संयंत्र और मशीनरी में निवेश का मानक स्वघोषणा है जिसके लिए प्रमाणीकरण और लेन देन की लागत आवश्यक है।

पृष्ठभूमि

राजकोषीय आयोग ने 1950 में कुटीर तथा लघु उद्योग में अंतर को परिभाषित करते हुए कहा है कि, जब किसी औद्योगिक इकाई में केवल परिवार के सदस्य ही कार्य करते हैं तो वह कुटीर उद्योग होता है। इसके विपरीत जब मजदूरी के बदले में काम करने वाले 10 से 50 तक श्रमिकों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं तो वह लघु उद्योग होता है।

लघु व कुटीर उद्योग की वैज्ञानिक परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए किये जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। समय के साथ-साथ निवेश की सीमा भी बदलती रही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र, पिछले पांच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बेहद जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। एमएसएमई न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत पर बड़े रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि यह ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में भी मदद करते हैं जिससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होता है और राष्ट्रीय आय तथा धन का अधिक समान वितरण आश्वस्त होता

है। एमएसएमई सहायक इकाई के रूप में बड़े उद्योगों का पूरक है और यह कई क्षेत्रों तथा देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए काफी योगदान देता है।

1950 में विनिर्माण क्षेत्र की लघु औद्योगिक इकाई उसे कहा जाता था, जिसमें पाँच लाख रु. तक का अधिकतम निवेश होता था। उस समय से आज 2006 तक इसमें परिवर्तन होता रहा है।

देश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र की महती भूमिका है। आर्थिक समीक्षा 2015-16 के अनुसार MSME क्षेत्र देश के GDP में 37.54 प्रतिशत का योगदान करता है। केयर रेटिंग रिसर्च के अनुसार देश के औद्योगिक उद्यमों में MSME (सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम) का योगदान 95% है। देश के औद्योगिक उत्पादन में MSME का हिस्सा लगभग 39 से 40% है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (सूलमउवि) अधिनिमय को क्षेत्र के कवरेज एवं निवेश सीमा के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दों के समाधान के लिए वर्ष 2006 में अधिसूचित किया गया था। यह अधिनियम इन उद्यमों के विकास को सरल एवं कारगर बनाने और उनकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने का प्रयास करता है। यह 'उद्यम' की अवधारणा की मान्यता के लिए सबसे पहला वैधानिक ढाँचा प्रदान करता है जिसमें विनिर्माण और सेवा संस्थाएं दोनों ही शामिल हैं। इसमें सर्वप्रथम मध्यम उद्यमों को परिभाषित किया गया है तथा इन उद्यमों अर्थात् सूक्ष्म, लघु और मध्यम के तीन स्तरों को एकीकृत करने का प्रयास किया गया है। यह अधिनियम स्टॉकहोल्डरों के सभी वर्गों विशेषकर उद्यमों के संतुलित प्रतिनिधित्व से राष्ट्रीय स्तर पर तथा सलाहकारी कार्यों की व्यापक रेंज में सांविधिक परामर्शदात्री कार्यतंत्र भी उपलब्ध कराता है। इन उद्यमों के संवर्धन, विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए विशेष निधियों की स्थापना, इस प्रयोजनार्थ स्कीमों/कार्यक्रमों की अधिसूचना, प्रगामी क्रेडिट नीतियां एवं प्रथाएं, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के उत्पादों और सेवाओं के लिए सरकार प्रापण (पहुँच) में वरीयता, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विलम्बित भुगतानों की समस्याओं को कम करने के लिए और प्रभावशाली कार्यतंत्रों एवं इन उद्मों द्वारा व्यवसाय के समापन को आसान करने के लिए स्कीम का आश्वासन इस अधिनियम की कुछ अन्य विशेषताएं हैं।

भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 में संशोधन

भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली 1961 के संशोधन के पश्चात्, 9 मई 2007 को पूर्ववर्ती लघु उद्योग मंत्रालय तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय का विलय करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (सूलमउ मंत्रालय) बनाया गया। अब यह मंत्रालय सूलमउ की सहायत करने के उद्देश्य से नीतियाँ तैयार करता है और कार्यक्रमों, परियोजनाओं तथा स्कीमों को संवर्धित करता है, सुविधा प्रदान करता है और यह उनके कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करता है तथा उनका सत्र बढ़ाने के लिए उनकी सहायता करता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि भारत सरकार, भिन्न-भिन्न पहलों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयास को पूरा करती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और इसके संगठनों की भूमिका, बदलते आर्थिक परिदृश्य में उद्यमिता रोजगार और जीविका के अवसर प्रोत्साहित करने और सूलमउ में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के राज्य सरकारों के प्रयासों की सहायता करना है।

संगठनात्मक ढाँचा

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के पास दो प्रभाग है नामतः लघु और मध्यम उद्यम (एमएसई) प्रभाग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग (एआरआई) प्रभाग। लघु और मध्यम उद्यम (एमएसई) प्रभाग को अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड और तीन स्वायत्तशासी राष्ट्र स्तरीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण संगठनों के प्रशासन, सतर्कता और प्रशासनिक पर्यवेक्षण का काम आवंटित किया गया है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए प्रापण नीति

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए एक सार्वजनिक प्रापण नीति मार्च, 2012 में अधिसूचित की गई थी। इस नीति में विचार किया गया है कि केंद्रीय मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तीन वर्ष की अवधि में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के कुल वार्षिक क्रय के न्यनतम 25 प्रतिशत के उद्देश्य की प्राप्ति के साथ सूक्ष्म और लघु क्षेत्र से प्रापण के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करेगा। इसमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से प्रमाण के लिए 4 प्रतिशत अभिनिर्धारित किया जाएगा। यह नीति सरकारी क्रय में सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा भागीदारी बढ़ाकर विपणन पहुंच और प्रतिस्पर्धा में सुधार करके तथा सूक्ष्म और लघु उद्यमों और बड़े उद्यमों के बीच संबंधों को प्रोत्साहित करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संवर्धन में सहायता करेगी।

आम बजट 2018-19 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर के लिए 3794 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और MSME के जरिये घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा 7 में संशोधन

वर्गीकरण के मानकों में बदलाव से व्यापार करने में होने वाली आसानी को बढ़ावा मिलेगा, परिणामस्वरूप वृद्धि होगी तथा देश के एमएसएमई क्षेत्र में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार को बढ़ाने का रास्ता खुलेगा।

सरकार की पहल

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र के महत्व को स्वीकारते हुए सरकार ने नए उद्यमों की स्थापना और मौजूदा उद्यमों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम/स्कीम शुरू किए हैं। जैसाकि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास निधि, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ऋण संबंधी पूंजी सब्सिडी योजना, परम्परागत उद्योग पुनरूद्धार निधि योजना और सूक्ष्म और लघु उद्यम कलस्टर विकास कार्यक्रम के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गये हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को रोजगार दिलाना है।

नये बदलाव से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा 7 में संशोधन हो जाएगा और वस्तु तथा सेवाओं के संबंध में वार्षिक कारोबार को ध्यान में रखते हुए इकाईयों को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाएगा:

- वैसी इकाइयों को सूक्ष्म इकाई माना जाएगा जहां 5 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार नहीं होगा।
- वैसी इकाइयों को लघु उद्योग माना जाएगा जहां वार्षिक कारोबार 5 करोड़ से अधिक, लेकिन 75 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा।
- वैसे उद्योगों को मध्यम उद्योग माना जाएगा जहां वार्षिक कारोबार 75 करोड़ रुपये से अधिक है परंतु 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो।

- उपर्युक्त के अतिरिक्त केंद्र सरकार ने अधिसूचना के जरिए कारोबार सीमा में बदलाव कर सकती है, जो एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 7 में उल्लिखित सीमा से तिगुनी से अधिक नहीं हो सकती।

बदलाव का कारण व लाभ

- ज्ञातव्य है कि मौजूदा एमएसएमईडी अधिनियम (धारा 7) में निर्माण इकाइयों के संबंध में संयंत्र और मशीनरी में निवेश तथा सेवा उपक्रमों के लिए उपकरण में निवेश के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों का वर्गीकरण करता है।
- केंद्र सरकार के मुताबिक जीएसटी नेटवर्क के संबंध में कारोबार के आंकड़ों को भरोसेमंद माना जा सकता है। इसके साथ अन्य उपायों के तहत भी संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरण, रोजगार के संबंध में निवेश के आधार पर वर्गीकरण संभव है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और निरीक्षण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
- इसके अलावा व्यापार करने की आसानी में भी इजाफा होगा। संशोधन से सरकार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के वर्गीकरण में लचीला रूख अपनाने में मदद मिलेगी ताकि बदलते आर्थिक परिदृश्य में विकास हो सके। इस संबंध में एमएसएमईडी अधिनिमय में संशोधन की आवश्यकता नहीं रहेगी।

निष्कर्ष

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम क्षेत्र में पूरी क्षमता है कि यह देश में व्याप्त बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन, राष्ट्रीय आय और संपत्ति के असमान वितरण जैसी ढाँचागत समस्याओं का समाधान करने के लिए रामबांण का काम कर सके। तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत और अन्य क्षेत्रों के साथ विनिर्माण और विपणन से संबंध होने के चलते, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र, मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय।

■

3. भारत में राज्यों के लिए अलग राज्य-ध्वज की तर्कसंगतता

चर्चा में क्यों

हाल ही में कर्नाटक राज्य ने अपनी वर्षो से चली आ रही अलग राज्य-ध्वज की मांग को एकबार फिर से पुनर्जीवित कर दिया है। कर्नाटक में एस. सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 17 जुलाई, 2017 को राज्य की अलग पहचान के लिए एक अलग राज्य-ध्वज निर्माण पर सुझाव देने के लिए 9 सदस्यीय समिति गठित की थी। जिसने अपनी रिपोर्ट अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट ने राज्य के लिए एक अलग ध्वज की सिफारिश पर मुहर लगा दी है। इसके बाद से ही कर्नाटक सरकार एक अलग राज्य ध्वज की मांग को लेकर अडिग है। वहीं केन्द्र सरकार ने संविधान का हवाला देकर कर्नाटक राज्य की इस मांग को ठुकरा दिया है। अब भारत में राज्यों के लिए एक अलग राज्य ध्वज होना चाहिए या नही इस परिपेक्ष्य में भिन्न-भिन्न लोगों, सरकारों के भिन्न-भिन्न मत हैं।

पृष्ठभूमि

ज्ञातव्य है कि राज्यों के लिए अलग राज्य-ध्वज की मांग का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी नागालैण्ड, सिक्किम और जम्मू-कश्मीर राज्यों द्वारा अपने राज्य के लिए एक विशिष्ठ पहचान और विशिष्ठ सुविधाओं सहित एक अलग राज्य-ध्वज की मांग की जाती रही है। जम्मू-कश्मीर को तो संविधान में ही अनुच्छेद 370 के तहत विशेष सुविधाएं प्रदान की गई है। इसके तहत जम्मू-कश्मीर को देश के साथ अपना अलग झंडा फहराने की आजादी है।

60 वर्ष पहले फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैण्ड का अपना ध्वज था। हाल ही में केन्द्र सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (इसाक-मुइवा) [NSCN (IM)] की 33 मांगो में से अलग ध्वज की मांग को स्वीकार किया है। इसके साथ ही नागालैण्ड संविधान की धारा 371A से संचालित होता है।

सिक्कम के अधिग्रहण के पूर्व इसका भी अपना एक ध्वज था जिसमें बौद्ध 'खोरलो' प्रार्थना पहिया और इसके मध्य में खुशी का पहिया 'गेन्किल' मौजूद था। भारत में सिक्किम का अधिग्रहण होने के पश्चात यह स्वत: ही समाप्त हो गया था।

ज्ञातव्य हो कि अब धारा 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष सुविधाओं सहित भारतीय संघ में विलय किया गया था, तो वहाँ के प्रधान को प्रधानमंत्री कहा जाता था। और इसके लिए एक अलग संविधान और अलग ध्वज का भी प्रावधान किया गया।

वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के अलावा अब कर्नाटक और नागालैण्ड ने संविधान की धारा 371 के तहत अपने राज्य का ध्वज हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और साथ ही सक्किम भी एक अलग ध्वज चाहता है।

कर्नाटक के ध्वज का इतिहास वर्षो पुराना है जब से कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई है तब से प्रतिवर्ष कर्नाटक राज्य की स्थापना दिवस पर कन्नड़ झंडा फहराया जाता है। इस झंडे का डिजाइन 1960 के दशक में कर्नाटक के लेखक-पत्रकार-कार्यकर्ता एम.ए. रामामूर्ति ने तैयार किया था। रामामूर्ति को कन्नड़ अस्मिता का प्रणेता माना जाता है। वर्तमान में भी राज्य में कन्नड़ अस्मिता भाषा और दूसरे राज्यों के साथ हितों के टकराव से पैदा होने वाले आंदोलनों में लाल-पीले रंग का झंडा जरूर दिखता है। हाल ही में तमिलनाडु के साथ कावेरी जल विवाद के दौराना कर्नाटक के प्रदर्शनकारियों ने इसी कन्नड़ झंडे के साथ प्रदर्शन किया था। पिछले वर्ष कर्नाटक की एक म्यूनिसीपैलिटी में कन्नड़ संगठनों ने यह झंडा लहराया तो इससे विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद के कोर्ट मे चले जाने के उपरांत कोर्ट ने सरकार को इस मुद्दे पर अपना रूख साफ करने को कहा।

कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या इस झंडे को मान्यता दी जा सकती है? इसी के बाद से राज्य सरकार ने झंडे से जुड़े तमाम पहलुओं की स्टडी के लिए 9 सदस्यों की कमेटी बना दी थी जो झंडे को डिजाइन करेगी और इसके संवैधानिक पहलुओं की पड़ताल करेगी।

ज्ञातव्य हो कि वर्ष 2012 में कर्नाटक में तत्कालीन बीजेपी सरकार ने 2012 में राज्य के लिए एक अलग झंडे की अधिसूचना जारी की थी और 1 नवंबर को झंडे को फहराया गया लेकिन इसे हाईकोर्ट में चुनौती मिली और सरकार को अधिसूचना वापस लेनी पड़ी थी तब से यह मामला और अधिक उग्र हो गया है।

पक्ष में तर्क

अलग झंडे की वकालत कर रहे लागों ने मुख्य रूप से तीन तर्क सामने रखे हैं। पहला जब जम्मू-कश्मीर में अलग झंडा हो सकात है तो देश के दूसरे राज्य ऐसा क्यों नहीं कर सकते। दूसरा देश के संविधान में राज्यों के लिए अगल झंडे की मनाही नहीं है। तीसरा अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में राज्यों के अपने-अपने झंडे हैं और इससे उनकी अखंडता को कोई खतरा नहीं हुआ है।

भारत में राज्य की सीमाएं भाषाई एकरूपता के आधार पर सीमांकित होती है। इससे स्वाभाविक रूप से अपनी भाषाओं और संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रेरित किया है। इसलिए प्राकृतिक रूप से इन्हें अपनी खुद की भाषाओं और संस्कृतियों को पहचानने उनकी रक्षा करने और बढ़ावा देने का हक है। एक ध्वज (जो दोनों अशीर्वाद और एक संकेत है।) किसी भी अन्य प्रतीक से बेहतर इस उद्देश्य को पूरा करता है।

एक अलग झंडा होने पर राष्ट्रीय एकता का अपमान नहीं होगा। इसके विपरीत प्रत्येक राज्य के लिए अलग ध्वज संघीय ढांचे को मजबूत करेगा और अधिक विशिष्ट पहचान के लिए एक प्रतीक के रूप में सेवा प्रदान करेगा। भारतीय संविधान की पहली पंक्ति है, 'इंडिया, जो भारत है, वह राज्यों का संघ है'। अगर हम अपने आस-पास देखें तो पाएँगे कि अपने झंडों के साथ पहले से ही एक किस्म का उपराष्ट्रवाद, देश में है। यहाँ शहर के नाम पर (चेन्नई सुपरकिंग) या राज्य के नाम पर (किंग्स इलेवन पंजाब) जैसी आईपीएल टीमें हैं। यह भी एक तरह का उपराष्ट्रवाद है इन टीमों के पास भी तो अपने झंडे हैं। हमे इनसे कोई समस्या नहीं होती। राजनीतिक दलों और उनके झंडों पर भी हमें ऐतराज नही होता। भारत में सेना, नौसना, वायु सेना और अर्द्धसैनिक बलों के लिए भी अलग झंडे हैं। अगर हम भारत जैसे दूसरे देशों को देखें तो वहां भी राज्यों की अपनी अलग पहचान की बातें आम हैं।

यू.एस. के सभी 50 राज्यों के पास राष्ट्रीय ध्वज के अलावा अलग झंडे हैं। यू.के. में भी इंग्लैण्ड, स्कॉटलैण्ड बेल्स और उत्तरी आयरलैण्ड की राजनीतिक इकाइयों के पास यू.के. की अखण्डता को प्रभावित किए बिना अपने स्वयं के झंडे हैं। इसलिए कर्नाटक राज्य भी अपनी जगह उचित है और कानून का उल्लंघन किए बिना राज्य का गौरव बनाए रखने के लिए अपने स्वयं के ध्वज को अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से सशक्त है। लोकतंत्र और संघवाद संविधान की आवश्यक विशेषताएँ हैं और साथ ही इसके बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। यह कर्नाटक का लोकतांत्रिक अधिकार है जिसके तहत वह अपना नाम अलग पहचान प्रतीक और ध्वज रख सकता है।

विपक्ष मे तर्क

केन्द्र सरकार ने कर्नाटक की अलग झंडे की मांग यह कहते हुए खारिज कर दी है कि संविधान में एक देश के एक झंडे का सिद्धांत है और भारत के फ्लैग कोड में अलग झंडे का जिक्र नहीं है और अलग झंडे के आलोचक भी भारतीय एकता के लिए अलग झंडा नुकसानदायक मानते हैं। वह 'एक देश, दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगें' के नारे पर अपना भरोसा जताते हैं। साथ ही उनका मानना है ''संघीय इकाइयों को उन प्रतीकों की आकांक्षा नहीं है जो राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हों।

संविधान सभा ने संघीय इकाइयों के प्रतीकात्मक विविधताओं सहित विस्तार में 'संघीय' प्रश्न पर चर्चा की है। संस्थापकों पर जोर दिया गया था कि वे विविधता के उन चिन्हों को निरंतर प्रोत्साहित करें जो एक जैविक एकता को अवधारणा के साथ समकालीन किए गए थे। जिन्हे नव प्रतिस्थापित गणराज्य के आदर्श के रूप में माना जाता था। वास्तव में भारत में जो भाषाई विविधता आंतरिक सीमाओं को चित्रित करने का निर्णायक मार्कर के रूप में उभरी थी आज वह आंतरिक रूप से कमजोर पड़ गई है। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक के मराठी भाषी क्षेत्रों मे लोग असंतुष्ट हैं। इसलिए एक राज्य के लिए एक अलग ध्वज की कल्पना इसे और अधिक जटिल बनाने के अलावा कुछ भी नहीं है।

लोगों का तर्क है कि अन्य देशों में राज्यों के पास अलग झंडे है। यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक राजनीतिक रूप से भारत की स्थिति अन्य देशों से भिन्न है। इस अर्थ में कि संघीय गणराज्य होने के बावजूद भारत को राज्यों के संघ के रूप में जाना जाता है न कि एक संघ के रूप में। इसलिए ये संघीय इकाइयाँ अलग-अलग राजनीतिक प्रतीकों की आकांक्षा नहीं कर सकती हैं जो राष्ट्रीय राजनीतिक प्रतीकों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं।

सांस्कृतिक विविधता के चिन्हों को पहले से ही उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह एक राजनीतिक प्रतीकवाद के उद्देश्य की एकता है जिसने पिछले 70 वर्षों में भारत को अच्छी तरह से सेवा प्रदान की है। इसके बदलने के पक्ष में कोई मजबूत तर्क मौजूद नहीं है। इसलिए अलग झंडे की मांग गणतंत्र के मूलभूत मूल्यों के साथ छेड़-छाड़ करने के समान है।

विदित हो कि वर्ष 1994 के एसआर बोम्बई बनाम भारतीय संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संघवाद संविधान का मौलिक लक्ष्य है। सावैधानिक स्थिति यह है कि राज्यों द्वारा स्वयं का क्षेत्रीय ध्वज रखने में संविधान में कोई निषेध नही है। इसे संविधान में निहित मूल्यों के साथ छोड़छाड़ नहीं करना चाहिए, जब तक कि कोई विशेष मामला न हो जो मौलिक रूप से उचित हो।

जम्मू-कश्मीर का मामला अपवाद है जिसे देश की विकट परिस्थितियों में लिया गया था जिसका उदाहरण भारत के अन्य राज्यों के लिए आज की परिस्थिति में पेश करना तर्कसंगत नहीं है।

भारत के संविधान संस्थापक एक मजबूत केन्द्र का निर्माण करने के लिए अक्सर प्रयासरत रहे थे। और वे एक मजबूत केन्द्र के मॉडल की कमजोरियों के प्रति जागरूक भी थे। इस पहलू पर विचार-विमर्श भी किया गया था और इस पर व्यापक सहमति भी बनी थी और इसके लिए कुछ निर्णय भी लिए गए थे। बेशक, भारत का विभाजन जिसने कई विवादों को जन्म दिया था, ने भी संस्थापकों को यह समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि भारत को एक मजबूत केन्द्र की जरूरत है।

अतः इस पृष्ठभूमि के खिलाफ किसी भी राज्य के लिए एक अलग ध्वज रखने की मांग एक सैद्धांतिक और प्रासंगिक तर्क की बजाय चुनावी प्रोत्साहन के तर्क पर आधारित है। यह न केवल संवैधानिक दृष्टि के खिलाफ है बल्कि भारत की एकात्मकता के विचार के खिलाफ भी है।

संविधान में प्रावधान

संविधान के तहत, सातवीं अनुसूची में एक ध्वज का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि अनुच्छेद 51(क) में निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करेगा और अपने आदर्शों और संस्थानों, ''राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान'' का सम्मान करेगा। भारतीय संविधान में राज्यों के लिए अलग झंडे की मनाही नही है लेकिन राज्यों के झंडे राष्ट्रीय ध्वज के सामने कम ऊँचाई पर फहराए जाएँगे।

संसद ने भी राष्ट्रीय ध्वज के उत्थान को विनियमित करने वाले कानून तैयार किए हैं। जो प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग की रोकथाम अधिनियम 1950) के रूप में मौजूद है। दूसरा राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 के अपमान की रोकथाम है। 1971 के अधिनियम के तहत किसी भी राज्य के खिलाफ अपना झंडा रखने पर कोई निषेध नहीं है। इस अधिनियम के तहत इसे जलाना, इसे विकृत करना, इसका अवरोधन आदि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना निषिद्ध है।

यहाँ तक की भारत कि ध्वज संहिता 2002 राज्य ध्वज पर प्रतिबंध लागू नहीं करता है। इसके विपरीत राष्ट्रीय जनता, निजी संगठनों शैक्षणिक संस्थाओं आदि द्वारा राष्ट्रीय झंडे के फहराने के प्रावधानों में, ध्वज संहिता स्पष्ट रूप से अन्य झंडे को फहराने के लिए इस शर्त के तहत अधिकृत करता है कि उन्हें राष्ट्रीय ध्वज या इसके मुकाबले अधिक ऊँचे स्थान से नहीं फहराया जाना चाहिए। अतः भारतीय संविधान में ध्वज को लेकर भाषाई स्पष्टता तो है पर वह किसी भी एक पक्ष की तरफदारी नहीं करता है।

निष्कर्ष

जब कोई राज्य अपने लिए एक अलग झंडे की मांग का विचार बड़ी कट्टरता और आक्रोश के साथ रखता है तो वह भारतीय राष्ट्रवाद के निर्माण करने के तरीके की दो अलग धारणाओं को इंगित करता है। कर्नाटक सरकार का यह प्रयास है कि अपने राज्य को अपना झंडा प्रदान किया जाए, जबकि इससे पहले भारतीय राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए इस बड़ी बहस पर विचार करना चाहिए। साथ ही हमें राष्ट्रवाद और राज्यवादी शब्दों में निहित उनके भावों को आमजन तक पहुंचाना चाहिए क्योंकि यहाँ राज्य और राष्ट्र (भारत के लिए) अलग-अलग अर्थ रखते हैं। गार्नर के अनुसार राज्य 4 चीजों से मिलकना बनता है जिनमें सम्प्रभुता, जनता, निश्चित क्षेत्रफल और सरकार शामिल है जबकि राष्ट्र शब्द राज्य के प्रति भावनात्मकता को प्रदर्शित करता है। इस मुद्दे के पश्चात् राष्ट्रवाद का यह दृश्य विरोधाभासों से भर गया है। झंडा किसी भी राज्य, राष्ट्रीय भावना के विपरीत तब हो सकता है जब लोगों की भावनाएँ राष्ट्रवाद से विमुख हो जाएँ। अतः हमें आम जन में राष्ट्रवादी भावनाओं को आत्मसात कराना होगा और ऐसा हम कर सकते हैं इसके लिए प्राथमिक स्तर से प्रौढ़ स्तर तक ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा और रोजमर्रा में राष्ट्रवाद के तत्वों को जोड़ा जाए और यदि हम ऐसा करने में सफल हो गए तो कनार्टक ही नहीं प्रत्येक राज्य के अलग-अलग झंडों का मुद्दा गौण हो जाएगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

सामाजिक सशक्तीकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

आंतरिक सुरक्षा के लिये चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका।

■

4. डिजिटल युग में उपभोक्ता संरक्षण

संदर्भ

सूचना प्रौद्योगिकी के नित्य नए खोज और डिजिटल क्रांति के फलस्वरूप उपभोक्ता का रूझान इंटरनेट की तरफ तेजी से बढ़ता दिख रहा है। क्लीनर पार्किंस द्वारा जारी एक सर्वे के मुताबिक भारतीय उपभोक्ता प्रति सप्ताह टीवी पर 4 घंटे और प्रिंट मीडिया पर 2 घंटे की तुलना में मोबाइल पर 28 घंटे खर्च कर रहें हैं।

परिचय

डिजिटल युग में उपभोक्ता सूचनाओं के अंबार से त्रस्त है। मनुष्य के साहचर्य का आवश्यक अंग बन चुके मोबाइल से लेकर कम्प्यूटर और अन्यत्र सभी सामाजिक उपस्थितियों में ब्रांडस की मौजूदगी इसकी व्यापकता का उदाहरण मात्र है। एक आकलन के मुताबिक एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास आज इंटरनेट है, वह सूचनाओं के इतने बड़े जाल से जुड़ा है जो आज से एक दशक पूर्व लंबी साधना के बाद भी एकत्रित होना संभव नहीं था। चूँकि उपभोक्तावाद का उद्देश्य, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा या प्रोत्साहन देना है ऐसे में सूचनाओं से संलिप्त बाजार और सामाचार का भेद बताने वाली रेखा को पहचानना कठिन हो गया है।

उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता की कमजोरियों का प्रत्यक्ष तौर पर उभर कर आना, उसकी जटिलता और संचार में प्रौद्योगिकी समावेश जिस तेजी से बढ़ा है, उतनी तेजी नियामक प्रयासों में देखने को नहीं मिलती है। प्लास्टिक मुद्रा से आगे बढ़कर डिजिटल मुद्रा के इस युग में जहां बड़ी आबादी को ऑनलाइन खरीदारी का अवसर चाहिए वही कुछ फीसदी लोगों को आज भी टेलीमार्केटर्स से माल और सेवाओं की खरीदारी बेहतर लगती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी को मिले निरंकुश आरंभिक विस्तार ने उपभोक्ताओं को तेजी से प्रभावित किया है। इसलिए उपभोक्ता की रक्षा करने वाले परंपरागत तरीके में त्वरित सुधार की अनिवार्यता पैदा हो गई है ताकि बेहतर कार्यशीलता और स्वस्थ डिजिटल बाजार को विकसित किया जा सके।

ऐसे में सूचनाओं को छांटना, डिजिटल पहचान की गोपनीयता को बनायें रखना और उपभोक्ता को बाजार के हाथों की कठपुतली ना होने देना ही उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा होगी। यही कारण है कि आज आकड़ों की गोपनीयता वैश्विक बहस का मुद्दा बन चुकी है।

वर्तमान परिदृश्य

वर्तमान समय में उपभोक्ता प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के क्रम में किस प्रकार उलझते चला जा रहा है इसे हम निम्नालिखित उदाहरणों के तहत देख सकते हैं।

टी०वी०

71वें एनएसएसओ शिक्षा पर सर्वेक्षण 2014 के अनुसार, केवल 6 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में कम्प्यूटर है जबकि बीआई (Bussiness Intelligence) सर्वे-2016 के अनुसार 16 प्रतिशत की वृद्धि दर से भारत में लगभग 78 करोड़ आबादी टीवी दर्शक हैं। अब ग्रमीण भारत में शहरों की तुलना में 17 प्रतिशत ज्यादा घरों में टीवी हैं। ऐसे में विज्ञापन और संचार को और सूक्ष्मता से प्रेषित करना संभव होगा। डीटीएच और

इंटरनेट टीवी का कन्वर्जेन्स हमारे टीवी देखने की पूरी परिपाटी को बदल देगा। ऐसे में सेटेलाइट टीवी और डीटीएच सेवा देने वाली कंपनियों और मूलभूत आवश्यकता बन रहे इस संचार तंत्र के मध्य गोपनीयता, वित्तीय और वैचारिक ईमानदारी और न्यायसम्म्त व्यापार सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी।

इंटरनेट

पिछले वर्षों के आंकड़े देखें तो मोबाइल का विस्तार टीवी से ज्यादा तेज हुआ है। जहां वैश्विक इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं की वृद्धि दर 10 प्रतिशत पर स्थिर रही, वहीं भारत में इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं की संख्या 2016 तक 28 प्रतिशत बढ़ कर 355 लाख तक हो गयी है जबकि इंटरनेट का प्रसार मात्र 27 प्रतिशत भू-आबादी तक ही है। यानी आने वाले दिनों में भारत विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार होगा। 46 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपभोगकर्त्ताओं के साथ भारत दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार है, जो चीन से पीछे है। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं के बड़े आधार के बावजूद, भारत में केवल 27 प्रतिशत लोगों ने ही 2016 में इंटरनेट का उपयोग किया।

विज्ञापन से दूर भागते उपभोक्ता का व्यवहार इंटरनेट पर भी नजर आता है। एड-ब्लॉक यानी विज्ञापन अवरोध या विज्ञापन फिल्टरिंग एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोगाम है, जो वेबपृष्ठ, वेबसाइट या मोबाइल एप से विज्ञापन सामग्री को निकाल या बदल सकती है। मोबाइल प्रयोगकर्त्ताओं के बीच इंटरनेट पर एड-ब्लॉकिंग यानी विज्ञापन-मुक्त ब्राउसिंग के मामले में भारत 28 प्रतिशत पहुंच के साथ इंडोनेशिया के बाद दूसरे स्थान पर है, जहां इंडोनेशिया की पहुंच 58 प्रतिशत है। जबकि एड-ब्लॉकिंग डेस्टटॉप पर मात्र 1 प्रतिशत ही पाई गयी। एड-ब्लॉक्स को उपभोक्ता अधिकार में शामिल करने के लिए विश्व स्तर पर प्रयासों में तेजी आई है और पिछले वर्ष की तुलना में इस साल 11 प्रतिशत की वृद्धि आई है।

मोबाइल फोन

मोबाइल फोन के हर हाथ तक पहुंच ने जहां सूचना क्रांति में केंद्रीय भूमिका निभाई, वहीं स्मार्टफोन ने कन्वर्जेन्स की दिशा में प्रौद्योगिकी क्रांति द्वारा बाजार की पहुंच को उपभोक्ताओं के जीवन और जीविका दोनों तक सुनिश्चित कर दिया।

परंतु इस दिशा में उपभोक्ता के अधिकारों की बहुत अनदेखी हुई है। चाहे वह कामर्सियल फोन कॉल को लेकर सख्ती हो, अनावश्यक एसएमएस द्वारा अनैतिक प्रचार हो, वैल्यू एडेड सेवाओं को उपभोक्ता पर जबरन लादने का प्रयोजित संकल्प हो, इंटरनेट आंकड़े की स्पीड और अबाध सेवाओं को सुनिश्चित करने का जिम्मा हो अथवा डीएनडी को सख्ती से लागू करने का प्रश्न, तंत्र इसको प्रभावशाली तरीके से लागू करने में विफल रहा है। आज भी प्रत्येक मोबाइल उपयोगकर्त्ता अवांछित एसएमएस को पूरी तरह रोक पाने में असमर्थ है। डीएनडी में रजिस्टर करने के उपरांत सेवादाता कंपनियों की ओर से प्रमोशनल मैसेज भले बंद हो जाते हों, किंतु बाजार में बल्क ई-मेल और बल्क मैसेज का व्यवसाय धड़ल्ले से अपना कारोबार कर रहे हैं।

ई-संसार: सामाजिक और वैयक्तिक मनोविज्ञान का सूक्ष्म अध्ययन अथवा उपभोक्ता मनोविज्ञान डिजिटल शाखा का एक तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है। इसका उद्देश्य यह अध्ययन करना है कि किस प्रकार हमारे विचार, उपभोक्ता मनोविज्ञान को बारीकी से समझकर, आंकड़े माइनिंग से अत्यंत प्रभावशाली और सटीक निष्कर्ष निकालने में कामयाब हो रहा है। व्यवसायों पर यह दबाव है कि वह अपने उपभोक्ताओं के लिए नित्य नए उत्पाद और प्रचार को विकसित करें, जो उनके लक्षित दर्शक वर्ग को लुभा सके। परंतु इसके सामानांतर एक समग्र उपभोक्ता चेतना का विकास भी हो रहा है। फेसक्रीम से गोरे होने वाले विज्ञापनों के प्रति अब समाज प्रतिकार करता दिख रहा है। इसी तितर-बितर चेतना को संग्रहित करना डिजिटल साक्षरता का उद्देश्य है। ग्रामीण उपभोक्ताओं के मध्य डिजिटल साक्षरता को सुनिश्चित करने के बाद ही एक सबल डिजिटल उपभोक्ता समाज की कल्पना की जा सकती है। ग्रामीण डिजिटल उपभोक्ता की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए उनकी परेशानियों को देखना होगा। पिछले कुछ वर्षों में, इंटरनेट पर ई-कॉमफ्रॉड के संगठित अपराध में वृद्धि हुई हैं। फ्रॉड कॉल से बैंक खातों की लूट हो अथवा ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर फ्रॉड के कम्प्लेन, साइबर अपराध आने वाले दशके में बड़ी चुनौती बन उभरने वाला है।

साइबर अपराध: 2014 के एक अध्ययन के हवाले से, विश्व बैंक 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साइबर अपराध की वैश्विक लागत का अनुमान 375 अरब डॉलर (2,512500 करोड़ रुपये) के बीच हुआ था। आंकड़े के बीच यानी आंकड़े में सेंध से होने वाले नुकसान की औसत प्रति व्यक्ति लागत भारत में 51 डॉलर से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका में 20 डॉलर तक है।

सूचना प्रौद्योगिकी बाजार के विस्तार में उपभोक्ताओं के हितों को लेकर अपेक्षित सुधारों पर अधिक जोर देना अब समय की अनिवार्यता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने अपनी 2016 की रिपोर्ट में यह बताया कि वर्ष 2015 में भारत में साइबर अपराध के 11,592 मामले दर्ज किए, जिससे 8,121 मामलों में गिरफ्तारियां हुई। अधिकांश मामले में वित्तीय ठगी के थे। विमुद्रीकरण के बाद साइबर अपराध में मात्र बढ़ोतरी ही नहीं हुई, बल्कि मोबाइल और डिजिटल वॉलेट इंटरनेट पर पॉकेटमारी जैसी स्थिति पैदा हो गई है और हमारी साइबर सुरक्षा बड़ी संख्या में हो रहे अपराधों पर नियंत्रण रखने में बेअसर है।

उपभोक्ता संरक्षण के लिए सरकारी पहल

अगर विस्तृत फलक पर देखा जाए तो इंटरनेट पर ब्लैकहैट कम्युनिटी पूरी शक्ति से सक्रिय है। यह समूह इंटरनेट पर मान्य नैतिक नियमों के सामानांतर एक सत्ता को सक्रिय रखता है। कुछ समय पहले अब तक के सबसे बड़े वायरस अटैक रैनसमवेयर को व्यवस्था में सेंध लगाते हुए देखा गया जिससे दुनिया भर के कंप्यूटर प्रभावित हुए और साइबर सुरक्षा के प्रति हमारी शिथिलता पर गहरा प्रश्न छोड़ दिया। आने वाले समय में इससे भी बड़े साइबर हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में हमें एक प्रभावशाली साइबर नीति के बारे में सोचना होगा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून, विशेष रूप से 2008 के संशोधन के बाद, साइबर आतंकवाद और बाल अश्लीलता को छोड़कर अन्य सभी साइबर अपराधों पर नरम हो जाता है क्योंकि वे सभी अपराध जमानती हैं इसलिए आरोपी जमानत पर बरी होकर साक्ष्यों से खिलवाड़ करने के लिए बाहर आ जाता है। इसी चुनौती को देखते हुए गृह मंत्रालय ने भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (आई 4 सी) की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। सरकार साइबर फोरेंसिक प्रशिक्षण-सह-प्रयोगशालाओं के निर्माण पर विचार कर रही है जिसका उद्देश्य साइबर अपराध को रिपोर्ट करने के लिए एक ऑनलाइन मंच स्थापित करना है ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता को मजबूत किया जा सके। सरकार और तंत्र की यह जिम्मेदारी है कि वह बाजार और उपभोक्ता के बीच एक ऐसी सामंजस्य बनाये रखे, जिससे उपभोक्ता का भविष्य सुरक्षित बना रहे।

आने वाले वर्षों में सरकार 15 अन्य देशों से द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रही है,

ताकि साइबर अपराध संबंधी आंकड़ो का साझा उपयोग कर भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-आईएन) नवीनतम साइबर खतरों और प्रतिवादियों के खिलाफ नियमित आधार पर चेतावनियां जारी कर आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। गौरतलब है कि आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस को लेकर विश्व के सभी प्रमुख देशों ने गंभीरता से कार्य करना शुरू कर दिया है। अमेरिका और चीन जैसे देश, अपने आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को लेकर रोज नई घोषणएं कर रहे हैं। इन देशों में आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस पर शोध और पेटेंट्स के लिए भारी बजट आवंटित किया जा रहा है।

24 अगस्त, 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में गोपनीयता के अधिकार को भारतीय संविधान के तहत संरक्षित मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया। नौ न्यायाधीश की खंडपीठ ने यह कहा कि गोपनीयता का अधिकार संविधान के भाग-3 में संरक्षित, जीवन के और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से पैदा होता है, और कुछ विशेष परिस्थितियों को अपवाद मानकर, प्रत्येक नागरिक की गोपनीयता सुरक्षित रखना सरकार का दायित्व है।

डेटा संग्रह और डेटा संरक्षण कुछ ऐसे खतरनाक क्षेत्र हैं जिनके बारे में सामान्य उपभोक्ता को जानकारी नहीं है। बीमा, बैंकिंग, विज्ञापन और सामान्य ई-कॉमर्स के क्षेत्रों में किसी भी विचार या अन्य प्रयोजनों के लिए उपभोक्ता के डेट स्टैम्प्स यानी विशेष दिनांकों का आंकड़े एकत्र और साझा करती हैं तथा उपभोक्ता को बिल के झटके, मुकदमेबाजी और अन्य कई मांगों पर जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उसके जानकारी की विश्वसनीयता और उपभोक्ता के पास नियामकों या किसी संस्थागत सहायता की पहुंच सुनिश्चित होना उसका मौलिक अधिकार होना चाहिए।

उपभोक्ता न्यायालयों की दशा और दिशा

इस गंभीर स्थिति को संज्ञान में रखते हुए, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2017 जिसका उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण तंत्र को मजबूत बनाने का है, को संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश किया गया। यह नया कानून, जो वर्तमान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का स्थान ले लिया। इस नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में भ्रामक विज्ञापन देने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाई की व्यवस्था होगी और उपभोक्ताओं की शिकायतों की समयबद्ध सुनवाई और त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकार की स्थापना की जाएगी। विधेयक में भ्रामक विज्ञापनों और ई कॉमर्स व्यापार के लिए दंड के प्रावधान होंगे।

आगे की राह

उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करने के लिए कई कदम उठाने होंगे जिससे कि उपभोक्ताओं के साथ कोई धोखाधड़ी न हो सके। इसको निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देख सकते हैं:

1. उपभोक्ता व्यापार, व्यापारी और उद्योगपति, इन सभी की रक्षा के लिए, उपलब्ध विकल्प को सतर्क दृष्टिकोण से अपनाना होगा। इस संक्रमणकालीन प्रक्रिया में अवसर और चुनौतियां, दोनों ही पैदा होंगी। संबंधित और प्रभावित लोगों का यह कर्तव्य है कि उपभोक्तावाद पर परिभाषाओं के विस्तार के लिए स्वयं को खुला रखें और आपदाओं से बचने के लिए होने वाली कार्रवाई पर सामूहिक चोट करें।
2. उपभोक्ता के अधिकारों को शिक्षा के क्षेत्र में भी अनिवार्य करने की आवश्यकता है। आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस के प्रादुर्भाव से मानव संसाधन और मानवीय कौशल को न्याय देना सरकार की जिम्मेदारी है। पिछले वर्षों में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जिस तरह का बदलाव देखने को मिला, उससे मानव संसाधन को न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता बढ़ जाती है। मैककिंसे एंड कंपनी के अध्ययन में पाया गया कि 60 प्रतिशत व्यवसायों में लगभग 30 प्रतिशत काम कम्प्यूटरीकृत किए जा सकते हैं। वर्तमान शोध यह भी बता रहे कि आने वाले सयम में वर्तमान में मौजूद 10 में 4 नौकरियां, आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस द्वारा निगली जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा को भविष्य-उन्मुख बनाये रखना भी उपभोक्ता अधिकार के लिए आवश्यक है।
3. आज अधिकांश निजी कंपनियां व सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाएं जैसे रेलवे और संचार आदि ग्राहक सेवा के लिए आईवीआर सेवाओं का उपयोग करती हैं। जो उपभोक्ता के लिए सुखद नहीं है और इसमें समय की भी खपत ज्यादा होती है। एआई के उपयोग से अत्याधुनिक ग्राहक सेवा सुविधा विकसित की जा सकती है, जो उपभोक्ता की अपनी भाषा में पूछे गए प्रश्नों अथवा शिकायत को अच्छी तरह समझकर उचित परामर्श व समाधान देने में सक्षम हो। भविष्य में, कृत्रिम शॉपिंग एजेंट उपभोक्ताओं की खोज और मूल्यांकन क्षमताओं को बढ़ाकर ई-कॉमर्स बाजार बदल सकते हैं। इन एजेंटों में मौजूदा बाजार संबंधों को बदलने की क्षमता, खुदरा विक्रेताओं की तरफ से उपभोक्ताओं को सलाह देने के बजाय, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की ओर से काम करेंगी।
4. शिक्षा के क्षेत्र में एआई का योगदान क्रांतिकारी साबित होगा। एआई की मदद से वर्तमान शिक्षण प्रणाली को बदलकर विद्यार्थी-उन्मुख बनाया जा सकता है, जहां विद्यार्थी अपने रूचि के अनुरूप ज्ञान संपदा का उत्खनन कर पाने में सक्षम होगा। सही मायने में शिक्षा का अर्थ तभी फलीभूत होगा, जब हमारी व्यवस्था किताबी न होकर नैसर्गिक गुणों के विकास को प्राथमिकता दे। हालिया दिनों में चर्चित ई-शिक्षा के साथ-साथ, एआई को सम्मिलित करते हुए पारस्परिक संवाद पर आधारित प्रणाली को विकसित करने पर भी जोर देना जरूरी है, ताकि एआई के पारंगत होने के लिए आवश्यक आंकड़े संकलित किया जा सके।
5. उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए जो कानून अमीर ग्राहकों और बड़े संस्थानों को नियंत्रित करते हैं वे बहुत जटिल होने के साथ-साथ प्रासंगिक भी नहीं वर्तमान समय में रोज नियम बढ़ते जा रहे हैं, मुकदमों की भरमार होती जा रही है, और कानूनी सेवाओं की लागत जीने की लागत से बहुत अधिक हो चुकी है। अदालतों तक पहुंच सैद्धांतिक रूप से तो खुली हो सकती है, परंतु व्यवहार में, अधिकांश लोगों को कानून से संतोषप्रद सेवा नहीं मिल पाती। न्याय पाने की लागत, मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं की जटिलताओं, कार्यवाही में शामिल लंबी और निराशाजनक देरी ने बड़ी आबादी को उनके कानूनी अधिकार से वंचित रखा है, जिससे जनता में आत्मविश्वास घटता जाता है।

अत: आवश्यकता इस बात की है कि न्यायिक सक्रियता को बढ़ाया जाये जिससे कि डिजिटल युग में उपभोक्ताओं को संरक्षण प्राप्त हो सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी- विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।

■

5. प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना

चर्चा का कारण

13 फरवरी 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में एलपीजी पंचायत का आयोजन किया। इस पंचायत का मुख्य उद्देश्य उज्जवला योजना के लाभार्थियों, तेल विपणन कंपनियों तथा योजना से जुड़े सभी हितधारकों को एक मंच पर लाना था। राष्ट्रपति भवन में हुई यह प्रथम “प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत” है। इस पंचायत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने सरकार को इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह पंचायत प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि गांव की महिलाएं जब चूल्हे पर कोयले या लकड़ी का इस्तेमाल कर खाना पकाती हैं तो उसका धुआँ उनकी आंखों और फेफड़ों को खराब कर देता है। उनकी आंखों की रोशनी तक चली जाती है। अस्थमा की बीमारी होना आम बात है। जो महिलाएँ एलपीजी से वंचित हैं उन्हें धुएँ का जहर पीना पड़ता है। बेटियाँ बीमार तो पड़ती ही हैं, जो समय वह खेलकूद, पढ़ाई-लिखाई में लगा सकती हैं वह लकड़ियाँ एकत्र करने में चला जाता है। उन्होंने कहा कि एलपीजी पर खाना पकाने से न सिर्फ समय बचता है बल्कि उस समय में दूसरे काम करने से परिवार की आमदनी भी बढ़ती है। राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि, उज्जवला योजना से अब तक तीन करोड़ 40 लाख लाभार्थी परिवार यानी 14-15 करोड़ लोग इन तकलीफों से मुक्ति पा चुके हैं। इस योजना का लक्ष्य बढ़ाकर आठ करोड़ कनेक्शन करने से 25 से 30 करोड़ लोागों तक इसका लाभ पहुँच पाएगा।

ज्ञातव्य हो कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 3 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए थे जिनमें से एक करोड़ परिवारों ने एक साल से अधिक समय बीत जाने पर भी दूसरा सिलेंडर नहीं लिया है। ऐसे में एलपीजी उपयोग को बढ़ाने तथा उज्जवला योजना को विस्तार देने के लिए राष्ट्रपति भवन से शुरूआत के बाद देश भर में एक लाख एलपीजी पंचायतों का आयोजन किया जाएगा

पृष्ठभूमि

केन्द्र सरकार ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के ‘बलिया’ जिले से प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरूआात की थी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल परिवार की महिला सदस्य को मुफ्त रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन प्रदान कराना था। इस योजना के तहत 5 करोड़ कनेक्शन दिए जाने थे जिसको अब वर्तमान में 8 करोड़ कर दिया गया है।

गरीब परिवार की महिला सदस्यों को मुफ्त रसोई गैस एलपीजी कनेक्शन देने की योजना के तहत सरकार ने 8000 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था और महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना था क्योंकि ‘वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन’ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 6 लाख मृत्यु सिर्फ और सिर्फ अशुद्ध ईधन के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले रोग से हुई है। कई कम उम्र के लोगों की मृत्यु भी इसमें शामिल हैं जिसके अन्तर्गत हृदय संबंधित विकार स्ट्रोक आदि बड़े कारण हैं। अत: इस योजना से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने में लाभ मिलेगा।

ग्रामीण क्षेत्र में खाना पकाने के लिए अक्सर चूल्हे पर लकड़ी या कोयला जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है जिससे निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण फैलता है अत: इस प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए भी प्रधानमंत्री उज्जवला योजना काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही एलपीजी से जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में कमी आएगी।

जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उज्जवला योजना लाई गई थी उसमें सरकार को सफलता तो प्राप्त हुई पर यह सफलता संतोषजनक नहीं हैं क्योंकि आज भी इस योजना के तहत करीब 3 करोड़ लोगों ने एलपीजी कनेक्शन तो लिया लेकिन वह लगभग डेढ़ साल से अधिक समय होने के पश्चात भी इसे दोबारा रिफिल करवाने के लिए नहीं गए इस प्रकार के मामले 1 करोड़ से भी अधिक हैं। अर्थात 3 करोड़ में से 35% परिवार एलपीजी उपयोग के लिए अभी पूर्णत: अभ्यस्त नहीं हो पा रहे हैं इसीलिए सरकार ने एलपीजी उपयोग को बढ़ाने तथा लोगों को इसके लिए ‘यूजटू’ बनाने तथा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के सम्पूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना की शुरूआत की है।

क्या है एलपीजी पंचायत योजना?

देश में एलपीजी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए (जिससे महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो जाए।) भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरूआत की थी उसी क्रम में लोगों को एलपीजी उपयोग के प्रति जागरूक करने हेतु प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना की शुरूआत की है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को उज्जवला योजना के तहत मिले मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना साथ ही आम जन को एलपीजी उपयोग हेतु जागरूक करना है ताकि 2019 तक 8 करोड़ परिवारों में एलपीजी उपयोग के लक्ष्य को हासिल किया जा सकें। इसके लिए देश भर में 1 लाख एलपीजी पंचायतों का आयोजन किया जाएगा। पंचायत का उद्देश्य तेल के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों गैर सरकारी संगठनों, आशा कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़कर उज्जवला योजना के लाभार्थियों से संबंधित मुद्दों और एलपीजी के पूरी तरह सुरक्षित होने के संदर्भ में व्याप्त गलत धारणाओं का समाधान करना है।

एलपीजी पंचायत कैसे कार्य करेगी?

उज्जवला योजना के तहत पहली बार एलपीजी का उपयोग कर रहे परिवारों में इनसे संबंधित जागरूकता, उनकी समस्याओं के समाधन तथा गैस के उपयोग से उनके जीवन में आए बदलाव के बार में जानकारी ली जाएगी। ‘एलपीजी पंचायत’, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर पाने वालों, एलपीजी वितरकों और एनजीओ के बीच परस्पर संवाद के मंच के रूप में कार्य करेगी। एक पंचायत में आस-पास के क्षेत्रों के करीब 100 एलपीजी ग्राहक दूसरों के साथ अपना अनुभव साझा करेंगे।

इन पंचायतों में सुरक्षित पद्धतियों, वितरक द्वारा प्रदान सेवा का गुणवत्ता, रिफिल सिलेण्डरों की उपलब्धता जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इसके साथ पंचायतों में हर क्षेत्र में काम कर रही

महिलाओं की मदद ली जाएगी इनमें आंगनवाड़ी समाजसेवा तथा राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएँ भी शामिल होंगी।

एलपीजी पंचायत महिलाओं के बीच आकर भी पंचायतों का आयोजन करेगी और इसके जरिए देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में भी जागरूकता बढ़ाने में यह मदद मिलेगी कि एलपीजी उनके द्वारा उपयोग में लाए जा रहे पारंपरिक ऊर्जा से सस्ता भी है और स्वच्छ भी। एलपीजी पंचायतों में यह बताया जाएगा कि एलपीजी का उपयोग स्वास्थ्य के लिए सुरक्षात्मक है और इससे किसी भी प्रकार का पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं फैलता है तथा यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक लक्ष्य भारत में अशुद्ध ईंधन पर खाना बनाने की वजह से होने वाली मृत्युदर में कमी लाना और अशुद्ध ईधन के दहन से हो रहे वायु प्रदूषण को रोकना भी था। अत: इस लक्ष्य को गति प्रदान करने में प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य करेगी।

प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना की आवश्कता क्यों?

देश के करीब 77 प्रतिशत अर्थात लगभग 21 करोड़ परिवार एलपीजी का उपयोग कर रहे हैं। इनमें से शहरों में करीब 100 प्रतिशत जबकि गांवों में 51 प्रतिशत परिवार एलपीजी का उपयोग कर रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय तथा भारत सरकार चाहती है कि देश के सभी परिवार को एलपीजी से युक्त किया जाए ताकि देश की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो और देश के परिवारों का स्वास्थ्य बेहतर रहे। उज्जवला योजना के तहत दिए गए 3 करोड़ कनेक्शन में से 35% परिवार अर्थात करीब 1 करोड़ से अधिक परिवारों ने अभी तक दूसरा सिलेण्डर नहीं लिया है अत: इनकों दोबारा सिलेण्डर को इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही सरकार के 2019 तक 8 करोड़ सिलेण्डर वितरण के लक्ष्य को पूरा कराना भी है।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना

यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अन्तर्गत मई 2016 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य 2019 तक बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एपलपीजी कनेक्शन प्रदान कराना है। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार, पात्र बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की वित्तीय सहायता भी देगी। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इस योजना के अन्तर्गत एलपीजी कनेक्शन घर की महिला के नाम पर जारी किए जाएगें। इस योजना के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों की पहचान सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के द्वारा की जाएगी। इस योजना के द्वारा रोजगार का भी सृजन किया जा सकेगा जिससे “मेक इन इंडिया” को भी बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना तथा प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना की चुनौतियाँ

सरकार ने इस योजना की शुरूआत करके नि:संदेह एक सराहनीय काम किया है लेकिन सरकार ने इससे पूर्व में शुरू की गई उज्जवला योजना की आवश्यकताओं का आत्ममंथन ठीक ढंग से नहीं किया है। बगैर आत्ममंथन के हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं खोज सकते इसी प्रकार किसी कार्य के लिए लाई गई योजना की सम्पूर्ण सफलता उसके ठीक ढंग से लागू कराने में हैं न कि उसके प्रतिउत्तर में उसी प्रकार की दूसरी योजना लाने में है। योजनाओं के आधिक्य से जरूरी है पूर्व की योजनाओं में व्याप्त चुनौतियों की पहचान और उनके समाधान। अगर हम प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के आशानुकूल परिणाम न मिल पाने कि चुनौतियों की चर्चा करें तो इसकी पहली और सबसे बड़ी चुनौती है एलपीजी के मूल्य की अधिकता। सरकार फ्री में सिलेण्डर तो प्रदान कर रही है लेकिन वहीं एलपीजी के दाम में निरंतर वृद्धि करती जा रही है। अत: एलपीजी के मूल्य में वृद्धि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र के लोगों में एलपीजी उपयोग के प्रति नकारात्मकता का भाव लाती है। दूसरी प्रमुख चुनौती सब्सिडी लीकेज की समस्या है साथ ही सब्सिडी को लक्षित करने के क्षेत्र में अनदेखी की समस्या। सरकार ने सब्सिडी के लिए, योजना के आधार से जुड़ी प्रत्यक्ष नगदी हस्तांतरण का तरीका अपनाया है। इस योजना में नगदी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाती है। ज्ञातव्य हो कि आज भी कई ग्रामीण और अति पिछड़े इलाकों के निवासियों का कोई भी बैंक खाता नहीं है। साथ ही बैंक उनके निवास से काफी दूरी पर हैं और एलपीजी विक्रेता की दुकाने भी शहरों में हैं जिस कारण गरीब लोगों को बार-बार किराया लगाकर जाना पड़ता है। जिससे सिलेण्डर की एकमुस्त लागत ज्यादा आ जाती है इसलिये गरीब लोग दोबारा सिलेण्डर को भराने ही नहीं जाते हैं।

एक प्रमुख चुनौती गरीबों के पहचान की है ताकि उनको सब्सिडी दी जा सके। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी के मामले में समुचित और प्रमाणिक आंकड़ों के अभाव में यह काम आसान नहीं है। सरकार ने सामाजिक आर्थिक, जातीय, गणना के आंकणों को आधार बनाया है लेकिन ये आंकड़े अपर्याप्त हैं जिससे पूरी तरह से उचित पात्रों को ये सिलेण्डर नहीं मिल पा रहे हैं। इसमें कई लोगों ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फायदा भी उठाया है।

एक प्रमुख समस्या वितरण चैनलों की संख्या में कमी तथा ग्रामीण क्षेत्रों व पिछड़े क्षेत्रों से अधिक दूरी पर स्थित होने की भी है। जिसकी वजह से लोग इस योजना का उचित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

एलपीजी सब्सिडी पर सरकार तेल कंपनियों को सब्सिडी आधारित गैस आपूर्ति से होने वाले घाटों की सीधी भरपाई करती है जिससे अनेकों समस्याएँ एक चक्रीय रूप धारण कर लेतीं हैं जैसे लीकेज की समस्या, भगुतान में देरी, तेल विवरण कंपनियों की वित्तीय क्षति तथा एलपीजी मूल्य निर्धारण और सब्सिडी सुधार के भविष्य से जुड़ी समस्याएँ। हालांकि सरकार ने इस योजना को प्रभावी बनाने तथा सब्सिडी की समस्या को कम करने के लिए गिव-इट-अप (Give-it-up) कैम्पेन के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी में बचाए गए पैसे का इस्तेमाल किए जाने का लक्ष्य रखा था। जो कुछ हद तक सफल भी हो सका।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना तथा प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना के भविष्य की सम्भावनाएँ

देश को एलपीजी उपयोग के प्रति पूर्ण निर्भर बनाने के लिए सरकार को बहुत से सकारात्मक सुधारों को अपनाना होगा जिसमें से पहला है एलपीजी मूल्य सुधार और सब्सिडी के क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को हल करना।

दूसरा प्रमुख कार्य योजना के लिए उचित पात्र की पहचान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की ताकि कोई भी अपात्र इस योजना का लाभ न ले सके। इसके लिए हमें सामाजिक, आर्थिक, जातीय गणना के आंकड़ों पर आधारित रहने से आगे बढ़ना होगा।

वितरण चैनलों को मजबूत बनाना होगा तथा इनको गांव के प्रत्येक इलाके से एक सहज पहुंच की दूरी पर स्थित करना होगा। योजना में दी जाने वाली सब्सिडी को बिना एलपीजी का दाम बढ़ाए कम करना होगा जिससे सरकार पर अत्यधिक बोझ कम हो सके। इसके लिए ‘गिव-इट-अप’ जैसे कैम्पेन को बढ़ावा देना होगा।

इस योजना की अत्यधिक सफलता प्राप्त करने हेतु लोगों को एलपीजी उपयोग के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करना होगा। लोगों को खास तौर पर पिछड़े और आदिवासीय क्षेत्रों के निवासियों को यह बताना होगा कि जीवाश्म ईंधन उनके तथा उनके परिवार के लिए अत्यधिक हानिकारक हैं और उन्हें एलपीजी मूल्य में भी रियायत देनी चाहिए ताकि वें इसे दोबारा रिफिल करा सकें।

साथ ही इस योजना के अन्तर्गत एलपीजी सप्लाई चैन का निर्माण करना होगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन किया जा सके।

जागरूकता के स्तर पर विभिन्न प्रचार माध्यमों और कठपुलती नृत्य, नुक्कड़ नाटक तथा पारंपरिक स्थानीय लोक कलाओं में इसको शामिल करना चाहिए और लोगों को यह बताना चाहिए कि लकड़ी या कोयले पर खाना बनाने से वायु प्रदूषण के साथ-साथ स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है।

निष्कर्ष

भारत सरकार 2019 तक लगभग 8 करोड़ परिवारों को एलपीजी से युक्त करना चाहती है। सरकार इस लक्ष्य को निःसंदेह प्राप्त कर सकती है यदि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की खामियों का मूल्यांकन करते हुए उनके समाधान को प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना में समाहित कर ले और उनको जमीनी स्तर पर लागू करें। इससे तो निश्चित ही हम एक स्वस्थ्य समाज और प्रदूषण मुक्त देश बनाने में काफी हद तक सफल हो जाएँगे। इसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रधानमंत्री एलपीजी योजना लाई गई है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएँ और उनके रक्षोपाय।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

6. रक्षा बजट और देश की सुरक्षा

चर्चा का कारण

अब सशस्त्र बल और भी अत्याधुनिक हथियारों से लैस होने जा रही है। सरकार ने 13 फरवरी, 2018 को सशस्त्र बलों के लिए कुछ आवश्यक हथियार खरीदने की योजना को मंजूदी दे दी है। रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में रक्षा खरीद परिषद ने 15,935 करोड़ के रक्षा सौदों को अपनी मंजूरी प्रदान की है। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को बेहतर निजी हथियार मुहैया कराने पर खास ध्यान दिया गया है। सरकार ने कहा कि इस लिस्ट में लाइट मशीन गन, असॉल्ट राइफल्स और स्नीपर राइफल्स आदि शामिल हैं। जिन हथियारों की खरीदारी होनी है, उसे ''फास्ट ट्रैक प्रक्रिया'' के माध्यम से हासिल की जायेगी। इसके अलावा रक्षा खरीद परिषद ने सेना के तीनों अंगों के लिए 12,880 करोड़ की लागत से 7.4 लाख असॉल्ट राइफल्स की खरीद को भी हरी झण्डी दे दी है। साथ ही परिषद ने सेना और वायुसेना के लिए 982 करोड़ में 5719 स्नाइपर राइफल्स की भी खरीद की अनुमति दी है। शुरूआत में इनका हथियार ही खरीदा जायेगा लेकिन बाद में इनका गोला बारूद देश में ही बनाया जायेगा। साथ ही डीआरडीओ के मारीच सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। मारीच सिस्टम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 850 करोड़ की लागत से नौ सेना के लिए तैयार करेगा।

पृष्ठभूमि

भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुख सेनाओं में से एक है। संख्या की दृष्टि से भारतीय थल सेना के जवानों की संख्या दुनिया में चीन के बाद सबसे अधिक है। जब से भारतीय सेना का गठन हुआ है, भारत ने दोनों विश्व युद्धों में भाग लिया है। भारत की आजादी के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ तीन युद्ध 1948, 1965 तथा 1971 में लड़े थे जबकि एक बार चीन से 1962 में भी भिड़ चुका है। इसके अलावा 1999 में एक अघोषित युद्ध, 'कारगिल युद्ध' पाकिस्तान के साथ लड़ा गया।

भारतीय सेना का एक गौरैवशाली इतिहास रहा है। जो विषम परिस्थितियों में भी देश की रक्षा और सुरक्षा के लिये तत्पर रहती है। आजाद भारतीय सेना की गौरैवमयी इतिहास की शुरूआत आजादी के बाद से ही हो जाता है। जैसे 23 अक्टूबर, 1947 को मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी कबाइलियों की ओर से किये गये हमले का भारतीय सेना द्वारा मुहतोड़ जवाब दिया गया।

भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की जंग की वजह कश्मीर विवाद से अलग गुजरात में मौजूदा कच्छ के रण की सीमा थी। 5 अगस्त, 1965 को भारत के 26,000 सैनिकों ने लाइनऑफ कंट्रोल को पार किया था। पाक की ओर से चलाया गया ऑपरेशन 'गैंड स्लैम' बुरी तरह से फेल हो गया था।

यह भारतीय सेना की वीरता नहीं तो और क्या है कि भारतीय सेना ने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करा दिया था। भारत ने ईस्ट पाकिस्तान में तेजी से वार कर तीन दिन में ही एयर फोर्स और नेवल विंग को तबाह कर दिया। इस वजह से ईस्ट पाकिस्तान की राजधानी ढाका मैं पैराट्रूपर्स आसानी से उतर गए जिसका पता जनरल एके नियाजी को 48 घण्टे बाद लगा। भारतीय सेना ने पैराट्रूपस की मदद से ढाका को ही घेर लिया, वहीं मुक्ति वाहिनी की मदद से भारतीय सेना, ईस्ट पाकिस्तान के बार्डर से अंदर तक घुस गई।

पाकिस्तानी सेना 1998 से ही कारगिल युद्ध करने की कोशिश में थी। इसके लिए उन्होंने अपने 5000 जवानों को कारगिल की चढ़ाई करने के लिए भेजा था। सरकार को खबर मिली थी कि पाकिस्तान ने कारगिल के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। दुश्मनों को अपनी जमीन से दूर भगाने के लिये भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय' शुरू किया। 8 मई को शुरू हुए इस युद्ध में 11 मई से इंडियन एयरफोर्स की एक टुकड़ी ने सेना की मदद करनी शुरू कर दी थी। लड़ाई के अहम 17 दिनों में हर रोज हर आर्टिलरी आर्म्स से एवरेज एक मिनट में एक राउंड फायर किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहली ऐसी लड़ाई थी, जिसमें किसी एक देश ने दुश्मन देश की सेना पर इतनी ज्यादा बमबारी की थी।

इन युद्धों के साथ-साथ भारतीय सेना ने दूसरे देशों में ऑपरेशन कर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। 1988 को मालदीव में किया गया ''ऑपरेशन कैक्टस'' हो या फिर 1987 में

श्रीलंका जाकर 'ऑपरेशन पवन' के तहत लिट्टे को खदेड़ने की बात हो प्रत्येक जगह भारतीय सेना उम्मीदों पर खरी उतरी है। तख्ता पलट की कोशिश के दौरान जब मालदीव कई देशों से मदद मांग रहा था तो भारत सरकार ने आर्मी और एयरफोर्स पर भरोसा करते हुए सिर्फ डेढ़ घण्टे में मदद पहुँचाई थी। 1984 में आर्मी ने सियाचनि में 'ऑपरेशन मेघदूत' के तहत पाकिस्तानी कब्जे की कोशिश को नाकाम किया था। जिसका असर ये हुआ कि आज तक पाक सियाचिन की ओर दोबारा निगाह नहीं उठा पाया है।

हैदराबाद का विलय, गोवा, दमन और दीव के विलय में भी इंडियन आर्मी ने इसी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया था।

वर्तमान में भी भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ सितंबर, 2016 में 'सार्जिकल स्ट्राइक' को अंजाम दिया। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में देर रात 2 से 4 के बीच सार्जिकल स्ट्राइक की थी जिनमें मुख्य रूप से 5 ये 7 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया था। इसमें 30 से 35 आतंकवादी मारे गये थे।

भारतीय सेना और बजट

वर्तमान सरकार सत्ता में आने के बाद रक्षा बजट 2014-15 में 2 लाख 29 हजार करोड़ रूपये कर दिया। रक्षा बजट में यह बढ़ोतरी पिछले वर्ष के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक थी। इसके अगले साल 2015-16 में भी 10% की वृद्धि कर रक्षा बजट 2 लाख 46 हजार करोड़ रूपये किया गया। 2016-17 में रक्षा बजट में कुल 9.3 प्रतिशत का इजाफा किया गया जो बढ़कर 2 लाख 74 हजार करोड़ हो गया जो कुल बजट राशि का 12.78 प्रतिशत और जीडीपी का 1.56 फीसदी था।

वर्तमान बजट 2018-19 पर ध्यान दें तो, वित्तमंत्री श्री अरूण जेटली ने रक्षा क्षेत्र के लिए 2.95 लाख करोड़ रूपये आवंटित किये हैं जो पिछले साल के 2.74 लाख करोड़ रूपये की तुलना में 7.81 प्रतिशत अधिक है। रक्षा बजट 2018-19 के लिये निर्धारित कुल 24, 42, 213 करोड़ रूपये के आवंटन का 12.10 प्रतिशत है। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि सरकार दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन कॉरिडोर विकसित करेगी। घरेलु रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्योग अनुकूल सैन्य उत्पादन नीति लेकर आयेगी।

वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के जरिए घरेलु उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग अनुकूल ''रक्षा उत्पाद नीति 2018'' भी लेकर आयेगी। उन्होंने आगे कहा कि रक्षा उत्पादन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदार बनाने के साथ-साथ निजी निवेश के द्वार खोल दिए गए हैं।

यदि दुनियाँ के दूसरे देशों की बात करें तो अमेरिका अपनी जीडीपी का 4 प्रतिशत, रूस 4.5 प्रतिशत, इजराइल 5.2 प्रतिशत, चीन 2.5 प्रतिशत और पाकिस्तान कुल जीडीपी का 3.5 प्रतिशत रक्षा क्षेत्र में धन का आवंटन करते हैं। वहीं अगर कुल बजट बात की जाए तो अमेरिका अपनी कुल बजट का 13 प्रतिशत, चीन 13 प्रतिशत , पाकिस्तान 14 प्रतिशत वहीं भारत का रक्षा बजट 12.78 प्रतिशत है।

भारत की रक्षा चुनौतियाँ

वर्तमान समय में भारतीय सेना बदलाव के दौर से गुजर रही है, सामरिक नीतियों में रक्षा क्षेत्र का महत्व बढ़ता ही जा रहा है भारत क्षेत्रीय शक्ति से वैश्विक शक्ति बनने की राह पर अग्रसर है। आज भारतीय सेना का विश्व में तीसरा स्थान है। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ चिंताएँ भी हैं। जो निम्न हैं:

- भारतीय सेना की चुनौतियों में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती चीन की है। चीन के 'घेरे की नीति', 'वन रोड वन बेल्ट की नीति, आदि। हाल ही में भारत चीन डोकलाम विवाद देखने को मिला। चीन हमेशा से अरूणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानने से इंकार करता रहा है। सैन्य विशेषज्ञ के हवाले से कहा गया है कि चीन अपने पश्चिमी थिएटर कमान की हवाई रक्षा व्यवस्था को उन्नत बना रहा है। जो सामरिक दृष्टि से भारत के लिए चिंता का विषय है।
- पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद, सीमा पर लगातार सीज फायर की घटनाएँ बढ़ रहीं हैं। 2017 में 820 बार पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। यह संख्या 2016 में 228 थी, 2015 में 152 थी। इसी प्रकार पाकिस्तान ने 310 बार भारतीय सीमाओं में घुसपैठ की कोशिश की। 2016 में 270, 2015 में 130 बार घुसपैठ की कोशिश की थी।
- पड़ोसी देशों के साथ-साथ आतंकवाद भी समय-समय पर चुनौति खड़े करते रहते हैं। नकसलवाद भी अपना सिर उठा रहा है।
- पिछले तीन सालों में सीमा पर तनाव बढ़ा है, पर इस अवधि में रक्षा मंत्रालय का कुल बजट लगातार घटा है, सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि इससे युद्ध के लिए चौकस रहने की सैन्य तैयारियों और सुविधाओं पर बुरा असर पड़ा है। 2018-19 का रक्षा बजट कुल जीडीपी का 1.56 प्रतिशत है। जो 1962 के चीन युद्ध के बाद से सबसे कम है। 2015-16 में 1.96 प्रतिशत और 2016-17 में 1.65 प्रतिशत था।
- गोलाबारूद के भंडारण के लिए सेना में मानक तय है पर अरसे से सेना में गोलाबारूद की भारी कमी चल रही है। कैग ने कई बार अपनी रिपोर्ट में सेना में गोलाबारूद की सतत् कमी पर सख्त टिप्पणी की है। अपनी टिप्पणी में कैग ने कहा है कि हथियारों की इतनी कमी है कि 10 दिन का युद्ध भी नहीं लड़ा जा सकता है।
- कई सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि दशकों से लालफिताशाही और मनमानी प्रवृत्ति के कारण सेनाओं का भारी नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार विदेश से जितने गोलाबरूद का आयात किया जाना था। उसका केवल 20 फीसदी ही आयात हुआ है।
- भारत में सैन्य उत्पादों से संबंधित कोई ठोस नीति नहीं बन पायी है अर्थात् 'मेक इन इण्डिया' के तहत सैन्य-साजो सामान का उत्पादन अपने मूल उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाया है और भारत को अपनी सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात करना पड़ता है। सीपरी के रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है।
- विभिन्न देशों के साथ समझौते और उनका समय से पूरा ना होना।
- पूराने लड़ाकू विमान तथा नये लड़ाकू विमानों से संबंधित विशेषज्ञों एवं प्रशिक्षण का अभाव आदि।
- रक्षा की संसदीय समिति ने ताजा रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय को पर्याप्त फण्ड न देने, सेना की ऑपरेशनल कमजोरियों को दूर करने और रक्षा खरीद को चुस्त न बनाने के लिए तीखी आलोचना की है।

आगे की राह

भारतीय सेना अपनी वीरता तथा अदम्य शाहस के लिये जानी जाती है। जो विकट परिस्थितियों में भी लड़ने के लिये तैयार रहती है हालांकि सरकार ने सेना के आधुनिकीकरण के लिए अनेक कदम उठाये हैं जो सराहनीय है। फिर भी वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए कुछ सुझाव निम्न हैं:

- चीन के घेरे की नीति, 'वन रोड वन बेल्ट' की नीति, डोकलाम विवाद, पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद, सीज फायर को देखते हुए भारत को अपनी रक्षा बजट को बढ़ाना होगा। जैसा कि रक्षा विशेषज्ञों को उम्मीद थी कि रक्षा बजट देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 1.72 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत करना चाहिए।
- थल सेना के लिए मिसाइलों एवं छोटे हथियार, नौ सेना के लिए युद्धपोतों, बहुउद्देश्यीय हेलिकॉप्टरों व विमान वाहक युद्धपोत और वायुसेना के लिए युद्धक विमानों की खरीद

को यथासंभव शीघ्र मंजूरी दिया जाना चाहिए।

- जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि 'मेक इन इण्डिया' का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है जिसका सामारिक और आर्थिक कारणों से आज के समय की आवश्यकता है। अर्थात् सरकार को मेक इन इंडिया के तहत आयुध निर्माण पर फोकस करने की जरूरत है जिससे भारत का आयुद्ध आयात कम हो। जिससे भारत आयुद्ध निर्माण में आत्मनिर्भर हो सके। अर्थात् हमें घरेलु उत्पादन को वरीयता देना होगा।
- हालांकि सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 100 प्रतिशत कर दी गई है। लेकिन इसके तहत आने वाली अड़चनों को दूर करने की आवश्यकता है।
- 2016 में रक्षा खरीद प्रक्रिया पॉलिसी की घोषणा की जा चुकि है पर अब तक अमल में नहीं लाया जा सका है। रक्षा खरीद प्रक्रिया पॉलिसी को अमल में लाने की आवश्यकता है।
- विभिन्न देशों के साथ किये गये रक्षा समझौतों को लागू करने पर जोर देना होगा। हाल ही में दक्षिण कोरिया के साथ माइंस वीपर्स निर्माण की योजना को टाल दिया गया है। इसके तहत गोवा शिपयार्ड की सहायता से 32 हजार करोड़ रूपए की लागत से 16 माइंस विपर्स का निर्माण किया जाना था।
- मेक इन इंडिया को चलते 72400 असॉल्ट राइफलों और 93,895 कारबाइन खरीदने का मामला अधर में लटका हुआ है। इस तरह की परियोजनाओं को शीघ्र अमल में लाने की जरूरत है।
- 13वें रक्षा प्लॉन (2017-22) को जल्द स्वीकृति दी जानी चाहिए। इसके तहत सेनाओं के रखरखाव और आधुनिकीकरण के लिए बात की गई थी।
- सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की जरूरत है तथा इससे संबंधित कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है।
- भारत में सैन्य उत्पादों से संबंधित ठोस नीति की आवश्यकता है अर्थात् मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- रक्षा की संसदीय समिति की ताजा रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय को दिये गये सुझाव के तहत पर्याप्त फण्ड मुहैया कराने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

सरकारी बजट।

सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबंधन-संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध।

■

---

7. ई-शासन आम जन का सशक्त हथियार

संदर्भ

सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई-गवर्नेंस या ई-शासन कहलाता है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएँ और सूचनाएँ आनलाइन उपलब्ध होती हैं। दूसरे शब्दों में ई-शासन एक ऐसी व्यवस्था है जिससे सरकारी काम-काज में पारदर्शिता के साथ-साथ सभी सेवायें जनसामान्य तक तत्काल पहुंचाई जा रही हैं। साथ ही जनहित गारंटी अधिनियम ने ई-गवर्नेंस में तेजी ला दी है, दफ्तरों में कर्मचारियों को समयसीमा में बाँध दिया गया है, जनहित के कार्यो के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, जिससे सरकारी कामकाज में लेटलतीफी और रिश्वतखोरी पर लगाम भी लगेगी।

ज्यादातर सरकारी योजनाओं की जानकारी आज इंटरनेट पर हिन्दी में उपलब्ध है। चाहे वह किसानों से संबंधित हो या मनरेगा से। आयकर भरने के साथ-साथ बिजली, पानी, फोन, बीमा आदि के लिए भुगतान करने से लेकर रोजगार के लिए फॉर्म भरने रिजल्ट देखने एवं आय-जाति निवास प्रमाणपत्र बनवाने जैसे काम-"ई-गवर्नेंस" के माध्यम से इंटरनेट द्वारा बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं। यहाँ तक कि अब सभी सरकारी अदालतों को भी ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे मुकदमों की तारीख के लिए भी आपको कोर्ट नहीं जाना होगा, जल्द ही संपत्ति की रजिस्ट्री और मकान के नक्शा पास कराने के काम भी घर बैठे ही होने लगेंगे।

पृष्ठभूमि

प्रशासन मे सूचना प्रौद्योगिकी का समुचित प्रयोग करना-ई-शासन का पर्याय है। लोक प्रशासन में इस प्रकार का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा कुछ कंप्यूटरों को लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़कर किया गया था। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क नामक यह परियोजना ही विस्तारित होकर वर्ल्ड वाइड वेब (www) का रूप ले चुकी है। अमेरिका में दिसम्बर 2002 में पारित ई-शासन अधिनियम-2002 के माध्यम से सूचना प्राद्योगिकी एवं जनता से लोक सेवाओं का एकीकरण हो चुका है। देश-विदेश में अधिसंख्य सरकारी विभागों, अभिकरणों तथा संगठनों की अपनी इंटरनेट वेबसाइटें खुल गई हैं। इन वेबसाइटों के माध्यम से सूचना सरकारी संगठन तुलनात्मक रूप से अधिक पारदर्शी, संवेदनशील और जनोन्मुख सिद्ध हो सकते हैं।

भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना 1970 में की और 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर की स्थापना की। यह भारत का ई-शासन के दिशा में पहला कदम था।

राष्ट्रीय ई-शासन या राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के जरिए ही भारत सरकार देश की सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रानिक माध्यमों के जरिए देश के आम नागरिक तक पहुँचाना चाहती है। इस योजना को साल 2006 में शुरू किया गया था और अभी तक सरकार इस योजना के लक्ष्यों को पाने में काफी हद तक कामयाब भी हो चुकी है। वहीं ये योजना भारत के इलेक्ट्रानिक्स, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रशासनिक सुधार एवं सार्वजनिक शिकायत विभाग द्वारा बनाई गई है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में प्रगति के साथ कई सार्वजनिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना संभव हो गया है। इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन के अनुमानों के मुताबिक, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों द्वारा 3500 से ज्यादा विभिन्न ई-सेवाएं दी जा रही हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (इनआईसी) के अनुमानों के अनुसार, केन्द्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों के 8000 से ज्यादा विभिन्न पोर्टल्स और वेबसाइटों की देख-भाल उसके द्वारा की जाती है।

भारत में ई-गवर्नेंस से सबसे अधिक लाभान्वित दूर-दराज के क्षेत्रों के लोग हो रहे हैं जिनके लिए ऐसी सुविधाएँ पारंपरिक रूप से पाना अत्यंत खर्चीला और समय लेने वाला था। इस दिशा में अभी शुरूआत हुई है तथा माना जा रहा है कि आने वाले समय में सभी मूलभूत सरकारी सुविधाएँ कंप्यूटर तथा मोबाइल के माध्यम से मिलने लगेंगी जिससे समय, धन तथा श्रम की बचत होगी तथा देश के विकास में योगदान मिलेगा।

लोक सेवा वितरण अधियिम

भारत सरकार ने नागरिकों को सामान सेवाओं की समयबद्ध अदायगी का अधिकार तथा उनकी शिकायत निवारण से संबंधित विधेयक, 2011

लोकसभा में पेश किया था। इस विधेयक में प्रत्येक नागरिक को वस्तु एवं सेवाओं के समयबद्ध वितरण, नागरिक चार्टर का अनिवार्य प्रकाशन, नागरिक निवारण तंत्र और चूक करने वाले अधिकारी को दंड तथा आवेदक को उतनी ही राशि का मुआवजा प्राप्त करने के अधिकार का प्रावधान था। हालांकि पंद्रहवीं लोकसभा के विघटन के साथ ही यह विधेयक समाप्त हो गया। माना जा रहा है कि एक नए कानून पर विचार किया जा रहा है।

ई-शासन के क्षेत्र में सरकारी प्रयास- केन्द्र सरकार की ओर से ई-शासन के विस्तारीकरण की दिशा में कई तरह की पहल की गई है। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि जिन राज्यों में अभी तक ई-शासन व्यवस्था को पूरी तरह से अमली-जामा नहीं पहनाया है वे जल्द से जल्द जनता से जुड़े राजस्व, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा नागरीय विकास व आवास तहसीलों, सब रजिस्ट्रार कार्यालय, राष्ट्रीय भूमि सुधार प्रबंधन परियोजनाओं सहित सभी विभागों में ई-शासन को लागू करने के साथ ही इससे आमजन को लाभान्वित करें। खासतौर पर लोगों को पंचायत स्तर पर भू-अभिलेख वाजिब लागत पर उपलब्ध कराया जाए, साथ ही इन अभिलेखों की ऑनलाइन उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। ज्यादातर राज्यों में यह व्यवस्था लागू भी हो चुकी है। कुछ स्थानों पर यह कार्य तेजी से चल रहा है और राज्य सरकारें अपने बजट के इस मद में भरपूर पैसे का इंतजाम कर रही हैं।

ई-गवर्नेंस के फायदे

- **कार्य में तेजी-** सभी महत्वपूर्ण सरकारी कामों को ऑनलाइन जोड़ने की वजह से हर तरह के कार्य में तेजी आई है। जहां किसी भी कार्य को करने में दो से तीन दिन लग जाते थे। वहीं अब वो काम केवल चंद घंटों में हो सकता है।
- **पारदर्शिता-** सभी कार्यों के ऑनलाइन होने से एक पारदर्शिता बन जाती है। जिसकी मदद से कोई भी कार्य गलत तरीके से नहीं हो सकता है। इनता ही नहीं हर सरकारी कार्य की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध होती है। ऐसे में कोई भी नागरिक आसानी से सरकार के कार्य के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है।
- **लागत में कटौती-** ई-गवर्नेंस की मदद से काफी चीजों पर आने वाले खर्चे में भी कटौती हुई है। उदाहरण के लिए जब आप किसी आवेदन को ऑनलाइन भरते हैं तो आपकों किसी भी तरह के कागज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, इसी तरह सरकारी दफ्तरों में भी कागजों के इस्तेमाल में कटौती आई है।
- **पर्यावरण के लिए लाभदायक-** जितने कम कागज का इस्तेमाल होगा उतने ही पेड़ों को बचाया जा सकेगा। पेड़ों को बचाने से हमारे पर्यावरण को और बेहतर बनाया जा सकेगा। इसलिए ई-गवर्नेंस का जो सबसे बड़ा लाभ है, वो हमारे पर्यावरण की रक्षा करना है।
- **जवाबदेही-** सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को पारदर्शिता मिलने के चलते सरकार की जवाबदेही बन जाती है। जिससे की सरकार का लोगों को जवाब देने का उत्तरदायित्व बन जाता है। ऐसे में कोई भी गलत कार्य होने की संभावनाएं कम होती है इतना ही नहीं सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों पर भी सही तरह से कार्य करने की जिम्मेदारी बन जाती है।
- **लोगो के लिए फायदेमंद-** ई-गवर्नेंस के कारण हर किसी नागरिक को कंप्यूटर का इस्तेमाल करना आ रहा है जिससे की हमारे देश के गांव के लोग भी कंप्यूटर की शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

ई-गवर्नेंस के नुकसान

- जिस तरह हर चीजों से कुछ लाभ और कुछ नुकसान होते हैं। उसी तरह से ई-गवर्नेंस के भी निम्नलिखित नुकसान हैं।
- **हर कोई लाभ नहीं उठा सकता-** हमारे देश की ज्यादातर आबादी अशिक्षित है, जिसके चलते वो ई-गवर्नेंस का फायदा चाहते हुए भी नहीं उठा सकती है। देश के अधिकतर लोगों को तो कंप्यूटर का प्रयोग करना भी नहीं आता है। ऐसे में और किसी पर अपने कार्य के लिए उन्हें निर्भर रहना पड़ता है।
- **पहुंच में कमी होना-** गांवों के लोगों को अभी तक ई-गवर्नेंस के बारे में सही से कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में अभी भी कई लोग इस सुविधा का इस्तेमाल करने से वंचित हैं।
- **इंटरनेट की सुविधा नहीं होना-** अभी तक हमारे देश में ऐसे कई गांव हैं, जहां पर अभी तक इंटरनेट की सुविधा को सरकार पहुंचाने में नाकाम रही है। ऐसे में ई-गवर्नेंस से देश के हर नागरिक को जोड़ने का सपना पूरा करना नामुमकिन है।
- **इंटरनेट का सुरक्षित ना होना-** इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अभी भी इंटरनेट एक सुरक्षित जरिया नहीं है। इसके माध्यम से किसी भी जानकारी को साझा करने में एक खतरा हमेशा रहता हैं। हमारे द्वारा साझा की गई जानकारी का फायदा कोई भी उठा सकता है।

आगे की राह

ई-शासन होने से उपज के रेट भी खुले रहेंगे। ऐसे में ग्राम पंचायत प्रतिनिधि अपने गांव के किसानों को इस बात से अवगत करा सकेंगे कि आज किस उपज का क्या रेट चल रहा है। ई-शासन व्यवस्था होने से ग्राम पंचायत पर चौपाल आयोजित करना काफी आसान हो गया है। ग्राम पंचायत प्रशासन अपने गांव के किसानों को प्रतिदिन की स्थिति से अवगत कराते हैं। उन्हें बताते हैं कि सरकार की ओर से किसानों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही किसानों की ओर से पूछे जाने वाले सवालों का भी तत्काल निस्तारण किया जा सकता है।

ई-शासन व्यवस्था होने से ग्राम पंचायत प्रतिनिधि ग्राम पंचायत भवन में बैठकर यह तय कर सकते हैं कि किस विभाग में और किस पद के लिए भर्ती निकली है। ऐसे में वे अपनी ग्राम पंचायत के बेरोजगारों को संबंधित पद के लिए आवेदन भरने हेतु प्रोत्साहित कर सकेंगे। ऐसे में एक तरफ जहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा वहीं ग्राम पंचायत की छवि जनता के बीच बेहतर बनेगी। इसी तरह प्राइवेट कंपनियों में भी रोजगार खोज सकते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर अक्सर भूमि विवाद के मामले सामने आते रहते हैं। ई-शासन व्यवस्था होने से विवाद की स्थिति में तुरंत ग्रामीणों को उनकी भूमि की स्थिति से अवगत कराकर ग्राम पंचायत प्रशासन, विवाद का हल निकाल सकता है। क्योंकि ई-शासन की व्यवस्था होने से किसानों के खेती संबंधी सभी रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड किए जा रहे हैं। इन सभी विशेषताओं के बावजूद ई-शासन प्रणाली का फायदा पूरी तरह से तभी मिल पायेगा। जब हमारे देश की गरीब, पिछड़ी जनता भी शिक्षित तथा कंप्यूटर का प्रयोग करना जान जाएगी। इंटरनेट का प्रयोग ग्रामीण इलाके विशेषकर पिछड़े तथा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सुनिश्चित हो पायेगा। इसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति की जागरूकता के अलावा सरकार को यह भी तय करना होगा कि किसी भी व्यक्ति को निजी जानकारी का अनावश्यक दुरूपयोग न हो सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत अन्य उपाय।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का वर्तमान परिदृश्य

प्र. हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को 50 प्रतिशत तक करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का परिचय देते हुए बतलाएँ कि, यह किसानों के लिए किस प्रकार लाभदायक है? इसका सविस्तार चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आवश्यकता क्यों?
- प्रधानमंत्री फसल बीमा का उद्देश्य।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विशेषताएं।
- सरकारी पहल।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की चुनौतियाँ।
- निष्कर्ष।

चर्चा का कारण

- भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए एक पेशेवर टीम के निर्माण की घोषणा की है।
- अब इस योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाकर 50 फीसदी तक करने की घोषणा की गई है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे 13 फरवरी 2016 को शुरू किया गया था।
- इस योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों को उनके फसलों की बीमा बहुत ही कम प्रीमियम दर पर कराया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत फसल के खराब होने पर किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराया जाता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आवश्यकता क्यो?

- भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी बहुत बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। लेकिन देश में कृषि मानसून पर निर्भर होने के कारण घाटे का सौदा बन गई है।
- मौसम की अनिश्चितता के कारण सूखा,बाढ़ आदि जैसी समस्याएं किसानों के सामने हर समय विद्मान रहती है। कई बार तो किसान कर्ज और नुकसान के बोझ तले आत्महत्या कर लेते हैं।
- किसानों को इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े इसलिए इस योजना की आवश्यकता महसूस की गई।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य

- इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए नए-नए उपकरणों का प्रयोग अमल में लाया जाएगा जिससे किसानों को कृषि के क्षेत्र में आधुनिक बनाया जा सके।
- कृषि क्षेत्र में व्याप्त अनिश्चितता को देखते हुए किसानों को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा।
- कृषि क्षेत्र को रोजगारपरक बनाया जाएगा जिससे कि किसान खेती से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें और लोगों की रूचि खेती की तरफ बढ़े।
- कृषि क्षेत्र में किसानों को ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विशेषताएं

- इस योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2% रबी के लिए 1.5% तथा वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए 5% की दर से बीमा किस्त देनी होगी।
- इस योजना के अंतर्गत प्राप्त लाभ पर किसानों को किसी भी तरह से सर्विस टैक्स नहीं देना होगा।
- जिन किसानों ने बैंक से कर्ज नहीं लिया है वे भूमि रिकार्ड, अधिकार, भूमिकब्जा प्रमाणपत्र आदि दस्तावेज प्रस्तुत करके योजना का लाभ ले सकते हैं।
- एक बार फसल नष्ट होने की पुष्टि हो जाने पर क्लेम की गई राशि का 25% हिस्सा किसान के खाते में डिपॉजिट कर दिया जाता है।

सरकारी पहल

- सरकार द्वारा कवरेज सीमा को 40% से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 50% की घोषणा कर दी गई है।
- इस योजना में बीमा कंपनियों की लागत लगभग 11% है जिसे केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन कर रही हैं।
- केंद्र ने राज्यों को अपने नियमों में संशोधन करने का आदेश दिया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की चुनौतियाँ

- बजट, केंद्र-राज्य के बीच सामंजस्य, भ्रष्टाचार, जागरूकता, फसल नुकसान का सही माप आदि इस योजना की प्रमुख चुनौतियाँ हैं।

आगे की राह

- बजट का ठोस प्रबंध करना होगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना होगा, योजना के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी, तकनीकि ढांचा और तकनीकी शिक्षा का प्रसार करना होगा, किसानों को भी सरकार को सहयोग करना होगा आदि।

निष्कर्ष

केंद्र सरकार 2022 तक किसानों के आय को दोगुना करना चाहती है जिसके लिए इस तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन आवश्यक है। देश के किसान

और सरकार को साथ मिलकर चलना होगा जिससे खेती एक लाभ का सौदा बन सके और किसान देश को विकसित बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। ■

2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम : परिवर्तन एवं सुधार

प्र. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की परिभाषा में बदलाव किया है। यह बदलाव किस प्रकार व्यापार करने में सहुलियत तथा रोजगार के लिए लाभप्रद होगा? मूल्यांकन करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण।
- पृष्ठभूमि।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006।
- भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 में संशोधन।
- संगठनात्मक ढाँचा।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए प्रापण नीति।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 7 में संशोधन।
- संशोधन से लाभ।
- निष्कर्ष।

चर्चा का कारण

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के वर्गीकरण के आधार में बदलाव को मंजूरी दी है।
- इसे 'संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरण में निवेश' से बदलकर 'वार्षिक कारोबार' में बदलने का प्रस्ताव है।

पृष्ठभूमि

- लघु व कुटीर उद्योग की वैज्ञानिक परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए किये जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। समय के साथ-साथ निवेश की सीमा भी बदलती रही है।

सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006

- यह अधिनियम इन उद्यमों के विकास को सरल एवं कारगर बनाने और उनकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने का प्रयास करता है।

भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 में संशोधन

- इस संशोधन के पश्चात, 9 मई 2007 को पूर्ववर्ती लघु उद्योग मंत्रालय तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग का विलय करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (सूलमउ मंत्रालय) बनाया गया।

संगठनात्मक ढाँचा

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के पास दो प्रभाग है नामत: लघु और मध्यम उद्यम (एमएसई) प्रभाग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग (एआरआई) प्रभाग।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए प्रापण नीति

- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए एक सार्वजनिक प्रापण नीति मार्च, 2012 में अधिसूचित की गई थी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा 7 में संशोधन तथा लाभ

- इस संशोधन की मुख्य विशेषताओं तथा इससे कारोबार एवं रोजगार के क्षेत्र में होने वाले फायदे को दर्शाएँ।

निष्कर्ष

सरकार द्वारा सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की परिभाषा में बदलाव से कारोबार एवं रोजगार के क्षेत्र में दूरगामी सकारात्मक परिणाम निकलने की संभावना है। ■

3. भारत में राज्यों के लिए अलग राज्य-ध्वज की तर्कसंगतता

प्र. भारत में राज्यों द्वारा अलग ध्वज की मांग भारतीय एकता और राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करता है, विश्लेषण कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा में क्यों।
- पृष्ठभूमि।
- संविधान में ध्वज के लिए प्रावधान।
- पक्ष में तर्क।
- विपक्ष में तर्क।
- निष्कर्ष।

चर्चा में क्यों- हाल ही में कर्नाटक राज्य ने अपनी वर्षों से चली आ रही एक अलग राज्य ध्वज की मांग को पुनर्जीवित किया है।

- वर्तमान में कर्नाटक राजय के मुख्यमंत्री द्वारा पिछले वर्ष राज्य ध्वज के निर्माण के लिए एक 9 सदस्यीय समिति गठित की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है।
- समिति की रिपोर्ट ने राज्य-ध्वज के निर्माण के लिए हरी झंडी प्रदान की।

पृष्ठभूमि

- राज्य ध्वज की मांग का यह पहला मामला नहीं है इससे पहले जम्मू-कश्मीर को संविधान के तहत एक अलग ध्वज और अन्य विशेष सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।
- अब जम्मू-कश्मीर के अलावा कर्नाटक और नागालैण्ड ने संविधान की धारा 371 के तहत अपने राज्य का अलग झंडा हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
- 1960 में कर्नाटक के झंडे का डिजाइन रामामूर्ति द्वारा तैयार किया गया था।
- कर्नाटक की स्थापना दिवस पर प्रतिवर्ष यह झंडा फहराया जाता रहा है।
- कर्नाटक द्वारा 9 सदस्यीय समित का गठन।

संविधान में राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रावधान

- संविधान के अनुच्छेद 51 (क) में मूल कर्तव्यों के तहत राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान करने की बात की गई है।
- संसद ने भी राष्ट्रीय ध्वज के 'अनुचित प्रयोग रोकथाम अधिनियम 1950' बनाया है।
- भारत की ध्वज संहिता 2002 राज्य ध्वज पर प्रतिबंध लागू नहीं करती है।

पक्ष में तर्क

- जब जम्मू-कश्मीर में अलग झंडा हो सकता है तो देश के दूसरे राज्य ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं।
- देश के संविधान में राज्यों के लिए अलग झंडे की मनाही नही है।
- अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों के अपने राज्यों के अपने अलग झंडे है।

विपक्ष में तर्क

- इससे राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवादी भावना को खतरा हो सकता है।
- भारत के संघीय ढांचे में कमजोरी का समावेश हो सकता है।
- भारत में अक्सर एक मजबूत केन्द्र की वकालत की जाती रही है यह इस संकल्पना को भी कमजोर करता है।

निष्कर्ष

भारत में राज्यों के अलग झंडे भारत की एकता, संघीयता और एकात्मकता को मजबूती प्रदान करेगा या कमजोर करेगा, यहाँ इस बात का हल ढूंढने की बजाय यहाँ के निवासियों में राष्ट्रवाद के मूल्यों का बीजारोपण किया जाना जरूरी है। जब लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएँ गहराई में समाई होंगी तब राज्य के लिए अलग झंडे हों या न हों का मुद्दा खुद ब खुद गौंण हो जाएगा। ■

4. डिजिटल युग में उपभोक्ता संरक्षण

प्रश्नः डिजिटल युग में उपभोक्ताओं का रूझान जिस तेज गति से इंटरनेट की तरफ बढ़ रहा है उससे भी तेजी से उनकी सुरक्षा की चिंता बढ़ रही है। यदि सही समय पर सही कदम नहीं उठाए गए तो उपभोक्ताओं को अत्यधिक हानि हो सकती है। आप इससे कितना सहमत हैं? चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- संदर्भ।
- परिचय।
- वर्तमान परिदृश्य।
- उपभोक्ता संरक्षण के लिए सरकारी पहल।
- आगे की राह।

संदर्भ

- क्लीनर पार्किंस द्वारा जारी एक सर्वे के मुताबिक भारतीय उपभोक्ता प्रति सप्ताह टीवी पर 4 घंटे और प्रिंट मीडिया पर 2 घंटे की तुलना में मोबाइल पर 28 घंटे खर्च कर रहे हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी के नित्य नए खोज और डिजिटल क्रांति के फलस्वरूप उपभोक्ताओं का रूझान इंटरनेट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है।

परिचय

- डिजिटल युग में उपभोक्ता सूचनाओं के अंबार से त्रस्त हैं।
- उपभोक्ता की कमजोरियों का प्रत्यक्ष तौर पर उभर कर आना, उसकी जटिलता और संचार में प्रौद्योगिकी समावेश जिस तेजी से बढ़ा है उतनी तेजी नियामक प्रयासों में देखने को नहीं मिलती है।
- सूचनाओं को छांटना, डिजिटल पहचान की गोपनीयता को बनाये रखना और उपभोक्ताओं को बाजार के हाथों की कठपुतली नहीं होने देना ही उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा होगी।

वर्तमान परिदृश्य

- 71वें एनएसएसओ सर्वेक्षण 2014 के अनुसार केवल 6% ग्रामीण परिवारों में कम्प्यूटर है जबकि बीआई सर्वे-2016 के अनुसार 16 प्रतिशत की वृद्धि दर से भारत में लगभग 78 करोड़ आबादी टीवी दर्शक हैं।
- भारत में इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं की संख्या 2016 तक 28% से बढ़ कर 355 लाख तक हो गयी है जबकि इंटरनेट का प्रसार मात्र 27% भू-आबादी तक ही है।
- विश्व बैंक 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साइबर अपराध की वैश्विक लागत का अनुमान 375 अरब डॉलर और 575 अरब डॉलर के बीच लगाया गया था।

सरकारी पहल

- साइबर अपराध की चुनौतियों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने भारतीय साइबर क्राइम को आर्डिनेशन सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव दिया है।
- 24 अगस्त 2017 को, सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में गोपनीयता के अधिकार को भारतीय संविधान के तहत संरक्षित मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है।

आगे की राह

- उपभोक्ता के अधिकारों को शिक्षा के क्षेत्र में अनिवार्य करने की आवश्यकता है क्योंकि आर्टफीसियल इंटेलिजेंस के प्रादुर्भाव से मानव संसाधन और मानवीय कौशल को न्याय देना सरकार की जिम्मेदारी है।
- वर्तमान में नियम बढ़ते जा रहे हैं, मुकदमों की भरमार है, अदालतों तक पहुंच सैधांतिक रूप से तो खुली हो सकती है परंतु व्यवहार में कानूनी सेवा नहीं मिल पा रही है अतः इसमें सुधार की आवश्यकता है। ■

5. प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना

प्र. 'प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना' 'प्रधानमंत्री उज्जवला योजना' की अनुपूरक योजना है। इस कथन के संदर्भ में प्रधानमंत्री एलपीजी योजना के लक्ष्यों को रेखांकित कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण।
- पृष्ठभूमि।

- क्या है एलपीजी पंचायत योजना?
- एलपीजी पंचायत कैसे काम करेगी?
- प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना की आवश्यकता क्यों?
- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना।
- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना तथा प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना की चुनौतियाँ।
- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना तथा प्रधानमंत्री एलपीजी योजना के भविष्य की संभावनाएँ।
- निष्कर्ष।

चर्चा का कारण

- 13 फरवरी 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में प्रथम एलपीजी पंचायत योजना का आयोजन किया।
- प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की एक परिपूरक योजना है जिसका लक्ष्य लोगों को एलपीजी उपयोग के प्रति सहज बनाना है। इसके लिए देश भर में 1 लाख पंचायतों का आयोजन किया जाएगा।

पृष्ठिभूमि

- केन्द्र सरकार ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरूआत की थी।
- इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी सिलेण्डर प्रदान कराना था।
- इस योजना के अन्तर्निहित लक्ष्यों में बहुत से लक्ष्य शामिल थे जैसे लोगों की जीवाश्म ईंधन के प्रति निर्भरता को कम करना तथा परिवारों के खास तौर पर महिलाओं की स्वास्थ्य की सुरक्षा और पर्यावरण (वायु प्रदूषण) सुरक्षा इत्यादि।
- इसके तहत 3 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए जिनमें से लगभग 35% लोगों ने एक साल से अधिक समय बीत जाने पर भी सिलेण्डर को दोबारा रीफिल नहीं कराया है।

क्या है एलपीजी पंचायत योजना?

- देश में एलपीजी उपयोग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एलपीजी पंचायतों का आयोजन देश भर में किया जाएगा।
- उज्जवला योजना के तहत 2019 तक 5 करोड़ परिवारों को सिलेण्डर प्रदान कराने के लक्ष्य में भी यह पंचायत सहायक होगी।

एलपीजी पंचायत कैसे कार्य करेगी?

- यह प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत एलपीजी सिलेण्डर पाने वालों, एलपीजी वितरकों और एनजीओं के बीच परस्पर संवाद के मंच के रूप में कार्य करेगी।
- इसके साथ पंचायतों में हर क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं की मदद ली जाएगी, इनमें आंगनवाड़ी समाजसेवी तथा राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएँ भी शमिल होंगी।

प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना की आवश्यकता क्यों?

- देश में सभी परिवारों को एलपीजी युक्त करने के लिए।
- महिलाओं और उनके परिवारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु।
- सरकार के 2019 तक 8 करोड़ सिलेण्डर वितरण के लक्ष्य को पूरा बनाने हेतु।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना

- यह भारत सरकार द्वारा मई 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों की महिला को मुफ्त में एलपीजी सिलेण्डर प्रदान किया जाना था।
- उचित लाभार्थियों के पहचान की चुनौती।
- वितरण चैनलों को मजबूत बनाने की चुनौती।
- सब्सिडी से सरकार पर बढ़ने वाली बोझ की चुनौती।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना तथा प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना के भविष्य की संभावनाएँ

- एलपीजी के मूल्य में सुधार किया जाए साथ ही सब्सिडी के क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को दूर किया जाए।
- उचित परिवारों की पहचान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए।
- वितरण चैनलों को मजबूत बनाया जाए।
- इस योजना के अन्तर्गत एलपीजी सप्लाई चैन का निर्माण करना होगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हो सके।

निष्कर्ष

अतः निःसंदेह हम कह सकते हैं कि 'प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना' प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की अनुपूरक योजना है जो देश को एलपीजी उपयोग के प्रति सहज बनाते हुए जीवाश्म ईधन पर निर्भरता को कम करेगी।

■

6. रक्षा बजट और देश की सुरक्षा

प्र. हाल ही में रक्षा खरीद परिषद ने रक्षा खरीद सौदों के लिए 15,935 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है। ये मंजूरी वर्तमान भारतीय सेना के समक्ष मौजूदा चुनौतियों के लिए कितना कारगर साबित होगी?

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण।
- पृष्ठभूमि।
- भारतीय सेना और बजट
- भारत की रक्षा चुनौतियाँ।
- आगे की राह।

चर्चा का कारण

- सरकार ने 13 फरवरी, 2018 को सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक हथियार खरीदने की योजना को मंजूरी दे दी है।
- सरकार ने कहा है कि इस लिस्ट में लाइट मशीनगन, असॉल्ट राइफल्स और स्नीपर राइफल्स आदि शामिल हैं।
- डीआरडीओ के मारीच सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है।

पृष्ठभूमि

- जब से भारतीय सेना का गठन हुआ है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ तीन युद्ध 1948, 1965 तथा 1971 में लड़े। जबकि एक बार चीन से 1962 में भी भिड़ चुका है तथा 1999 में कारगिल युद्ध फतह किया।
- भारतीय सेना ने दूसरे देशों में ऑपरेशन कर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। जैसे-1988 में ऑपरेशन कैकटस (मालदीव) 1987 में ऑपरेशन पवन (श्रीलंका) 1984 में ऑपरेशन मेघदूत, सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक आदि की चर्चा करें।

भारतीय सेना और बजट

- वर्तमान सरकार ने रक्षा बजट 2014-15 में 2 लाख 29 हजार करोड़, 2015-16 में 2 लाख 46 हजार करोड़, 2016-17 में 2 लाख 74 हजार करोड़ तथा 2018-19 में 2.95 हजार करोड़ का आवंटन किया है।
- वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के माध्यम से घरेलु उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग अनुकूल रक्षा उत्पाद नीति 2018 भी लेकर आयेगी।

भारत की रक्षा चुनौतियाँ

- भारतीय सेना की चुनौतियों में सबसे महत्वपूर्ण चीन और पाकिस्तान की हैं। जैसे चीन की घेरे की नीति, वन रोड वन बेल्ट की नीति, भारत चीन डोकलाम विवाद आदि। पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद, बढ़ते सीजफायर, भारीय सीमा में घुसपैठ की घटनाएँ आदि की चर्चा करे।
- भारतीय सेना में भारी गोला बारूद की कमी, भारत में सैन्य उत्पादों से संबंधित कोई ठोस नीति का ना होना, विभिन्न देशों के साथ समझौतों को समय से पूरा न होना, रक्षा संसदीय समिति की चिंताजनक रिपोर्ट, भ्रष्टाचार, विशेषज्ञों की कमी आदि की चर्चा करें।

आगे की राह

- पड़ोसी देशों (चीन, पाकिस्तान) की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा बजट 1.72 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत करने की आवश्यकता है।
- सरकार को मेक इन इंडिया के माध्यम से आयुद्ध निर्माण पर ध्यान देना होगा। अर्थात् घरेलु उत्पादन को वरीयता देना होगा।
- सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार, 13वें रक्षा योजना की स्वीकृति, सैन्य उत्पादों से संबंधित ठोस नीति की आवश्यकता, विभिन्न देशों के साथ किये गये समझौतों आदि की चचा करें।

■

7. ई-शासन आमजन का सशक्त हथियार

प्र. ई-शासन क्या है? यह व्यवस्था भारत में सरकारी काम-काज में पारदर्शिता के साथ-साथ सभी सेवाओं तक जनता के पहुँच को सुनिश्चित करने में कितना सफल रही है। समीक्षा करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- संदर्भ।
- पृष्ठभूमि।
- लोक सेवा वितरण अधिनियम।
- ई-शासन के क्षेत्र में सरकारी प्रयास।
- ई-शासन के फायदे।
- ई-शासन के नुकसान।
- आगे की राह।

संदर्भ

भारत में ई-शासन सुशासन (अच्छे शासन) का पर्याय बनता जा रहा है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभाग नागरिकों, व्यापारियों और सरकारी संगठनों को ही नहीं ब्लकि समाज के हर वर्ग को सूचना और प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न सेवायें प्रदान कर रहे हैं।

पृष्ठिभूमि

प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना ई-शासन का पर्याय है। लोक प्रशासन में इस प्रकार का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा 1969 में किया गया था। भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रानिक विभाग की स्थापना 1970 में और 1977 में नेशनल इंफार्मेटिंक सेंटर की स्थापना भारत का ई-शासन के दिशा में पहला कदम था।

लोक सेवा वितरण अधिनियम

भारत सरकार ने नागरिकों को सामान सेवाओं की समयबद्ध अदायगी का अधिकार तथा उनकी शिकायत निवारण से संबंधित विधेयक, 2011 में लोकसभा में पेश किया गया था।

ई-शासन के क्षेत्र में सरकारी प्रयास

केन्द्र सरकार की ओर से ई-शासन के विस्तारीकरण के लिए सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है। ज्यादातर राज्यों में यह व्यवस्था लागू भी हो चुकी है।

ई-शासन के फायदे

सभी महत्वपूर्ण सरकारी कार्यो को ऑनलाइन जोड़ने की वजह से जहाँ कार्यो में तेजी आई है वहीं पारदर्शिता के साथ ही लागत में कटौती तथा पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।

ई-शासन के नुकसान

ई-शासन का फायदा, अशिक्षित, ग्रामीण जनता उठाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है। अभी बहुतायत आबादी इंटरनेट के प्रयोग से वंचित है। इसके अलावा इंटरनेट एक सुरक्षित जरिया नहीं है।

आगे की राह

ई-शासन व्यवस्था से ग्रामीण पंचायतों को जोड़ने से जहाँ किसानों को फायदा होगा वहीं दूसरी तरफ रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस शासन व्यवस्था का फायदा तभी पूरी तरह मिल पायेगा जब हमारे देश की जनता शिक्षित एवं जागरूक होगी।

■

सात महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें

अंतर्राष्ट्रीय

1. महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का 62वां सत्र (सीएसडब्ल्यू62)

बैंकाक में एक उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्रीय क्षेत्रीय परामर्श बैठक में, एशिया और विश्व के कई देशों के वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधियों ने ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। इस बैठक का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों को उनके जीवन स्तर को उठाने और उनके मानव अधिकारों को प्रभावित करने वाली संरचनात्मक बाधाओं का मुकाबला करने में मदद करना है।

प्रमुख तथ्य

उच्च स्तर की बैठक, 'लिंग समानता हासिल करने और ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण में चुनौतियाँ और अवसर' में अनुशंसाओं का एक सेट अपनाया गया जोकि 12 से 23 मार्च, 2018 तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित होने वाले सीएसडब्ल्यू 62 में उपयोग किया जायेगा।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों की मुख्य चुनौतियों में बेहतर जीवन स्तर, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, भूमि अधिकार, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्ता शिक्षा, लचीलापन और आपदाओं और संघर्षों से निपटने के लिए तैयारियों को हासिल करना सम्मिलित हैं।

शमशाद अख्तर, कार्यकारी सचिव, यूएन इकोनॉमिक एण्ड सोशल कमिशन फॉर एशिया एण्ड द पैसिफिक (ईएससीएपी) ने महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त आयोग के 62वें सत्र (सीएसडब्ल्यू 62) के क्षेत्रीय परामर्श में अपने शुरूआती वक्तव्य मे कहा था कि "अगर हम ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों को पीछे छोड़ने का जोखिम उठाते हैं।"

सुश्री अख्तर ने जोर देकर कहा, "जो विकास ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने में सक्षम नहीं होता है, 2030 के एजेंडे में निहित अधिकारों के आधार पर प्रतिरोधी है।"

इस बैठक में दी गयी सिफारिशें मानक और कानूनी ढांचे को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती हैं, और उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण और समाज में सार्थक भागीदारी के लिए समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करती हैं। प्रतिनिधियों के साक्ष्य-आधारित नीति बनाने के लिए डेटा और लैंगिक आंकड़ों की बेहतर उपलब्धता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। ■

2. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत

भारत 11 मार्च 2018 को पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रॉन और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अफ्रीकी देशों के प्रमुख, बांग्लादेश और श्रीलंका के राष्ट्रपतियों, दक्षिण अमेरिकी सह अन्त:करण और प्रशांत द्वीप समूह के नेताओं की शिखर सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है।

प्रमुख तथ्य

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का एक सहयोगी संगठन है जिसका शुभारंभ भारत और फ्राँस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया। इस संगठन में ये सभी देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। इस प्रयास को वैश्विक स्तर पर ऊर्जा परिदृश्य में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रमुख उद्देश्य:

- इस संगठन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है।
- आईएसए का उद्देश्य सूर्य की बहुतायत ऊर्जा को एकत्रित करने के साथ देशों को एक साथ लाना है।
- यह सौर ऊर्जा के विकास और उपयोग में तेजी लाने की एक नई शुरुआत है ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ी को ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त हो सके।

पृष्ठभूमि

यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल का परिणाम है जिसकी घोषणा उन्होंने सर्वप्रथम लंदन के वेंबली स्टेडियम में अपने उद्बोधन के दौरान की थी। यह संगठन कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित राष्ट्रों को एक मंच पर लाएगा। ऐसे राष्ट्रों में धूप की उपलब्धता बहुलता में है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य देशों को सौर ऊर्जा से घरेलू प्रकाश, किसानों हेतु सौर पंप और अन्य सौर उपकरणों संबंधी परियोजनाओं के लिए समर्थन भी देगा। ■

3. चीन बना एफएटीएफ का उपाध्यक्ष

भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) का उपाध्यक्ष बनने के लिये चीन को बधाई दी। भारत ने उम्मीद जताई कि बीजिंग संगठन के उद्देश्य को संतुलित और वस्तुनिष्ठ तरीके से कायम रखेगा और उसे समर्थन देगा। एफएटीएफ एक वैश्विक निकाय है जिसपर आतंक के वित्तपोषण से लड़ने की जिम्मेदारी है।

पेरिस में हुई पूर्ण बैठक में ,एफएटीएफ ने आतंकवाद वित्तपोषण और धन-शोधन से निपटने के तरीकों पर बड़े पैमाने पर विचार-विमर्श किया गया। लेकिन पाकिस्तान को हाल-फिलहाल अंतराष्ट्रीय आतंक-वित्तपोषण की सूची में नहीं रखा है। बैठक में पाकिस्तान को जून महीने तक का समय दिया गया है, ताकि वह आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना तैयार कर सके।

प्रमुख तथ्य

हालांकि एफएटीएफ की बैठक में अमेरिका और उसके कुछ सहयोगी यूरोपीय देश पाकिस्तान को उन देशों की सूची में रखने के पक्ष में थे जो आर्थिक रुप से आतंकवाद का समर्थन करते हैं।

अमेरीका का मानना है कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क और तालिबान जैसे आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरीका के इन आरोपों का खंडन किया है। भारत द्वारा जेईएम प्रमुख मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के प्रयास को पाकिस्तान के घनिष्ठ मित्र चीन ने कई बार पानी फेर चुका है। वही एफएटीएफ ने एक रिपोर्ट में नौ देशों को रणनीतिक कमियों की सूची में शामिल किया है, इनमें इराक ,सीरिया यमन और ट्यूनिशिया शामिल है। इससे पहले पाकिस्तान 2012 से लेकर 2015 तक ग्रे लिस्ट में शामिल था।

कब हुई स्थापना

एफएटीएफ यानी की वित्तीय कार्रवाई बल को 1989 में स्थापित किया गया था। ये संस्था आतंकवाद से जुड़े मनी लांडरिंग से निपटने का कार्य करती आ रही थी, लेकिन 2001 में इसके कार्य में विस्तार किया गया। अब एफएटीएफ किसी भी देश के खिलाफ वित्तीय प्रतिबंध जैसी कार्रवाई कर सकती है। ■

4. हुआवेई और एयरटेल ने भारत में 5जी का सफल परीक्षण किया

चीनी प्रौद्योगिकी दिग्गज हुआवेई और दूरसंचार सेवा प्रदाता भारती एयरटेल ने शुक्रवार को भारत में 5जी नेटवर्क के सफल परीक्षण की घोषणा की। कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह परीक्षण एयरटेल के मानेसर (गुरुग्राम) स्थित नेटवर्क एक्सपीरिएंस केंद्र में किया गया।

भारती एयरटेल के निदेशक (नेटवर्क्स) अभय सावरगांवकर ने कहा, “हम 5जी इंटेरोपेराबिलिटी और विकास परीक्षण (आईओडीटी) और भागीदारी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। हम भारत में एक मजबूत 5 जी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए अपने भागीदारों के साथ मिलकर काम करने की आशा करते हैं।”

airtel
5G
HUAWEI

कंपनी ने बताया कि परीक्षण के दौरान 3 जीबीपीएस से अधिक की स्पीड दर्ज की गई। यह 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड पर 100 मेगाहर्ट्ज बैंडविथ के साथ प्राप्त की गई अधिकतम स्पीड है जिसकी एंड-टू-एंड नेटवर्क लेटेंसी करीब एक मिलीसेकेंड रही।

हुआवेई एचक्यू के निदेशक (वायरलेस मार्केटिंग) इमैनुएल एल्व्स ने कहा, “हम 5जी पारिस्थितिक तंत्र की तैनाती पर ध्यान दे रहे हैं और भारती एयरटेल के साथ 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड पर 5जी की क्षमता का प्रदर्शन इसे शानदार ढंग से दर्शाता है।”

इसके अतिरिक्त सेमीकंडक्टर्स की बढ़ती मांग के बीच सैमसंग ने पांचवीं पीढ़ी की (5जी) नेटवर्क सेवाओं के लिए 7-नौनोमीटर चिप्स के निर्माण के लिए क्वालकॉम टेक्नॉलजीज इंक के साथ भागीदारी की घोषणा की है।

दक्षिण कोरियाई प्रौद्योगिकी दिग्गज ने कहा है कि दोनों कंपनियाँ अपनी एक दशक से लंबी भागीदारी का विस्तार एक्स्ट्रीम अल्ट्रा वायलेट (ईयूवी) लिथोग्राफी प्रोसेस तकनीक के क्षेत्र में करेंगी, जिसमें सैमसंग के 7 नैनोमीटर लो पॉवर प्लस (एलपीपी) ईयूवी प्रोसेसे तकनीक का उपयोग कर भविष्य के क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 5जी मोबाईल चिपसेट्स का विनिर्माण किया जाएगा। ■

5. भारत और केन्या के बीच कराधान समझौता

भारत और केन्या के बीच दोहरे कराधान से बचने के समझौते पर 1985 में हस्ताक्षर किए गए थे और इसे अधिसूचित किया गया था। इसके बाद समझौते के बारे में पुन: बातचीत की गई और दोनों देशों के बीच 11 जुलाई, 2016 को एक संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। संशोधित समझौते को सरकारी राजपत्र में 19 फरवरी, 2018 को अधिसूचित कर दिया गया।

संशोधित समझौते की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- सीमा पार से निवेश और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, संशोधित समझौते में लाभांश पर कर कटौती दर 15 प्रतिशत से 10 प्रतिशत, ब्याज पर 15 प्रतिशत से 10 प्रतिशत, रॉयल्टी पर 20 से 10 प्रतिशत तथा प्रबंधन, व्यवसाय संबंधी और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क 17.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रावधान है।
- संशोधित समझौता भारत और केन्या के बीच कर मामलों में पारदर्शिता बढ़ाएगा, कर चोरी और कर वंचन रोकने में मदद करेगा, दोहरे कराधान की समस्या को दूर करेगा और दोनों देशों के बीच निवेश, टेक्नोलॉजी और सेवाओं का प्रवाह बढ़ाएगा। ■

6. टिकाऊ जैव ईंधनों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीएसबी) 2018

मिशन इनोवेशन (एमआई) दुनिया भर के 22 देशों और यूरोपीय देशों द्वारा वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को गति देने के लिए शुरू की गई वैश्विक पहल है। भागीदार देशों ने इस पहल के तहत 5 वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास पर निवेश को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है।

टिकाऊ जैव ईंधन मिशन इनोवेशन की 7 चुनौतियों में से एक है और भारत, ब्राजील, कनाडा और चीन जैसे अन्य देशों के साथ इसका सह नेतृत्व कर रहा है। सरकारों, शोधकर्ताओं, निवेशकों और उद्योग के लिए टिकाऊ जैव ईंधन का विकास एक अहम चुनौती के साथ ही मिलकर काम करने का अवसर भी है। टिकाऊ जैव ईंधनों के क्षेत्र मे तेज अनुसंधान एवं विकास और प्रदर्शन में सुधार देखने को मिला है, हालांकि अधिकांश जैविक ईंधनों के सामने शुरूआती व्यावसायिक विकास की चुनौती बरकरार है।

प्रमुख तथ्य

जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा मिशन इनोवेशन और बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म की तरफ से स्टेन ऑडिटोरियम, इंडिया हैबीटेट सेंटर, नई दिल्ली में संयुक्त रूप से टिकाऊ जैव ईंधन पर एक दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से जैव ईंधन क्षेत्र के विशेषज्ञ एक ही जगह पर एकजुट होंगे और जानकारियां और बेहतर प्रक्रियाओं को साझा करेंगे। साथ ही इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर सहमति कायम की जाएगी। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के सरकारी अधिकारी, तकनीक विशेषज्ञ, शिक्षाविद्, शोधकर्ता, उद्योगों के प्रतिनिधि और निवेशक भाग लेंगे।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और इसके बाद 26 फरवरी, 2018 को होने वाले प्रदर्शन का उद्घाटन करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

प्रोफेसर जैक सैडलर, यूबीसी कनाडा द्वारा 'एडवांस बायोफ्यल्स टू डिकॉर्बोनाइज ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स' पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मिशन इनोवेशन एवं बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के सदस्य देशों से आए प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भागीदारी करेंगे।

इस कार्यक्रम में 18 देशों के प्रतिनिधियों के अलावा 300 से ज्यादा भागीदार भाग लेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार के नीति निर्धारकों, उद्योग, निवेशकों और शोधकर्ताओं को अनुभवों और उन्नत जैव ईंधन के विकास और आकलन से संबंधित चुनौतियों के आदान प्रदान के लिए एक समान मंच उपलब्ध कराना है।

■

7. यूनिसेफ ने 'एवरी चाइल्ड अलाइव' रिपोर्ट जारी की

यूनिसेफ की 20 फरवरी, 2018 को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के सबसे गरीब देशों में पैदो हुए बच्चे, जिनमें से ज्यादातर अफ्रीका में हैं, अब भी मौत के ''खतरनाक'' जोखिमों का सामना कर रहे हैं। यह जोखिम सबसे अमीर देशों की तुलना में 50 गुना से अधिक हो सकते हैं।

बच्चों के लिए काम करने वाली संस्थान यूनिसेफ के अनुसार, दुनिया में हर साल एक मिलियन यानी 10 लाख नवजात अपने जन्म के पहले दिन ही अपनी अंतिम सांस ले लेते हैं।

रिपोर्ट से जुड़े प्रमुख तथ्य

यूनिसेफ बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। ''एवरी चाइल्ड अलाइव'' (द अर्जेंट नीड टू एण्ड न्यूबॉर्न डैथ्स) शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में जापान, आइसलैंड और सिंगापुर को जन्म के शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में जापान, आइसलैंड और सिंगापुर को जन्म के लिए सबसे सुरक्षित देश बताया गया है जहां जन्म लेने के पहले 28 दिन में प्रति हजार बच्चों पर मौत का केवल एक मामला सामने आता है।

यूनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2016 में भारत में प्रति 1,000 जीवित जन्मों में नवजात मृत्युदर 25.4 रही। श्रीलंका में यह दर 127, बांग्लादेश में 54, नेपाल में 50, भूटान में 60 तथा पाकिस्तान में प्रति 1,000 जीवित जन्म में यह दर 45.6 रही। जापान, आइसलैंड और सिंगापुर में जन्मे बच्चों के बचने के अवसर अधिक रहते हैं जबकि पाकिस्तान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और अफगानिस्तान में स्थिति बिल्कुल उलट है।

रिपोर्ट में बांग्लादेश, इथियोपिया, गिनी-बिसाउ, भारत, इंडोनेशिया, मालावी, माली, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तंजानिया को सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने वाले देशों में रखा गया है। इन दस देशों में दुनियाभर में नवजात बच्चों की मौत के आधे से ज्यादा मामले आते हैं।

184 देशों में हुए अध्ययन की इस रिपोर्ट में मुताबिक 84 फीसदी बच्चों की मौत का कारण कोई गंभीर बीमारी नहीं होती है। ज्यादातर बच्चों की मृत्यु का कारण समय से पहले जन्म, प्रसव के दौरान जटिलता, बीमारी की सही रोकथाम न होना और न्यूमोनिया होती है।

हर मां और बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देकर मृत्यु दर काम की जा सकती है। इसमें साफ पानी, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान, मां बच्चे के बीच संपर्क जरूरी है। जन्म के पहले 28 दिन नवजात के जीवित रहने में महत्वपूर्ण भूमिक निभाते हैं।

हालांकि 2016 में संख्या के लिहाज से देखें तो नवजात की मौतों के मामले में भारत पहले नंबर पर रहा। भारत में पिछले साल 6,40,000 नवजातों के मारे जाने के मामले दर्ज किए गए। यहां नवजात मृत्यु दर 25.4 प्रति हजार रही।

4 'P' पर ध्यान देने की जरूरत

नवजात मृत्यु दर को कम करने के लिए रिपोर्ट में 4'पी' पर ध्यान देने की बात कही गयी है। इसमें प्लेस (जगज)-साफ सुथरे स्वास्थ्य केंद्र, पीपुल (लोग)-भलीभांति प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी, प्रोडक्टस (उत्पाद)-जीवनरक्षक दवा और उपकरण और पावर (अधिकार)-सम्मान, गरिमा तथा जवाबदेही का उल्लेख है।

■

राष्ट्रीय

1. ड्रोन रूस्तम–2

डीआरडीओ ने देश में बने सबसे बड़े ड्रोन रूस्तम-2 का सफल परीक्षण किया है। इस मानवरहित विमान ने हाई पावर इंजन के साथ पहली बार कर्नाटक के चित्रदुर्ग में उड़ान भरी। यह विमान मीडियम रेंज में 24 घंटे तक हमला करने वाले हथियारों के साथ उड़ान भर सकता है। ज्ञातव्य है कि रूस्तम-1 की लॉन्चिंग के 7 साल बाद इसे बनाया गया है जो अमेरिकी ड्रोन 'प्रिडेटर' को टक्कर देगा।

स्मरणीय है कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में बने एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में रूस्तम-2 ने उड़ान भरी। इस मौके पर डिफेंस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (डीआरडीओ) के चेयरमैन एस. क्रिस्टोफर समेत कई सीनियर अफसर और साइंटिस्ट मौजूद रहे। डीआरडीओ ने इसे सैन्य मकसद के लिए तैयार किया है। इसका इस्तेमाल दुश्मन की टोह लेने, निगरानी रखने, टारगेट पर सटीक निशाना लगाने और सिग्नल इंटेलिजेंस में भी किया जाएगा। रक्षा सूत्रों के अनुसार सेना को अगले एक दशक में 400 आधुनिक ड्रोन की जरूरत होगी जिसमें कि कॉम्बैट और पनडुब्बी से लान्च किए जाने वाले रिमोट संचालित एयरक्राफ्ट भी शामिल है। फिलहाल सेना के पास 200 ड्रोन हैं जिसमें अधिकांश लंबी दूरी और टारगेट पर नजर रखने वाले है जो इजरायल से खरीदें गए हैं।

रूस्तम-2 का नाम भारतीय सैनिक रूस्तम दमानिया के नाम पर रखा गया है। 80 के दशक में रूस्टम दमानिया ने एविएशन की दुनिया में जो शोध किया उससे देश को बहुत फायदा हुआ था। रूस्तम-2 का दूसरा नाम तापस-बीएच-201 भी है। यह विमान अलग-अलग तरह के पेलोड साथ ले जाने में सक्षम है। मानवरहित रूस्तम विमान के डैने 21 मीटर लंबे हैं और वजन 1.8 टन है। इसकी गति 225 kmèkh घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम हैं। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार, मेरीटाइम पेट्रोल रडार और टक्कर रोधी प्रणाली लगाई गई है।

■

2. औषधीय और सुगंधित पौधों पर अंतर–मंत्रालयी समिति

केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए औषधीय और सुगंधित पौधों (एमएपी) पर एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है। यह समिति केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का समन्वय करेगी ताकि औषधीय और सुगंधित पौधों के क्षेत्र का विकास हो सके। उल्लेखनीय है कि अंतर-मंत्रालयी समिति की पहली बैठक 12 मार्च, 2018 को आयोजित की जाएगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय औषधीय व सुगंधित पौधों पर बनी अंतर-मंत्रालयी समिति का समन्वय करेगा तथा इसमें विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संबंधित क्षेत्र के संगठनों के सदस्यों को शामिल किया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास तथा आयुष मंत्रालय के सचिव इस बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे।

विशेष

अंतर-मंत्रालयी समिति औषधीय और सुगंधित पौधों की वर्तमान व्यवस्था व संस्थागत प्रबंधन और विकास की समीक्षा करेगी। समिति संबंधित मंत्रालयों और विभागों की योजना व कार्यक्रमों के लिए एक योजना का सुझाव देगी। इसके साथ ही योजनाओं की कमियों को रेखांकित करते हुए नीतिगत सुझाव देगी ताकि औषधीय और सुगंधित पौधा क्षेत्र का विकास हो सके।

स्मरणीय है कि समिति पूर्वोत्तर क्षेत्र में औषधीय और सुगंधित पौधों के विकास, सतत् प्रबंधन और संरक्षण पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करेगी। अंतर-मंत्रालयी समिति पूर्वोत्तर क्षेत्र में औषधीय व सुगंधित पौधों की कृषि पर आधारित आर्थिक परिवर्तन व सतत् प्रबंधन तथा आजीविका को बेहतर बनाने से संबंधित उपायों का भी सुझाव देगी।

■

3. राष्ट्रीय शहरी आवास कोष

शहरी क्षेत्रों में गरीबों के आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राष्ट्रीय शहरी आवास कोष का गठन किया गया है। इसके तहत गरीबों को आवास के लिए बैंकों से रियायती दर पर ऋण मुहैया कराया जाएगा। राष्ट्रीय शहरी आवास कोष में 60 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट के इस फैसले से शहरी क्षेत्रों में मकानों की कमी को पूरा करने में आसानी होगी। इससे गरीबों एवं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को कम ब्याज दर पर पक्के मकान मिल सकते हैं।

स्मरणीय है कि सरकार ने 2022 तक 1.2 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 4 वर्षों में देश के कमजोर वर्ग को छत मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य है। शहरी विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 39.4 लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। शहरी बुनियादी सुविधाओं और शहरों के आस-पास बसी झुग्गी झोपड़ियों को हटाने में इस योजना की अहम भूमिका है जिसमें देश के सभी राज्य बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत ऋणों पर ब्याज सब्सिडी की योजना से जरूरतमंद लोगों को काफी लाभ हुआ है। सरकार इस योजना के तहत पिछले आठ महीनों में करीब 87 हजार आवासीय ऋण को मंजूरी प्रदान कर चुकी है। ■

4. महिला सेल का गठन

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने कहा कि देश में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग से महिला सेल का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रकोष्ठ (सेल) हर तरह से महिला उद्यमियों की मदद करेगा। इसके साथ ही नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए 'टिंकरिंग लैब' स्थापित करने में बालिका विद्यालयों को वरीयता दिया जाएगा।

स्मरणीय है कि महिलाएँ पुरूषों के मुकाबले अपना कारोबार शुरू करने में ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं लेकिन वित्तीय, सांस्कृतिक और राजनीतिक अवरोध उनका रास्ता रोक लेते हैं। यदि राजनीतिक परिस्थितियाँ सकारात्मक हो और कॉर्पोरेट क्षेत्र की मानसिकता बदले तो महिलाएँ बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं।

मुख्य तथ्य

- इस सेल को महिला उद्यमशीलता और नवाचार सेल कहा जाएगा।
- इसमें 10 हजार करोड़ रूपये के फण्ड से मुद्रा सूक्ष्म ऋण योजना समेत कई सुविधाएँ दी जाएगी। इसके साथ ही महिला उद्यमियों को हितधारकों से जोड़ने का मौका मिलेगा।
- उल्लेखनीय है कि कई भारतीय महिला उद्यमी विदेशों के दौरे पर भी जा चुकी हैं तथा बेहतर नेतृत्व प्रदान की हैं।
- महिला उद्यमियों के लिए वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन पिछले वर्ष नवम्बर माह में हैदराबाद में आयोजित किया गया था। ■

5. पूर्वोत्तर का पहला कृषि क्षेत्रीय केन्द्र

पूर्वोत्तर क्षेत्र के मिजोरम में इजरायली सहयोग से बने पहले कृषि क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन मार्च 2018 में किया जाएगा। इजरायली सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह पहला कृषि क्षेत्रीय केंद्र होगा।

भारत में इजरायली राजदूत डेनियल कारमन ने यह जानकारी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जितेंद्र सिंह को एक मुलाकात के दौरान दी तथा मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों के बीच स्टार्टअप, खाद्य प्रसंस्करण, नवाचार और तकनीक पर चर्चा की गयी।

परिचय

इसकी लागत लगभग 10 करोड़ रुपए आयी है और यह केंद्र, विशेष रुप से खट्टे फलों के लिए होगा। इजरायल इस केंद्र के लिये विशेषज्ञता और तकनीक उपलब्ध कराएगा। मिजोरम के स्थित होने के कारण इस केंद्र का लाभ पूरे पूर्वोत्तर केंद्र को मिलेगा। वर्तमान में पूरे देश में इस तरह के 22 केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र हरियाणा, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान और पंजाब में हैं। इजरायल प्रत्येक राज्य में ऐसा केंद्र स्थापित करना चाहता है तथा पहला केन्द्र वर्ष 2008 में हरियाणा में स्थापित किया गया था।

विशेष

इस केन्द्र से दोनों देशों के बीच बड़े सहयोग का सूत्रपात होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय आवश्यकता अनुसार पूरा सहयोग करेगा तथा आगे चलकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों को इससे बहुत फायदा होगा और अन्य क्षेत्रों के किसानों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दे रही है। सिक्किम को भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य घोषित किया गया है और इजराइल इस दिशा में सहयोग कर सकता है। ■

6. धनुष मिसाइल का परीक्षण

चर्चा का कारण

हाल ही में, भारत ने 23 फरवरी, 2018 को ओड़िशा तट के पास एक नौसैनिक पोत से परमाणु क्षमता युक्त धनुष बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल का परीक्षण बंगाल की खाड़ी में पाराद्वीप के पास तैनात पोत से किया गया। मिसाइल परीक्षण एवं इसकी उड़ान के प्रदर्शन की निगरानी ओड़िशा तट में रडॉर सुविधाओं और डीआरडीओ की टेलीमेट्री (दूरमापी) से की गई। भारत ने इससे पहले 21 फरवरी, 2018 को देश में निर्मित एवं परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम तथा 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली पृथ्वी-2 मिसाइल का ओडिशा के एक परीक्षण केंद्र से सफल परीक्ष किया था।

धनुष मिसाइल के बारे में

- धनुष मिसाइल स्वदेशी तकनीक से निर्मित पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का नौसैनिक संस्करण है।
- धनुष मिसाइल 500 किलोग्राम पेलोड साथ लेकर जाने और जमीन एवं समुद्र में अपने लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है।

DHANUSH
DRDO

- भारतीय नौसेना की सामरिक बल कमान (एसएफसी) की ओर से प्रशिक्षण अभ्यास के तहत मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया।
- एक चरण वाली मिसाइल धनुष को रक्षा सेवाओं में पहले ही शामिल किया जा चुका है।
- धनुष मिसाइल 8.53 मीटर लंबी और 0.9 मीटर चौड़ी है।
- यह मिसाइल 350 किलोमीटर तक मार कर सकती है।

विशेष तथ्य

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मिसाइल परीक्षण और इसकी उड़ान के प्रदर्शन की निगरानी ओडिशा तट में रडार सुविधाओं और डीआरडीओ को टेलीमेट्री (दूरमापी) से की गई। यह एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (आईजीएमडीपी) के तहत रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन (डीआरडीओ) की ओर से विकसित पांच मिसाइलों में से एक है। अगर भारत की स्वदेशी मिसाइलों की बात करें तो उसके पास नाग मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण 1990 में किया गया। इसी तरह भारत ने 1990 में आकाश मिसाइल का परीक्षण किया। जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल की तुलना अमेरिका के पेट्रियॉट मिसाइल से की जाती है। इसके अलावा भारत के पास ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल भी हैं। परमाणु क्षमता से लैस 'धनुष' मिसाइल के सफल परीक्षण से सेना को जबरदस्त ताकत मिलेगी। यह मिसाइल स्वदेशी तकनीक से विकसित पृथ्वी मिसाइल का रूपांतर है। सूत्रों ने बताया कि रक्षा बलों के सामरिक बल कमान (एसएफसी) ने इसके परीक्षण को अंजाम दिया। भारतीय नौसेना की एमएफसी की ओर से प्रशिक्षण अभ्यास के तहत मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया। परीक्षण के दौरान मिसाइल मिशन के सभी उद्देश्य पूरे किये। ■

7. समुद्री नौसैनिक अभ्यास मिलन-2018

भारतीय नौसेना मार्च 2018 के दूसरे हफ्ते में अंडमान निकोबार में अब तक के सबसे बड़े समुद्री नौसैनिक अभ्यास मिलन-2018 का आयोजन करने जा रही है।

परिचय

- यह युद्धाभ्यास नौसेना के अंडमान निकोबार कमांड के तत्वाधान में पोर्ट ब्लेयर में 06 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित किया जायेगा।
- युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पहली बार एक साथ दुनिया के 22 देशों की नौसेना भारत में जुटेगी।
- हिंद महासागर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास के हजारों वर्गमील समुद्री क्षेत्र में होने वाले इस युद्धाभ्यास के दौरान भारत सहित सभी 22 देशों की नौसेना अपने-अपने युद्धपोतों के साथ शक्ति का प्रदर्शन भी करेंगे।

- इस बार इस युद्धाभ्यास में गैरकानूनी समुद्री गतिविधियों से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर ज्यादा फोकस किया जायेगा

उद्देश्य

इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में किसी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना है। सात दिनों तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में युद्धपोतों पर सवार नौसैनिक युद्ध और प्राकृतिक आपदा से निपटने समेत आपसी तालमेल बढ़ाने जैसी तकनीकी पर मिलकर काम करेंगे।

बचाव कार्यों का अभ्यास, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, विभिन्न देशों के चेतावनी संकेतों, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, प्राकृतिक आपदाओं के किट और उनकी डिलीवरी के तंत्र को भी परखा जाएगा। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को छोड़कर हिंद महासागर के तट से लगे लगभग सभी देश इसमें हिस्सा लेंगे।

मुख्य तथ्य

पहली बार मिलन अभ्यास वर्ष 1995 में आयोजित किया गया था। मिलन अभ्यास का मकसद पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की नौसेनाओं के दोस्ताना संबंधों को बढ़ावा देना है। यह भारत-प्रशांत क्षेत्र में हमारे पड़ोसी देशों की सुरक्षा और स्थिरता के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। समुद्री क्षेत्र में स्थिरता और समुद्री मार्गों से कारोबार को देखते हुए यह अभ्यास काफी अहम है। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

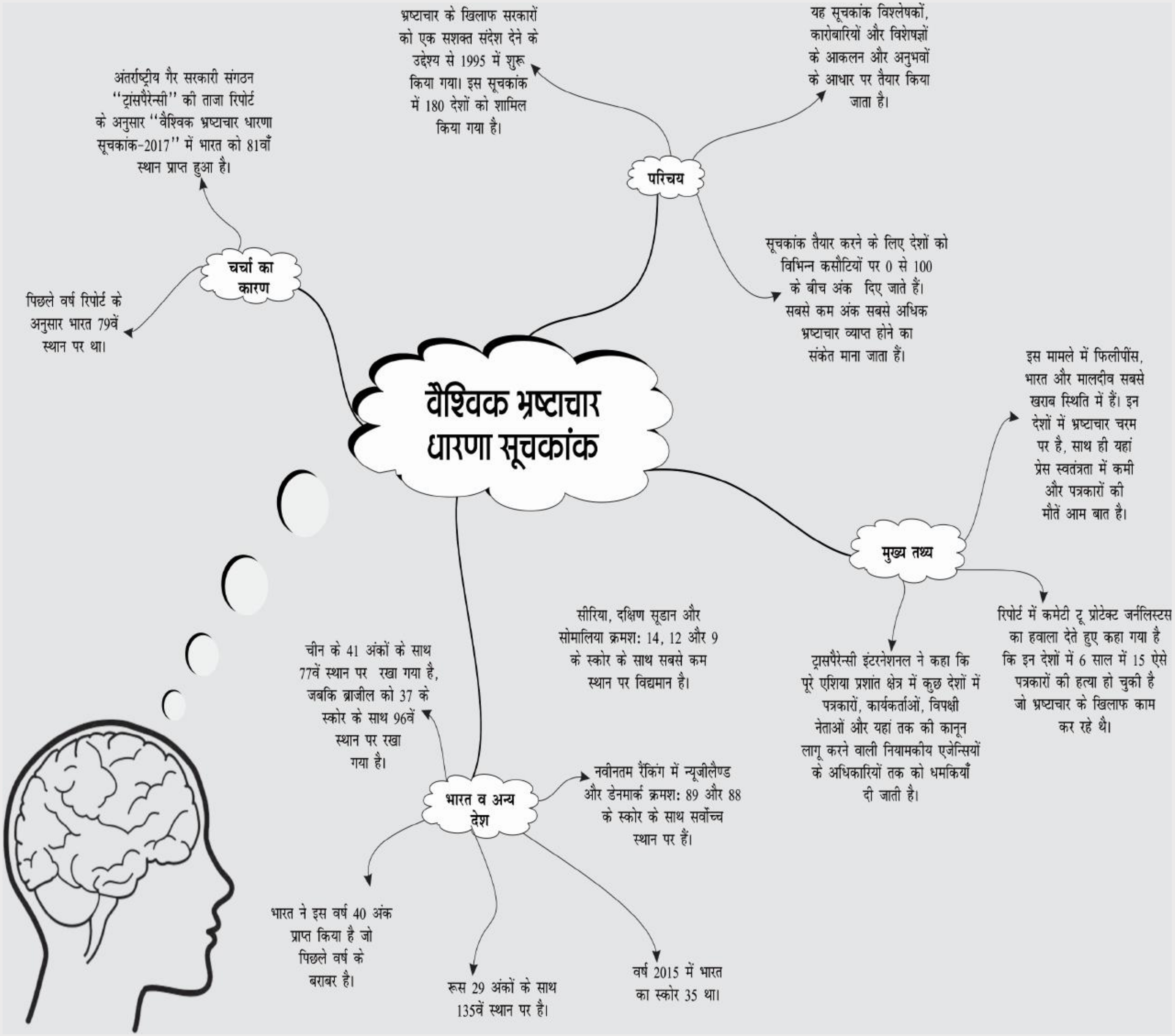

वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक

परिचय

भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकारों को एक सशक्त संदेश देने के उद्देश्य से 1995 में शुरू किया गया। इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया है।

यह सूचकांक विश्लेषकों, कारोबारियों और विशेषज्ञों के आकलन और अनुभवों के आधार पर तैयार किया जाता है।

सूचकांक तैयार करने के लिए देशों को विभिन्न कसौटियों पर 0 से 100 के बीच अंक दिए जाते हैं। सबसे कम अंक सबसे अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त होने का संकेत माना जाता हैं।

मुख्य तथ्य

इस मामले में फिलीपींस, भारत और मालदीव सबसे खराब स्थिति में हैं। इन देशों में भ्रष्टाचार चरम पर है, साथ ही यहां प्रेस स्वतंत्रता में कमी और पत्रकारों की मौतें आम बात है।

रिपोर्ट में कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्टस का हवाला देते हुए कहा गया है कि इन देशों में 6 साल में 15 ऐसे पत्रकारों की हत्या हो चुकी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे थे।

ट्रांसपैरेन्सी इंटरनेशनल ने कहा कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में कुछ देशों में पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, विपक्षी नेताओं और यहां तक की कानून लागू करने वाली नियामकीय एजेन्सियों के अधिकारियों तक को धमकियाँ दी जाती है।

चर्चा का कारण

अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ''ट्रांसपैरेन्सी'' की ताजा रिपोर्ट के अनुसार ''वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक-2017'' में भारत को 81वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।

पिछले वर्ष रिपोर्ट के अनुसार भारत 79वें स्थान पर था।

भारत व अन्य देश

सीरिया, दक्षिण सूडान और सोमालिया क्रमश: 14, 12 और 9 के स्कोर के साथ सबसे कम स्थान पर विद्यमान है।

चीन के 41 अंकों के साथ 77वें स्थान पर रखा गया है, जबकि ब्राजील को 37 के स्कोर के साथ 96वें स्थान पर रखा गया है।

नवीनतम रैंकिंग में न्यूजीलैण्ड और डेनमार्क क्रमश: 89 और 88 के स्कोर के साथ सर्वोच्च स्थान पर हैं।

भारत ने इस वर्ष 40 अंक प्राप्त किया है जो पिछले वर्ष के बराबर है।

रूस 29 अंकों के साथ 135वें स्थान पर है।

वर्ष 2015 में भारत का स्कोर 35 था।

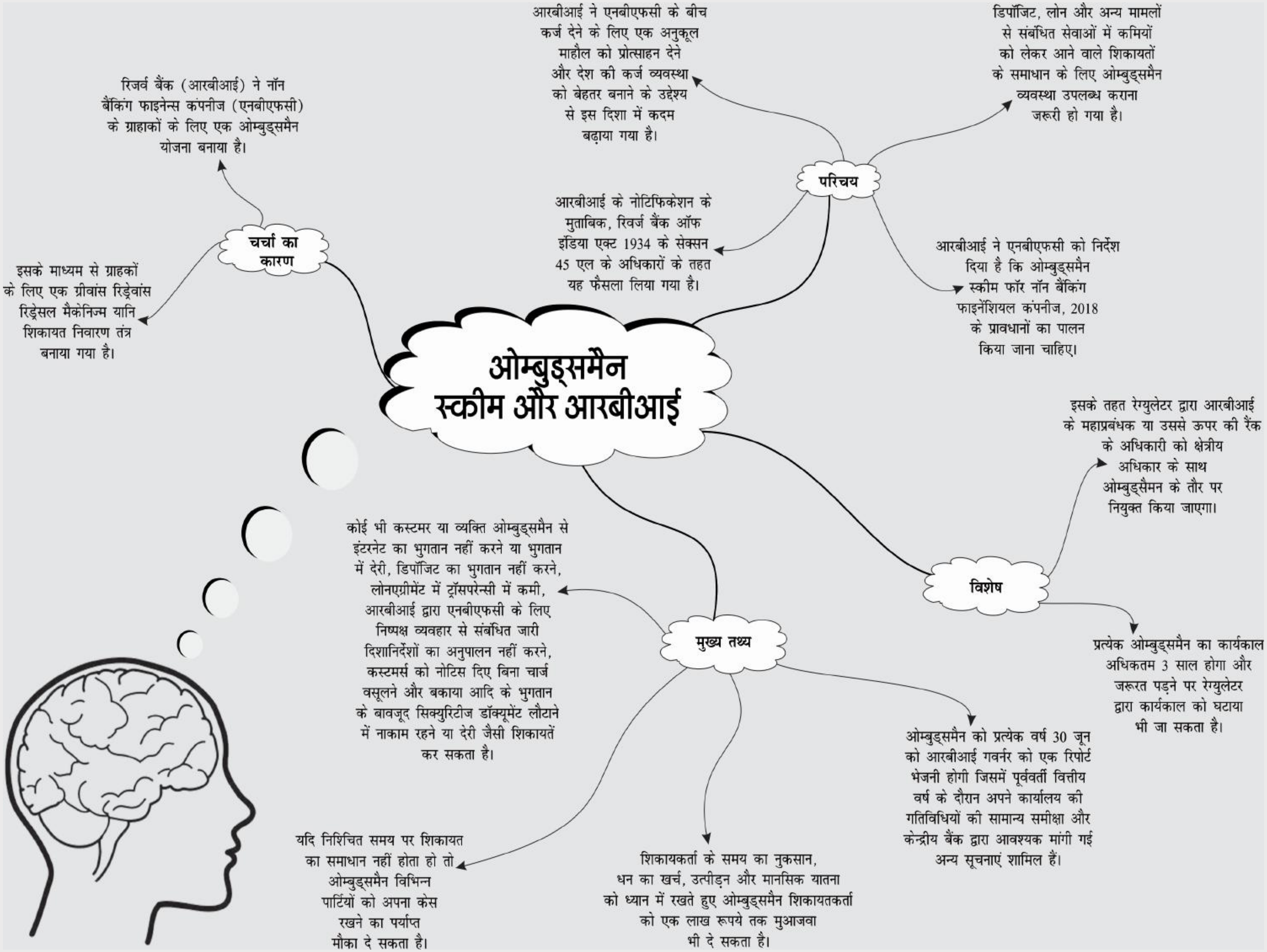

ओम्बुड्समैन स्कीम और आरबीआई

चर्चा का कारण

रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नॉन बैंकिंग फाइनेन्स कंपनीज (एनबीएफसी) के ग्राहाकों के लिए एक ओम्बुड्समैन योजना बनाया है।

इसके माध्यम से ग्राहकों के लिए एक ग्रीवांस रिड्रेवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म यानि शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया है।

परिचय

आरबीआई ने एनबीएफसी के बीच कर्ज देने के लिए एक अनुकूल माहौल को प्रोत्साहन देने और देश की कर्ज व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस दिशा में कदम बढ़ाया गया है।

डिपॉजिट, लोन और अन्य मामलों से संबंधित सेवाओं में कमियों को लेकर आने वाले शिकायतों के समाधान के लिए ओम्बुड्समैन व्यवस्था उपलब्ध कराना जरूरी हो गया है।

आरबीआई के नोटिफिकेशन के मुताबिक, रिवर्ज बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्सन 45 एल के अधिकारों के तहत यह फैसला लिया गया है।

आरबीआई ने एनबीएफसी को निर्देश दिया है कि ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, 2018 के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए।

विशेष

इसके तहत रेग्युलेटर द्वारा आरबीआई के महाप्रबंधक या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी को क्षेत्रीय अधिकार के साथ ओम्बुड्सैमन के तौर पर नियुक्त किया जाएगा।

प्रत्येक ओम्बुड्समैन का कार्यकाल अधिकतम 3 साल होगा और जरूरत पड़ने पर रेग्युलेटर द्वारा कार्यकाल को घटाया भी जा सकता है।

मुख्य तथ्य

कोई भी कस्टमर या व्यक्ति ओम्बुड्समैन से इंटरनेट का भुगतान नहीं करने या भुगतान में देरी, डिपॉजिट का भुगतान नहीं करने, लोनएग्रीमेंट में ट्रॉसपरेन्सी में कमी, आरबीआई द्वारा एनबीएफसी के लिए निष्पक्ष व्यवहार से संबंधित जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने, कस्टमर्स को नोटिस दिए बिना चार्ज वसूलने और बकाया आदि के भुगतान के बावजूद सिक्युरिटीज डॉक्यूमेंट लौटाने में नाकाम रहने या देरी जैसी शिकायतें कर सकता है।

यदि निश्चित समय पर शिकायत का समाधान नहीं होता हो तो ओम्बुड्समैन विभिन्न पार्टियों को अपना केस रखने का पर्याप्त मौका दे सकता है।

शिकायकर्ता के समय का नुकसान, धन का खर्च, उत्पीड़न और मानसिक यातना को ध्यान में रखते हुए ओम्बुड्समैन शिकायतकर्ता को एक लाख रूपये तक मुआजवा भी दे सकता है।

ओम्बुड्समैन को प्रत्येक वर्ष 30 जून को आरबीआई गवर्नर को एक रिपोर्ट भेजनी होगी जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यालय की गतिविधियों की सामान्य समीक्षा और केन्द्रीय बैंक द्वारा आवश्यक मांगी गई अन्य सूचनाएं शामिल हैं।

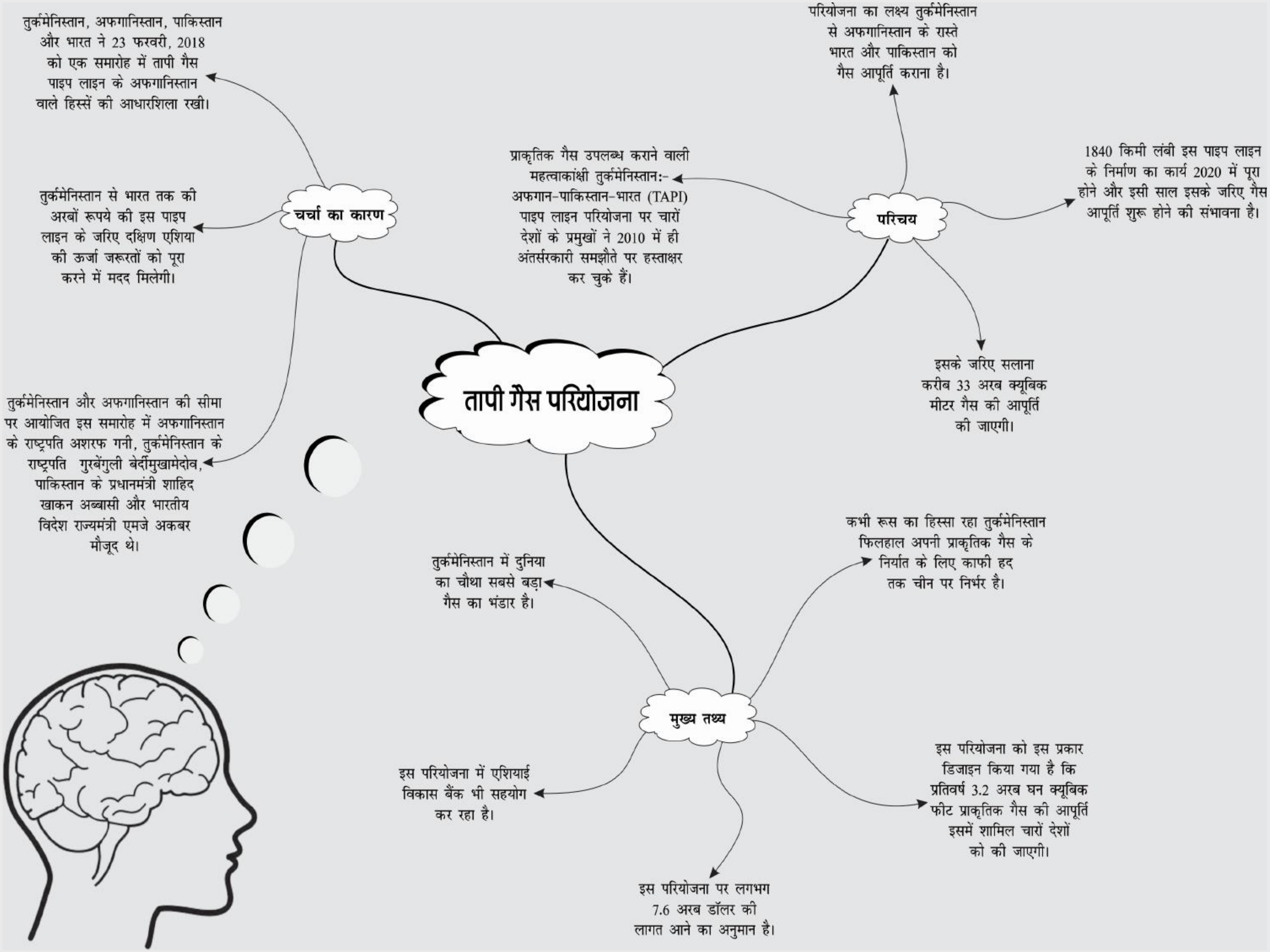

तापी गैस परियोजना

परिचय

परियोजना का लक्ष्य तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते भारत और पाकिस्तान को गैस आपूर्ति कराना है।

1840 किमी लंबी इस पाइप लाइन के निर्माण का कार्य 2020 में पूरा होने और इसी साल इसके जरिए गैस आपूर्ति शुरू होने की संभावना है।

इसके जरिए सलाना करीब 33 अरब क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति की जाएगी।

प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने वाली महत्वाकांक्षी तुर्कमेनिस्तान:-अफगान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) पाइप लाइन परियोजना पर चारों देशों के प्रमुखों ने 2010 में ही अंतर्सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।

चर्चा का कारण

तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत ने 23 फरवरी, 2018 को एक समारोह में तापी गैस पाइप लाइन के अफगानिस्तान वाले हिस्सें की आधारशिला रखी।

तुर्कमेनिस्तान से भारत तक की अरबों रूपये की इस पाइप लाइन के जरिए दक्षिण एशिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर आयोजित इस समारोह में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबेंगुली बेर्दीमुखामेदोव, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी और भारतीय विदेश राज्यमंत्री एमजे अकबर मौजूद थे।

मुख्य तथ्य

तुर्कमेनिस्तान में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गैस का भंडार है।

कभी रूस का हिस्सा रहा तुर्कमेनिस्तान फिलहाल अपनी प्राकृतिक गैस के निर्यात के लिए काफी हद तक चीन पर निर्भर है।

इस परियोजना में एशियाई विकास बैंक भी सहयोग कर रहा है।

इस परियोजना को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि प्रतिवर्ष 3.2 अरब घन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस की आपूर्ति इसमें शामिल चारों देशों को की जाएगी।

इस परियोजना पर लगभग 7.6 अरब डॉलर की लागत आने का अनुमान है।

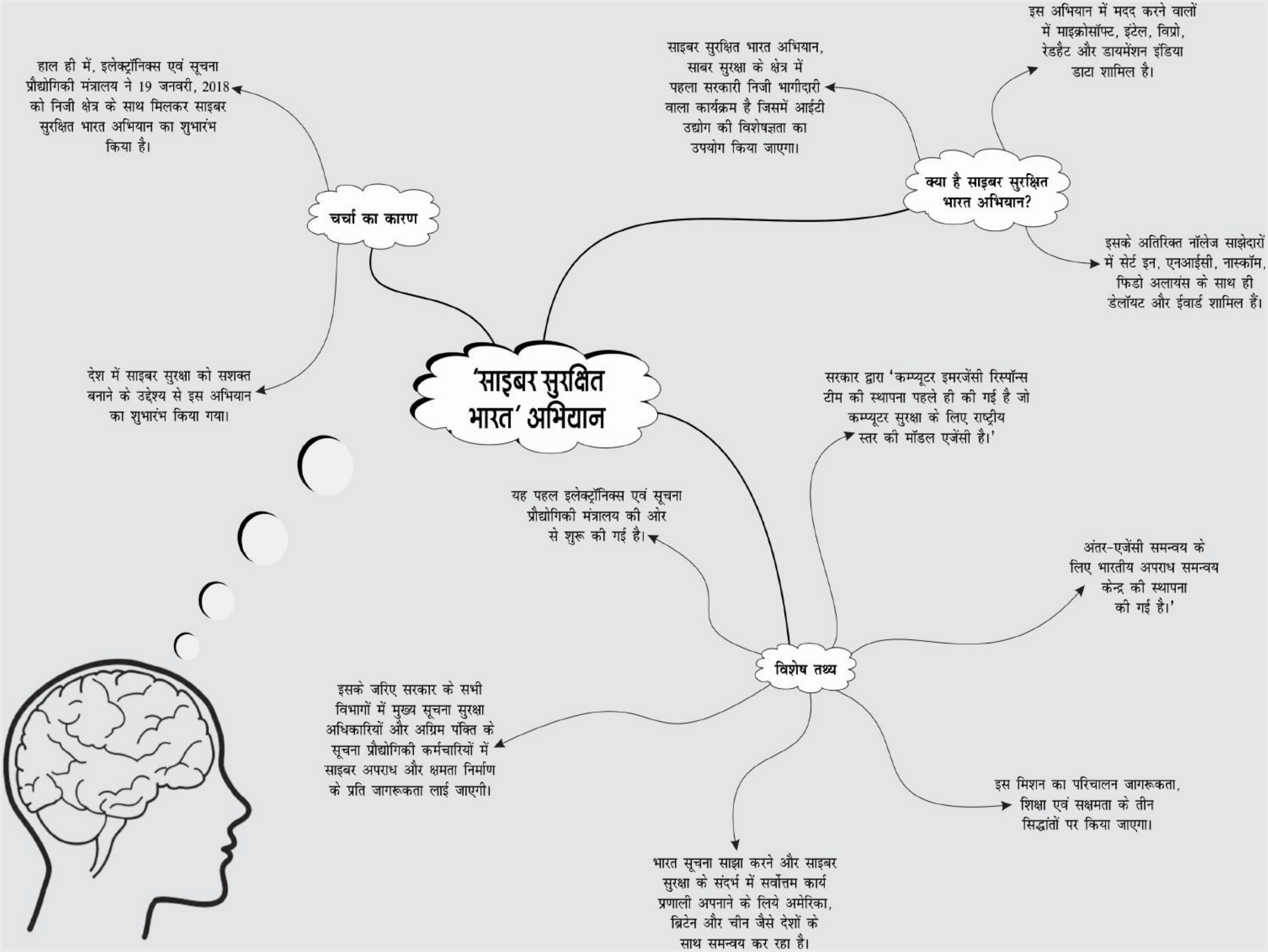

'साइबर सुरक्षित भारत' अभियान

चर्चा का कारण

हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 19 जनवरी, 2018 को निजी क्षेत्र के साथ मिलकर साइबर सुरक्षित भारत अभियान का शुभारंभ किया है।

देश में साइबर सुरक्षा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस अभियान का शुभारंभ किया गया।

क्या है साइबर सुरक्षित भारत अभियान?

साइबर सुरक्षित भारत अभियान, साबर सुरक्षा के क्षेत्र में पहला सरकारी निजी भागीदारी वाला कार्यक्रम है जिसमें आईटी उद्योग की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा।

इस अभियान में मदद करने वालों में माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, विप्रो, रेडहैट और डायमेंशन इंडिया डाटा शामिल है।

इसके अतिरिक्त नॉलेज साझेदारों में सेर्ट इन, एनआईसी, नास्कॉम, फिडो अलायंस के साथ ही डेलॉयट और ईवाई शामिल हैं।

विशेष तथ्य

यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से शुरू की गई है।

सरकार द्वारा 'कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम की स्थापना पहले ही की गई है जो कम्प्यूटर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की मॉडल एजेंसी है।'

अंतर-एजेंसी समन्वय के लिए भारतीय अपराध समन्वय केन्द्र की स्थापना की गई है।'

इस मिशन का परिचालन जागरूकता, शिक्षा एवं सक्षमता के तीन सिद्धांतों पर किया जाएगा।

भारत सूचना साझा करने और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली अपनाने के लिये अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के साथ समन्वय कर रहा है।

इसके जरिए सरकार के सभी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों और अग्रिम पंक्ति के सूचना प्रौद्योगिकी कर्मचारियों में साइबर अपराध और क्षमता निर्माण के प्रति जागरूकता लाई जाएगी।

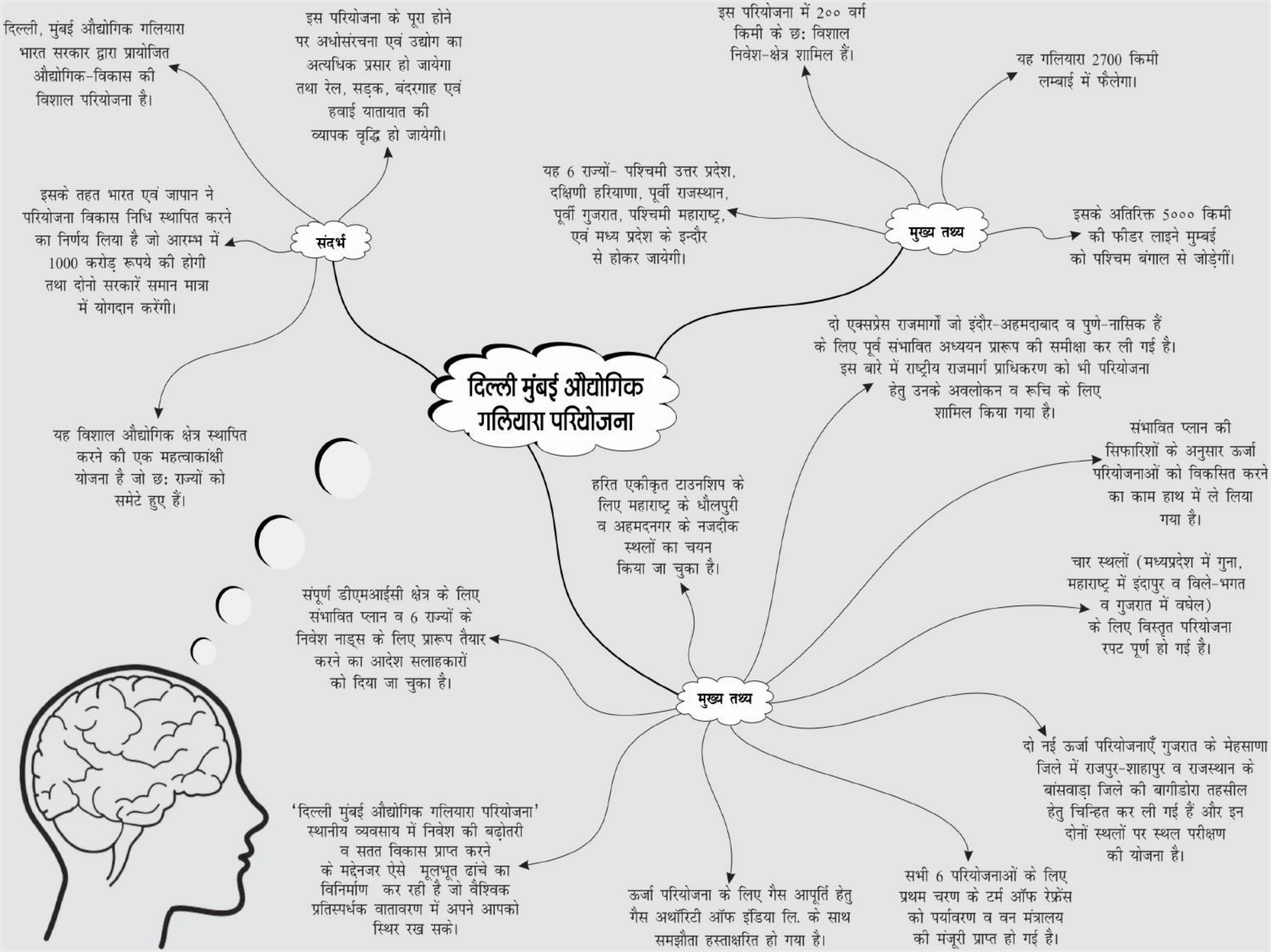

दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना

संदर्भ

- दिल्ली, मुंबई औद्योगिक गलियारा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित औद्योगिक-विकास की विशाल परियोजना है।
- इस परियोजना के पूरा होने पर अधोसंरचना एवं उद्योग का अत्यधिक प्रसार हो जायेगा तथा रेल, सड़क, बंदरगाह एवं हवाई यातायात की व्यापक वृद्धि हो जायेगी।
- इसके तहत भारत एवं जापान ने परियोजना विकास निधि स्थापित करने का निर्णय लिया है जो आरम्भ में 1000 करोड़ रूपये की होगी तथा दोनो सरकारें समान मात्रा में योगदान करेंगी।
- यह विशाल औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो छ: राज्यों को समेटे हुए हैं।

मुख्य तथ्य

- इस परियोजना में 2०० वर्ग किमी के छ: विशाल निवेश-क्षेत्र शामिल हैं।
- यह गलियारा 2700 किमी लम्बाई में फैलेगा।
- इसके अतिरिक्त 5००० किमी की फीडर लाइने मुम्बई को पश्चिम बंगाल से जोड़ेगीं।
- यह 6 राज्यों- पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, पश्चिमी महाराष्ट्र, एवं मध्य प्रदेश के इन्दौर से होकर जायेगी।

मुख्य तथ्य

- दो एक्सप्रेस राजमार्गो जो इंदौर-अहमदाबाद व पुणे-नासिक हैं के लिए पूर्व संभावित अध्ययन प्रारूप की समीक्षा कर ली गई है। इस बारे में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भी परियोजना हेतु उनके अवलोकन व रूचि के लिए शामिल किया गया है।
- संभावित प्लान की सिफारिशों के अनुसार ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने का काम हाथ में ले लिया गया है।
- चार स्थलों (मध्यप्रदेश में गुना, महाराष्ट्र में इंदापुर व विले-भगत व गुजरात में वघेल) के लिए विस्तृत परियोजना रपट पूर्ण हो गई है।
- दो नई ऊर्जा परियोजनाएँ गुजरात के मेहसाणा जिले में राजपुर-शाहापुर व राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की बागीडोरा तहसील हेतु चिन्हित कर ली गई हैं और इन दोनों स्थलों पर स्थल परीक्षण की योजना है।
- सभी 6 परियोजनाओं के लिए प्रथम चरण के टर्म ऑफ रेफ्रेंस को पर्यावरण व वन मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त हो गई है।
- ऊर्जा परियोजना के लिए गैस आपूर्ति हेतु गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. के साथ समझौता हस्ताक्षरित हो गया है।
- 'दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना' स्थानीय व्यवसाय में निवेश की बढ़ोतरी व सतत विकास प्राप्त करने के मद्देनजर ऐसे मूलभूत ढांचे का विनिर्माण कर रही है जो वैश्विक प्रतिस्पर्धक वातावरण में अपने आपको स्थिर रख सके।
- संपूर्ण डीएमआईसी क्षेत्र के लिए संभावित प्लान व 6 राज्यों के निवेश नाड्स के लिए प्रारूप तैयार करने का आदेश सलाहकारों को दिया जा चुका है।
- हरित एकीकृत टाउनशिप के लिए महाराष्ट्र के धौलपुरी व अहमदनगर के नजदीक स्थलों का चयन किया जा चुका है।

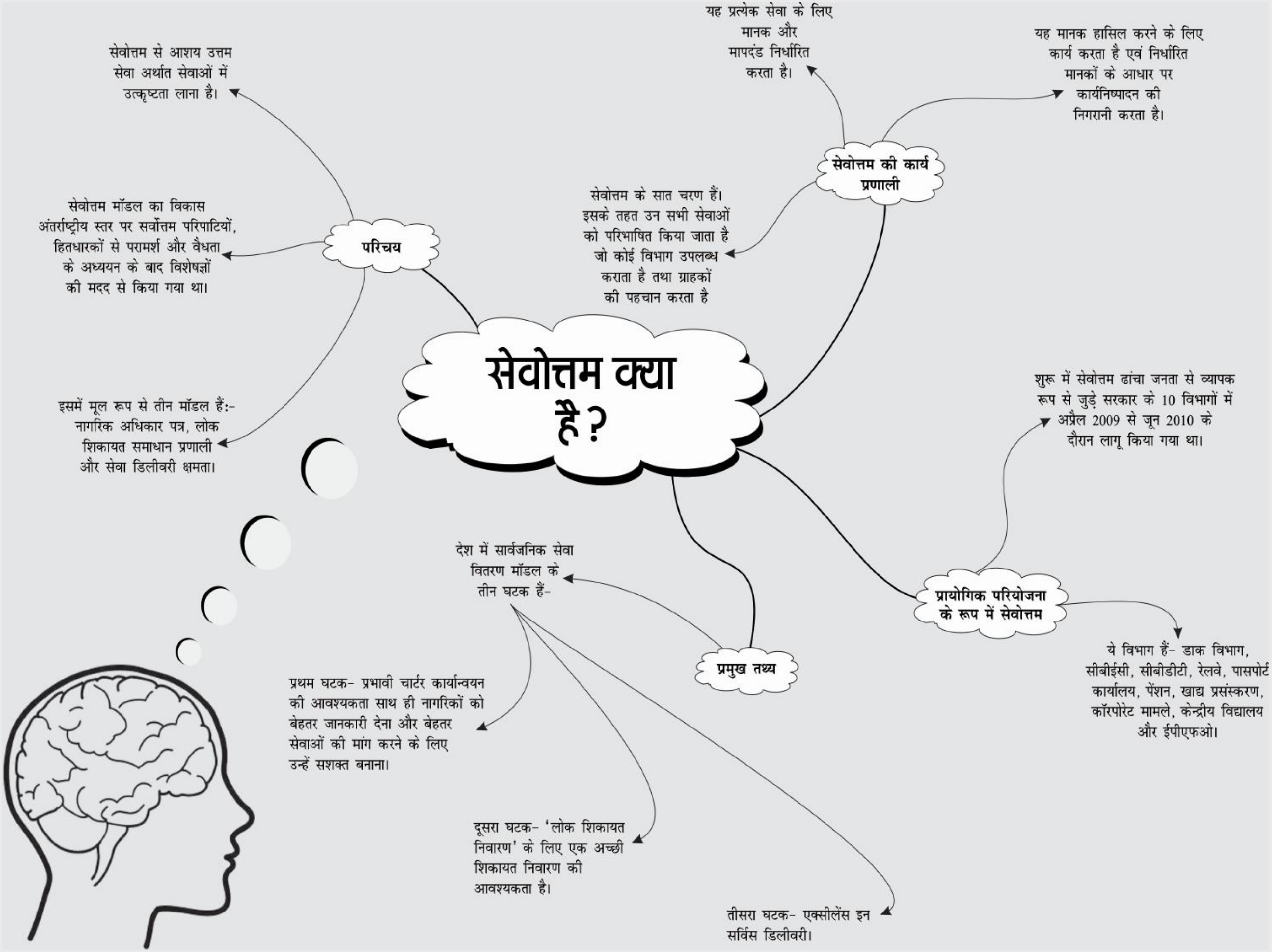

सेवोत्तम क्या है?

परिचय

सेवोत्तम से आशय उत्तम सेवा अर्थात सेवाओं में उत्कृष्टता लाना है।

सेवोत्तम मॉडल का विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम परिपाटियों, हितधारकों से परामर्श और वैधता के अध्ययन के बाद विशेषज्ञों की मदद से किया गया था।

इसमें मूल रूप से तीन मॉडल हैं:- नागरिक अधिकार पत्र, लोक शिकायत समाधान प्रणाली और सेवा डिलीवरी क्षमता।

सेवोत्तम की कार्य प्रणाली

यह प्रत्येक सेवा के लिए मानक और मापदंड निर्धारित करता है।

यह मानक हासिल करने के लिए कार्य करता है एवं निर्धारित मानकों के आधार पर कार्यनिष्पादन की निगरानी करता है।

सेवोत्तम के सात चरण हैं। इसके तहत उन सभी सेवाओं को परिभाषित किया जाता है जो कोई विभाग उपलब्ध कराता है तथा ग्राहकों की पहचान करता है

प्रायोगिक परियोजना के रूप में सेवोत्तम

शुरू में सेवोत्तम ढांचा जनता से व्यापक रूप से जुड़े सरकार के 10 विभागों में अप्रैल 2009 से जून 2010 के दौरान लागू किया गया था।

ये विभाग हैं- डाक विभाग, सीबीईसी, सीबीडीटी, रेलवे, पासपोर्ट कार्यालय, पेंशन, खाद्य प्रसंस्करण, कॉरपोरेट मामले, केन्द्रीय विद्यालय और ईपीएफओ।

प्रमुख तथ्य

देश में सार्वजनिक सेवा वितरण मॉडल के तीन घटक हैं-

प्रथम घटक- प्रभावी चार्टर कार्यान्वयन की आवश्यकता साथ ही नागरिकों को बेहतर जानकारी देना और बेहतर सेवाओं की मांग करने के लिए उन्हें सशक्त बनाना।

दूसरा घटक- 'लोक शिकायत निवारण' के लिए एक अच्छी शिकायत निवारण की आवश्यकता है।

तीसरा घटक- एक्सीलेंस इन सर्विस डिलीवरी।

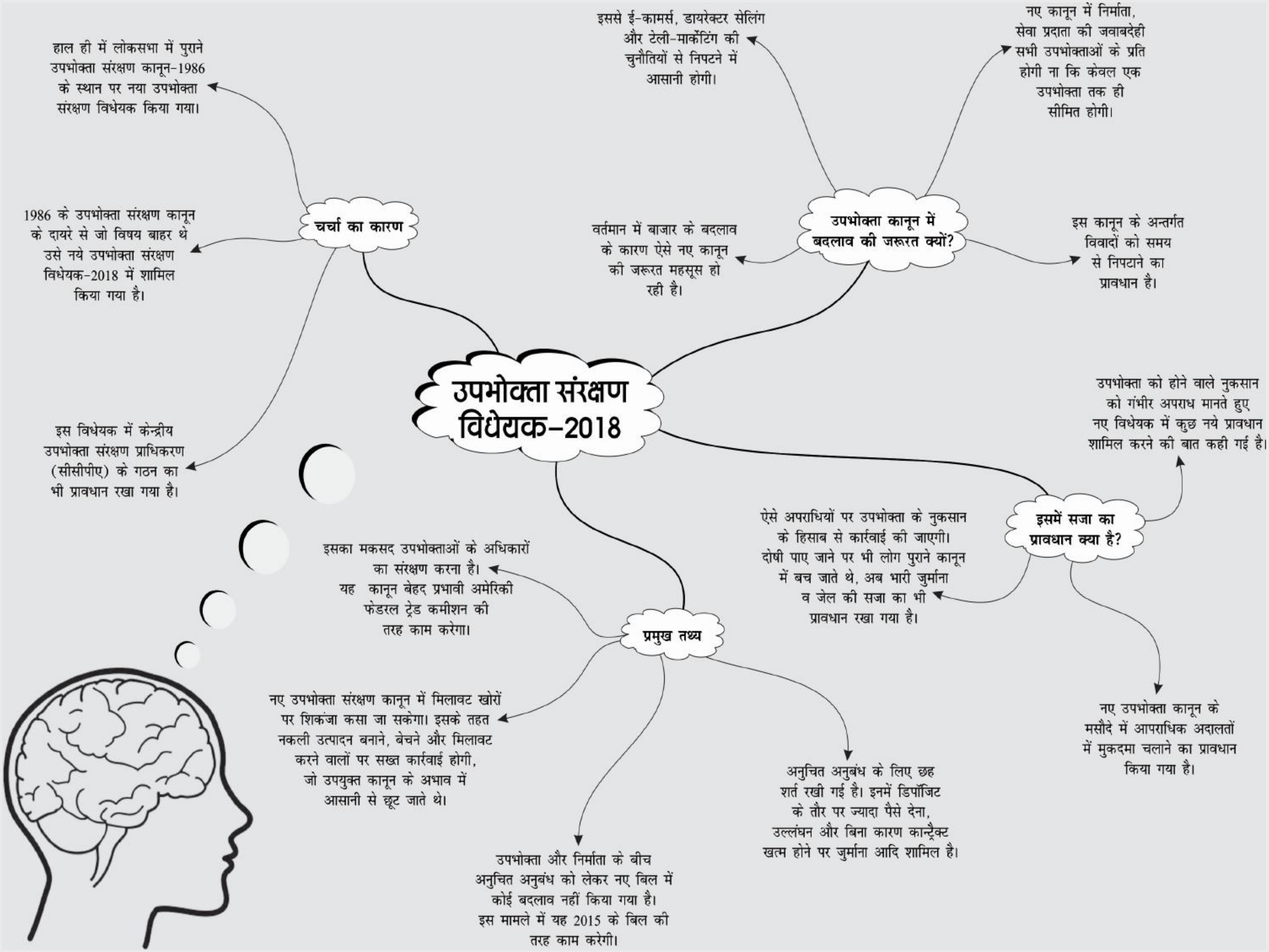

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक–2018

चर्चा का कारण

- हाल ही में लोकसभा में पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून-1986 के स्थान पर नया उपभोक्ता संरक्षण विधेयक किया गया।
- 1986 के उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे से जो विषय बाहर थे उसे नये उपभोक्ता संरक्षण विधेयक-2018 में शामिल किया गया है।
- इस विधेयक में केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के गठन का भी प्रावधान रखा गया है।

उपभोक्ता कानून में बदलाव की जरूरत क्यों?

- इससे ई-कामर्स, डायरेक्टर सेलिंग और टेली-मार्केटिंग की चुनौतियों से निपटने में आसानी होगी।
- नए कानून में निर्माता, सेवा प्रदाता की जवाबदेही सभी उपभोक्ताओं के प्रति होगी ना कि केवल एक उपभोक्ता तक ही सीमित होगी।
- वर्तमान में बाजार के बदलाव के कारण ऐसे नए कानून की जरूरत महसूस हो रही है।
- इस कानून के अन्तर्गत विवादों को समय से निपटाने का प्रावधान है।

इसमें सजा का प्रावधान क्या है?

- उपभोक्ता को होने वाले नुकसान को गंभीर अपराध मानते हुए नए विधेयक में कुछ नये प्रावधान शामिल करने की बात कही गई है।
- ऐसे अपराधियों पर उपभोक्ता के नुकसान के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर भी लोग पुराने कानून में बच जाते थे, अब भारी जुर्माना व जेल की सजा का भी प्रावधान रखा गया है।
- नए उपभोक्ता कानून के मसौदे में आपराधिक अदालतों में मुकदमा चलाने का प्रावधान किया गया है।

प्रमुख तथ्य

- इसका मकसद उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करना है। यह कानून बेहद प्रभावी अमेरिकी फेडरल ट्रेड कमीशन की तरह काम करेगा।
- नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में मिलावट खोरों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। इसके तहत नकली उत्पादन बनाने, बेचने और मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, जो उपयुक्त कानून के अभाव में आसानी से छूट जाते थे।
- उपभोक्ता और निर्माता के बीच अनुचित अनुबंध को लेकर नए बिल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस मामले में यह 2015 के बिल की तरह काम करेगी।
- अनुचित अनुबंध के लिए छह शर्त रखी गई है। इनमें डिपॉजिट के तौर पर ज्यादा पैसे देना, उल्लंघन और बिना कारण कान्ट्रैक्ट खत्म होने पर जुर्माना आदि शामिल है।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर

(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 'वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक' एक अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन ''ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल'' द्वारा जारी किया जाता है।
2. वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में इस वर्ष भारत को 81वां स्थान प्राप्त हुआ।
3. यह सूचकांक विश्लेषकों, कारोबारियों और विशेषज्ञों के आकलन और अनुभवों के आधार पर तैयार किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2
(b) केवल 2 व 3
(c) केवल 1 व 3
(d) 1, 2 व 3

उत्तरः (b)

व्याख्या: वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक प्रतिवर्ष एक अन्तर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है।

वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक-2017 में भारत को 81वां स्थान प्राप्त हुआ है पिछले वर्ष भारत 79वें स्थान पर था।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकारों को एक सशक्त संदेश देने के लिए वर्ष 1995 में शुरू किए गए इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया है। ■

ओम्बुड्समैन स्कीम और आरबीआई

प्र. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है।

(a) रिजर्व बैंक ने नॉन बैंकिंग फाइनेन्स कंपनीज (एनबीएफसी) के ग्राहकों की शिकायत निवारण हेतु ओम्बुड्समैन योजना को बनाया है।
(b) शिकायत निवारण के समय ओम्बुड्समैन शिकायतकर्ता के समय नुकसान, धन का खर्च उत्पीड़न और मानसिक यातना को ध्यान में रखते हुए 5 लाख रूपए तक का मुआवजा प्रदान कर सकता है।
(c) प्रत्येक ओम्बुड्समैन का कार्यकाल अधिकतम 3 साल होगा और जरूरत पड़ने पर रेग्युलेटर द्वारा कार्यकाल को घटाया जा सकता है।
(d) आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्सन 45(L) के अधिकारों के तहत यह फैसला किया है।

उत्तरः (b)

व्याख्या: रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी) के ग्राहकों के लिए एक ओम्बुड्समैन योजना बनाई है जो ग्राहकों के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल मेकेनिज्म यानि शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कार्य करेगी।

इसमें आरबीआई के महाप्रबंधक या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी को क्षेत्रीय अधिकार के साथ ओम्बुड्समैन के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। ओम्बुड्समैन शिकायतकर्ता को मुआवजा के तहत एक लाख रूपए तक मुआवजा दे सकता है। ■

तापी गैस परियोजना

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत ने 23 फरवरी, 2018 को तापी गैस पाइप लाइन के अफगानिस्तान वाले हिस्से की आधारशिला रखी।
2. तापी परियोजना का लक्ष्य तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते भारत और पाकिस्तान को गैस आपूर्ति कराना है।
3. इस परियोजना को विश्व बैंक भी सहयोग प्रदान कर रहा है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2
(b) केवल 2 व 3
(c) केवल 1 व 3
(d) 1, 2 व 3

उत्तरः (a)

व्याख्या: तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान होते हुए भारत और पाकिस्तान को गैस आपूर्ति करने के लिए 1840 किमी. लंबी एक पाइप लाइन का निर्माण किया जा रहा है।

इस परियोजना की शुरूआत 2010 में हुई थी, जिसकी 2020 तक पूरी होने की संभावना है।

इसके जरिए सालाना करीब 33 अरब क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति की जाएगी।

यह परियोजना तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत (TAPI) के अलावा एशियाई विकास बैंक के सहयोग से निर्मित की जा रही है। ■

साइबर सुरक्षित भारत अभियान

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 19 फरवरी, 2018 को निजी क्षेत्र के साथ मिलकर ''साइबर सुरक्षित भारत अभियान'' का शुभारंभ किया।

2. 'साइबर सुरक्षित भारत अभियान' साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में पहला सरकारी निजी भागीदारी वाला कार्यक्रम है जिसमें आईटी उद्योग की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा।
3. 'साइबर सुरक्षित भारत अभियान' का परिचालन जागरूकता, शिक्षा एवं सक्षमता के सिद्धांतों पर किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 2 व 3

(c) केवल 3 (d) 1, 2 व 3

उत्तर: (d)

व्याख्या: हाल ही में 19 जनवरी, 2018 को निजी क्षेत्र के साथ मिलकर साइबर सुरक्षित भारत अभियान का शुभारंभ किया गया।

देश में साइबर सुरक्षा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस अभियान का शुभारंभ किया गया है।

सरकार द्वारा 'कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस' टीम की स्थापना पहले ही की जा चुकी है।

अंतर-ऐजेंसी समन्वय के लिए भारतीय अपराध समन्वय केन्द्र की स्थापना की गई है। ■

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. दिल्ली-मुबई औद्योगिक गलियारा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित औद्योगिक-विकास की विशाल परियोजना है।
2. यह मुख्यत: 6 राज्यों से होकर गुजरेगा जिसमें- उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश शामिल हैं।
3. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना स्थानीय व्यवसाय में निवेश की बढ़ोत्तरी व सतत् विकास प्राप्त करने के मद्देनजर ऐसे मूलभूत ढांचा का निर्माण कर रही है जो वैश्विक प्रतिस्पर्धक वातावरण में अपने आप को स्थिर रख सके।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 2 व 3

(c) केवल 1 व 3 (d) 1, 2 व 3

उत्तर: (d)

व्याख्या: दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा देश में विशाल औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह 6 राज्यों को अपने में समेटे हुए है। इस परियोजना के पूरा होने पर अधोसंरचना एवं उद्योग का अत्यधिक प्रसार हो जाएगा तथा रेल, सड़क बंदरगाह एवं हवाई यातायात की व्यापक वृद्धि हो जाएगी। ■

सेवोत्तम क्या है?

प्र. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है।

(a) सेवोत्तम मॉडल का विकास अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम परिपाटियों हितधारकों से परामर्श और वैधता के अध्ययन के बाद विशेषज्ञों की मदद से किया गया था।

(b) इसमें मूल रूप से 4 मॉडल हैं। नागरिक अधिकार पत्र, लोक शिकायत समाधान प्रणाली, सेवा डिलिवरी क्षमता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम।

(c) सेवोत्तम से आशय उत्तम सेवा अर्थात् सेवाओं में उत्कृष्टता लाना है।

(d) शुरू में सेवोत्तम ढांचा जनता से व्यापक रूप से जुड़े सरकार के 10 विभागों में अप्रैल 2009 से जून 2010 के दौरान लागू किया गया था।

उत्तर: (b)

व्याख्या: सेवोत्तम ढांचा जनता से व्यापक रूप से जुड़े सरकार के 10 विभागों में अप्रैल 2009 से जून 2010 के दौरान लागू किया गया था। सेवोत्तम का आशय उत्तम सेवा अर्थात सेवाओं में उत्कृष्टता लाना है।

इसमें मुख्य रूप से तीन मॉडल हैं।

नागरिक अधिकार पत्र, लोक शिकायत समाधान प्रणाली और सेवा डिलिवरी क्षमता।

■

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक-2018

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. हाल ही में लोकसभा में पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून-1986 के स्थान पर नया उपभोक्ता संरक्षण कानून पेश किया गया।
2. इस विधेयक में केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के गठन का प्रावधान रखा गया है।
3. उपभोक्ता को होने वाले नुकसान को गंभीर अपराध मानते हुए नए विधेयक में मुकदमा चलाने का प्रावधान किया गया है।
4. उपभोक्ता और निर्माता के बीच अनुचित अनुबंध को लेकर नए बिल में कई बदलाव लाए गए हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2 व 3

(b) केवल 2, 4 व 3

(c) केवल 1, 4 व 3

(d) 1, 2, 3 व 4

उत्तर: (a)

व्याख्या: 1986 के उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे से जो विषय बाहर थे ऐसे विषयों को इस नए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक-2018 में शामिल किया गया है।

उपभोक्ता और निर्माता के बीच अनुचित अनुबंध को लेकर नए बिल में कोई बदलाव नहीं किया है इस मामले में यह बिल 2015 के बिल की तरह कार्य करेगा।

वर्तमान में बाजार के बदलाव के कारण ऐसे नए कानून की जरूरत महसूस हो रही थी। इस नए विधेयक के तहत मुकदमा चलाने का भी प्रावधान किया गया है।

■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे छोटे रॉकेट का प्रक्षेपण किया है?

   - जापान

2. हाल ही में भारतीय सेना के सैन्य संचालन के महानिदेशक के रूप में किये नियुक्त किया गया है?

   - अनिल चौहन

3. हाल ही में रोमानिया के प्रधानमंत्री के रूप में किये नियुक्त किया गया है?

   - वियोरिका डैन्सिला

4. हाल ही में गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को पहला स्थान दिया गया है?

   - महाराष्ट्र

5. हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?

   - जतिदंर सिंह औलख

6. हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है?

   - लखीमपुर (उत्तर प्रदेश)

7. हाल ही में हवा से कार्बन-डाई ऑक्साइड को खीचंकर सिथेटिक हाइड्रोकार्बन फ्यूल बनाने का प्लांट कहां स्थापित किया गया है?

   - कनाडा

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ
(निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

1. व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है।

- महात्मा गांधी

2. सामाजिक प्रगति समाज में महिलाओं को मिले स्थान से मापी जा सकती है।

- कार्ल मार्क्स

3 जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते, आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते।

- स्वामी विवेकानंद

4. अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हे पहले सूरज की तरह जलना होगा

- एपीजे अब्दुल कलाम

5. मैं इस विषय पर जोर देता हूँ कि मैं महत्वकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूँ। परन्तु मैं आवश्यकता पड़ने पर यह सब त्याग/छोड़ भी सकता हूँ, और वही सच्चा बलिदान है।

- भगत सिंह

6. जब तक कि आप कोशिश करना बन्द नहीं कर देते, आप तब तक असफल नही हो सकते।

- अल्बर्ट आइंस्टीन

7. शांति राष्ट्रों का सम्बन्ध नहीं है। यह एक मनः स्थिति है जो आत्मा की निर्मलता से आती है। शांति सिर्फ युद्ध का अभाव नहीं है। यह मन की एक अवस्था है।

- जवाहर लाल नेहरू

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. हाल ही में नीति आयोग ने पहली बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है। यह 'स्वस्थ राज्य स्वस्थ भारत' के योजना को किस प्रकार प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों तथा उसके समाधान पर चर्चा करें।

2. हाल ही में भारत ने अग्नि-2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह भारत को रक्षा क्षेत्र में मिल रही चुनौतियों से निपटने में किस तरह सहायक होगा? टिप्पणी करें।

3. सुपर ब्लू ब्लड मून क्या है? भविष्य में विश्वभर के वैज्ञानिकों को चन्द्रमा के बारे में जानने के लिए यह किस प्रकार सहायक होगा? उल्लेख करें।

4. हाल ही में अमेरिका ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका तथा रूस के सम्बन्धों में जो दूरी बढ़ रही है वह पूरे विश्व को किस प्रकार प्रभावित करेगी? चर्चा करें।

5. हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक घोटाला भारत में बैंकिंग प्रणाली के कार्यपद्धति पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। सरकार द्वारा बैंकिंग रिफार्म के बाद भी इस तरह की घटना बैंकिंग क्षेत्र के लिए शुभ संकेत नहीं हैं। चर्चा करें।

6. हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 42 भाषाएँ तथा बोलियाँ विलुप्ति के कगार पर हैं। क्या भारत जैसें विविधतापूर्ण और उन्नत संस्कृति वाले देश के लिए यह एक चिंता का कारण है? चर्चा करें।

7. भारत में संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है लेकिन संसद में जिस तरह की घटनाएँ घट रहीं हैं चाहे वह सांसदों द्वारा किया गया व्यवहार हो या फिर उनकी कम उपस्थिति, यह संसदीय मर्यादा के विपरीत है। आप इससे कितना सहमत हैं? चर्चा करें।